The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i)

पाधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

1061 No. 1061

1

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2009/फाल्पुन 6, 1930

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2009/PHALGUNA 6, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 124(अ). केन्द्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

आरंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिकता नियम, 2009 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.-इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट, जहाँ वह कृत्यकारी है, भी है;
 - (ख) "प्ररूप" से अनुसूची-1 में उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;
 - (ग) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
 - (घ) "धारा" से नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा अभिप्रेत है ।

भाग-2

नागरिकता के लिए आवेदन

3. धारा 4 के अधीन जन्म के रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.—कोई व्यक्ति भारत से बाहर जन्मे अपने अप्राप्तवय बालक के जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप-1 में धारा 4 की उप-धारा (1) की शर्तों में उस देश में भारतीय कौंसेलेट को जमा कर सकेगा जहां ऐसे बालक का जन्म हुआ था, जिसके साथ यह घोषणा भी होगी कि वह बालक किसी अन्य देश के पासपोर्ट का धारक नहीं है।

- 4. धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन भारतीय मूल के किसी व्यक्ति धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन भारतीय नागरिक के रूप में रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तब कि
 - (क) वह प्ररूप 2 में आवेदन नहीं करता है :
 - (ख) वह लिखित वचनबंध देगा कि अपने आवेदन के मंजूर होने की दशा में उस देश की नागरिकता का त्याग कर देगा :
 - (ग) वह भारत में आवेदन करने की तारीख से सात वर्ष से अन्यून अविध के लिए भारत में साधारणतः निवास कर रहा है ;
 - (घ) वह नागरिकता अधिनियम, 1955 की दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट राजनिष्ठा की शपथ लेगा ।
- 5. धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किसी व्यक्ति से जिसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया है, भारत के नागरिक के रूप में रिजस्ट्रीकरण के लिए धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि —
- (क) वह प्ररूप 3 में आवेदन नहीं करता है ;
- (ख) वह लिखित में वचनबंध देगा कि अपने आवेदन के मंजूर हो जाने की दशा में उस देश की नागरिकता का त्याग कर देगा ;
- (ग) आवेदन करने की तारीख को वह सात वर्ष की अन्यून अवधि के लिए , -
 - (i) भारत में मामूली तौर से निवासी रहा हो ; या
 - (ii) भारत सरकार की सेवा में रहा हो ।
- (घ) वह नागरिकता अधिनियम, 1955 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजनिष्ठा की शपथ लेगा ।
- स्पष्टीकरण -- (1) सात वर्ष की अवधि की गणना करने में, उसके निवास खंड (ग) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन में निवास और सेवा की किसी खंडित अवधि को उसमें विनिर्दिष्ट अवधि में होगी ।
- (2) केन्द्रीय सरकार, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी विदेशी राष्ट्रिक को जो किसी भारतीय नागरिक से, विवाहित हो और जो भारत सरकार की सेवा में है, उपनियम (1) के खंड (ग) को प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगी।
- (3) केन्द्रीय सरकार, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, किसी विदेशी राष्ट्रिक को जो किसी भारतीय नागरिक जिससे वह सात वर्ष से अन्यून अविध से विवाहित है और नौ वर्षों में से किन्हीं सात वर्षों के दौरान किसी वर्ष में कम एक बार भारत आया है को उपनियम (1) के खंड (ग) के प्रवर्तन से छूट प्रदान की कर सकेगी।
- 6. नियम 5 के उपनियन (1) के खंड (घ) के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन -- कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, के अवयस्क अप्राप्तवय बालक के भारत के नागरिक के रूप

में रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन आवेदन तब तक स्वीकार्य नहीं किया जाएगा जब तक कि

- (क) वह प्ररूप 4 में आवेदन नहीं करता है ; और
- (ख) ऐसे अप्राप्तवय बालक के माता पिता यह घोषणा करते हैं कि वह बालक के विधिक संरक्षक हैं ; और
- 7. धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ड.) के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किसी व्यक्ति से भारत के नागरिक के रूप में रिजस्ट्रीकरण के लिए धारा 5 की उपघारा (1) के खंड (ड.) के अधीन कोई आवेदन तब तक रवीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि
 - (क) वह प्ररूप 5 में आवेदन नहीं करता है ;
 - (ख) वह लिखित में वचनबंध देगा कि वह अपने आवेदन के मंजूर हो जाने की दशा में अपने देश की नागरिकता का त्याग कर देगा :
 - (ग) वह नागरिकता अधिनियम, 1955 की दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट राजनिष्ठा की शपथ लेगा ।
- 8. धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कोई व्यक्ति भारत के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति से भारत के नागरिक के रूप में रिजस्ट्रीकरण के लिए धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन कोई आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि
 - (क) वह प्ररूप 6 में आवेदन नहीं करता है ;
 - (ख) वह लिखित में वचनबंध देगा कि वह अपने आवेदन के मंजूर हो जाने की दशा में अपने देश की नागरिकता का त्याग कर देगा ;
 - (ग) उसने भारत में आवेदन करने की तारीख से लगातार कम से कम एक वर्ष अवधि के लिए भारत में निवास किया है ;
 - (घ) वह नागरिकता अधिनियम, 1955 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजनिष्ठा की शपथ लेगा ।
- 9. धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कोई व्यक्ति भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रिजस्ट्रीकरण के लिए धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन किसी प्ररूप को तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि
 - (क) वह प्ररूप 7 में आवेदन नहीं करता है ;
 - (ख) वह लिखित में वचनबंध देगा कि वह अपने आवेदन के मंजूर हो जाने की दशा में अपने देश की नागरिकता का त्याग कर देगा ;

- (ग) वह लगातार कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए भारत का विदेशी नागरिक रहा हो और आवेदन करने की तारीख से लगातार कम से कम एक वर्ष भारत में निवासी रहा हो ; और
- (घ)वह अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजनिष्ठा की शपथ लेगा ।
- 10. धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन देशीयकरण द्वारा नागरिकता अनुदत्त करने के लिए आवेदन— धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति का भारत के नागरिक के रूप में देशीयकरण के लिए आवेदन तब स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह —-
 - (क) प्ररूप 8 में आवेदन नहीं करता है ;
 - (ख) वह लिखित में वचनबंध देगा कि वह अपने आवेदन के मंजूर हो जाने की दशा में अपने देश की नागरिकता का त्याग कर देगा ; और
 - (ग) आवेदन के साथ निम्नलिखित होंगे-
 - (i) आवेदक आवेदन में किए गए कथन की सत्यता को सत्यापित करते हुए सम्यक् रूप से स्टांपित शपथ पत्र देगा जिसके साथ आवेदक के चरित्र को प्रमाणित करते हुए दो सम्मानित भारतीय नागरिकों से सम्यक रूप से स्टांपित शपथ पत्र होंगे; और
 - (ii) इस वर्णन का एक प्रमाण पत्र देगा कि आवेदक को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं में से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान है।

स्पष्टीकरण 1. -आवेदक को संबद्ध भाषा का पर्याप्त ज्ञान समझा जाएगा वह उस भाषा को बोल या पढ़ या लिख सकता है।

- स्पष्टीकरण 2. प्रमाण पत्र या तो किसी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान या किसी मान्यताप्राप्त लोक संगठन या आवेदक के अवस्थान या जिले के दो नागरिकों से जो भारत के नागरिक हैं, से हो सकेगा।
- 11. प्राधिकरण जिसे आवेदन किए जा सकेंगे (1) धारा 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 6. के अधीन देशीयकरण के लिए कोई आवेदन कलक्टर को, जिसकी अधिकारिता के भीतर आवेदक मामूली तौर पर निवास करता है, किए जाएंगे।
 - (2) आवेदन की प्राप्ति पर, कलक्टर प्ररूप 9 में अभिस्वीकृति जारी करेगा ।
- (3) आवेदन के ब्यौरे की शुद्धता के बारे में समाधान हो जाने पर और यथास्थिति राज्य सरकार या संघराज्यक्षेत्र प्रशासन को आवेदन भेजने से पहले कलक्टर आवेदक को रिजस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता अनुदत्त करने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट निष्ठा की शपथ दिलाएगा

भाग 3

नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करना और रजिस्टरों का अनुरक्षण करना

- 12. केन्द्रीय सरकार को आवेदन भेजना— (1) कलक्टर धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ग), खंड (घ),खंड (इ) खंड (च) और खंड (छ) या धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन उसे प्राप्त आवेदन यथास्थिति राज्य सरकार या संघराज्यक्षेत्र प्रशासन को उसके प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आवेदक की निम्नलिखित रिपोर्ट के साथ भेजेगा
 - (क) धारा 5 या धारा 6 के सुसंगत खंडों में अभिकथित सभी शतों का समाधान करेगा ;

(ख) उसका आशय भारत को अपना स्थायी निवास बनाने का है ;

- (ग) उसने नागरिकता अधिनियम, 1955 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट निष्ठा की शपथ पर हस्ताक्षर किए हैं ; और
- (घ) वह अच्छे चरित्र का है और यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक के रूप में उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है।
- (2) यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन आवेदन को अपनी सिफारिशों और कलक्टर रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को, कलक्टर की रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर भेजेगा :

परंतु यदि पर्याप्त कारणों से यथास्थिति कलक्टर या राज्य सरकार या संघराज्यक्षेत्र प्रशासन उपनियम (1) या उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अविघ के भीतर आवेदन को, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या केन्द्रीय सरकार को भेजने में असमर्थ हैं, तो ऐसी विनिर्दिष्ट अविघ की समाप्ति के पश्चात् किंतु नब्बे दिनों से अनिधक अविध विलंब के लिए कारणों के साथ भेजेंगे।

- (3) यथास्थिति, कलक्टर या राज्य सरकार या संघराज्यक्षेत्र प्रशासन लंबित सभी आवेदन इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को उपनियम (1) और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से निपटाएंगे।
- (4) यदि यथास्थिति, कलक्टर या राज्य सरकार या संघराज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा केन्द्रीय सरकार को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों की अविध के भीतर आवेदन नहीं भेजता है, तो आवेदक केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय को कलक्टर द्वारा जारी अभिस्वाकृति की प्रति संलग्न करते हुए अभ्यावेदन कर सकेगा।
- (5) केन्द्रीय सरकार उपनियम (4)के अधीन ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति पर, यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन के साथ नागरिकता को अनुदत्त करने के लिए आवेदन पर उसकी संस्तुतियों को शीघ्र निपटान के लिए मामले को उठाएगी ।

- 13. केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन संवीक्षा केन्द्रीय सरकार, -
- (क) यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन से आवेदन की प्राप्ति पर सभी संदर्भों में पुरा कराएगा ; और
- (ख) ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवेदक की उपयुक्तता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और उचित सबझे, समाधान हो जाने पर

कि वह, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए उचित उपर्युक्त व्यक्ति है !

- 14. रिजर्ट्रीकरण प्रमान एवं अनुदार करना— (1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ग), खंड (ध), खंड (ह) या खंड (च) के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रिजर्ट्रीकृत है, प्ररूप 10 में रिजर्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा जिस पर भारत सरकार के अवर सचिव रैंक से अन्यून अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।
- (2) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है प्ररूप 11 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी होगा जिस पर भारत सरकार के अवर सचिव रैंक से अन्यून अधिकारी के हरतादार होंगे !
- (3) इस नियम के अधीन जारी किसी नागरिकता प्रमाण पत्र की प्रति उसे जारी करने वाला प्राधिकारी अभिलेख प्रयोजन के लिए परिरक्षित करेगा ।
- 15. देशीयकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त करना (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसका धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक बनाया गया है प्ररूप 12 में देशीयकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जो भारत सरकार के अवर सचिव पंक्ति से अन्यून अधिकारी से हस्ताक्षरित होगा ।
- (2) इस नियम के अधीन जारी देशीयकरण प्रमाण पत्र की प्रति उसे जारी करने वाला प्राधिकारी अभिलेख के प्रयोजन के लिए परिरक्षित रखेगा ।
- 16. देशीयकरण के प्रयोजन के लिए राज्यनिष्ठा की शपथ— (1) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को जिसको देशोयकरण प्रमाण पत्र को अनुदत्त करना है, को प्ररूप 12 में राज्य की निष्ठा की शपथ पर हस्तान्तर करने होंगे और इस प्रकार हस्तान्नरित राज्य निष्ठा की शपथ देशीयकरण प्रमाण पत्र पर जिससे वह संबंधित है, पर पृष्ठांकित होगी।
- (2) उपनियम (1) के अधीन राज्य निष्ठा की शपथ देशीयकरण प्रमाण पत्र जिससे वह संबंधित है की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर हस्ताक्षरित होगी या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जिसे ऐसा प्रमाण पत्र अनुदत्त करने वाला अधिकारी अनुज्ञात करे और यदि ऐसी अवधि के भीतर शपथ नहीं ले जाती है तो प्रमाण पत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा :

परंतु इस उपनियम के अधीन अनुज्ञा नहीं दी गई है समझी जाएगी जबकि इस प्रमाण पत्र पर इस प्रमाव का अभिकथन पृष्ठांकित नहीं कर दिया जाता है और देशीयकरण प्रमाण पत्र पर नियम 15 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षार नहीं हो जाते हैं।

- (3) उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित राज्य निष्ठा की शपथ ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसे प्राधिकारी जिसे प्रमाण पत्र अनुदत्त करना है के निदेश पर ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसे स्थान पर रजिस्ट्रीकृत होगी।
- (4) जब प्राधिकारी, उपनियम (3) के अधीन दिए गए किसी निदेश के अनुसरण में राज्य निष्ठा की शपथ का रिजस्ट्रीकरण करता है जिसे रिजस्टर करता है शपथ की प्रति तैयार करेगा और देशीयकरण प्रमाण पत्र, जिससे वह संबंधित है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव को भेजेगा।
- 17. नागरिकों का रजिस्टर-- केन्द्रीय सरकार भारत के नागरिकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों या देशीयकरण रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के नाम और अन्य ब्यौरे रजिस्टर में रखेगी ---
 - (क) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) , खंड (ड) और खंड (च) के अधीन प्ररूप 13 में :
 - (ख) धारा 5 की उपधारा खंड (1) के खंड (ग) के अधीन, प्ररूप 14 में ;
 - (ग) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन, प्ररूप 15 में ;
 - (घ) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन, प्ररूप 16 में ; और
 - (ड) धारा घारा 6 की उपधारा (1) के अधीन, प्ररूप 17 में।
- 18. रिजस्टर और संबंधित कागजातों पर अनुरक्षण— (1) नियम 17 के अधीन रखे गए रिजस्टरों में प्रत्येक प्रविष्टि क्रमवर्ती रूप में संख्यांकित की जाएगी और प्रत्येक प्रविष्टि केवल एक व्यक्ति से संबंधित होगी।
- (2) नियम 17 के अधीन रखे गए रिजस्टर में प्रत्येक की गई प्रविष्टि ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की जाएगी जो प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं जिसके पश्चात् कोई व्यक्ति भारत के नागरिक के रूप में यथास्थिति, रिजस्ट्रीकृत या देशीयकरण होगा।
- (3) रजिस्टर, प्रत्येक आवेदन और उससे संबंधित सभी कागजात स्थायी अभिलेखों के रूप में परिरक्षित होंगे ।

भाग 4

असम सहमति के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिए भारत की नागरिकता के बारे में उपबंध

- 19. धारा 6क की उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी और रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप- (1)केन्द्रीय सरकार, धारा 6क की उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए, असम राज्य के प्रत्येक जिले के लिए रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी ऐसे अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति के नीचे का न होगा ।
- (2) किसी व्यक्ति द्वारा धारा 6क की उपधारा (3) के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 18 में यथास्थिति, किसी विदेशी के रूप में उसके पता चलने या पहचान की तारीख से तीस दिन के भीतर या जिले के लिए रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी की नियुक्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर उस जिले के रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी को जिसका वह साधारणतया निवासी है करेगा।
- (3) रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी आवेदन के ब्यौरों को प्ररूप 19 में रिजस्टर करने के पश्चात् आवेदक को अपनी मुद्रा के अधीन आवेदन की प्रति वापस करेगा ।
- (4) रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आवेदन की प्राप्ति के तिमाही के दौरान एक प्रति केन्द्रीय सरकार और असम राज्य सरकार को प्ररूप 20 में तिमाही विवरणी के साथ भेजेगा।
- (5) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि को कारणों को लेखबद्ध करते हुए साठ दिन से अनधिक अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा ।
- 20. अधिकरण को निर्देश--जहां अधिनियम की धारा 6क की उपधारा (3) के अधीन रिजस्ट्रीकरण चाहने वाले व्यक्ति के मामले में,---
 - (क) ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है क्या ऐसे व्यक्ति ने उक्त उपधारा में अंतर्विष्ट किसी अपेक्षा का अनुपालन किया है ; या
 - (ख) विदेशी (अधिकरण) आदेश, 1964 के अधीन गठित अधिकरण की राय ऐसे व्यक्ति के संबंध में उक्त उपधारा में अंतर्विष्ट किसी अपेक्षा के संदर्भ में कोई निष्कर्ष अंतर्विष्ट नहीं होगा कि वह एक विदेशी है,

तब रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी नियम 19 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर इस बारे में अधिकरण को नया निर्देश करेगा ।

21. अधिकरण की अधिकारिता- विदेशी (अधिकरण) आदेश, 1964 के अधीन गठित अधिकरण असम राज्य के किसी जिले या उसके किसी भाग पर अधिकारिता रखेगा, अधिकरण द्वारा अंतर्गत आने वाले ततस्थानी क्षेत्र में अधिनियम की धारा 6क की उपधारा (3) के अधीन

किए गए सभी निर्देशों के संबंध में उस जिले या उसके भाग के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से प्राप्त निर्देशों को विनिश्चय करने की अधिकारिता का प्रयोग करेगा ।

22. धारा 6क की उपधारा (6) के अधीन घोषणा --धारा 6क की उपधारा (6) के अधीन घोषणा प्ररूप 21 में क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को जिसकी अधिकारिता में ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है करेगा ।

भारत की नागरिकता का त्यजन या वंचित किया जाना

- 23. नागरिकता के त्यजन की घोषणा-- धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन भारत की नागरिकता के त्यजन की घोषणा प्ररूप 22 में होगी और निम्नलिखित कथन होगा --
 - (क) आवेदक, विधि के किस उपबंध के अधीन आवेदक भारत का नागरिक है ; और
 - (ख) आवेदक किन परिस्थितियों में विदेशी नागरिकता को ग्रहण करने का आशय रखता है।
- (2) उपनियम (1) के अधीन भारत की नागरिकता के त्यजन की घोषणा की प्राप्ति पर, नियम 38 के अधीन पदाविहित अधिकारी प्ररूप 23 में अभिस्वीकृति जारी करेगा ।
 - (3) घोषणा का रजिस्ट्रीकरण भारत सरकार के गृह मंत्रालय में होगा ।
- (4) केन्द्रीय सरकार का गृह मंत्रालय इस नियम के अधीन ऐसे व्यक्तियों का नाम प्ररूप 24 में अंतर्विष्ट कर एक रजिस्टर रखेगा जिन्होंने नागरिकता के त्यजन की घोषणा रजिस्ट्रीकृत की है।
- 24. भारत की नागरिकता पुनः ग्रहण करने के आशय की घोषणा -- (1) धारा 8 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन नागरिकता पुनर्ग्रहण करने के आशय की घोषणा प्ररूप 25 में वयः प्राप्त होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर और नागरिकता अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य निष्ठा की शपथ लेता है और सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित करता है।
 - (2) ऐसी प्रत्येक घोषणा गृह मंत्रालय भारत सरकार में रजिस्ट्रीकृत होगी।
- (3) ऐसी कोई घोषणा तब तक रिजस्ट्रीकृत नहीं होगी जब तक कि घोषणाकर्ता ने प्ररूप के अंत में दी गई राज्य निष्ठा की शपथ न ली हो ।
- (4) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी घोषणा करता है प्ररूप 26 में भारत की नागरिकता के पुनरारंभ का प्रमाण पत्र जारी होगा जिसपर भारत सरकार के अवर सचिव से अन्यून पंक्ति के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसकी प्रति अभिलेख के लिए अनुरक्षित की जाएगी।

- (5) केन्द्रीय सरकार का गृह मंत्रालय प्ररूप 27 में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उन व्यक्तियों के नाम होंगे जिन्होंने इस नियम के अधीन भारत की नागरिकता पुनः प्राप्त करने के आशय से घोषणा का रजिस्ट्रीकरण कराया है।
- 25. नागरिकता से वंचित किए जाने से पहले सूचना--(1) जब किसी व्यक्ति को उसे भारत की नागरिकता से वंचित करने के लिए धारा 10 के अधीन कोई आदेश विनिश्चय किया जाता है तो उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन सूचना दी जाएगी
 - (क) उस मामले में जहां व्यक्ति का पता ज्ञात है, तो उसे व्यक्तिगत तौर पर परिदत्त करके या डाक द्वारा उसे भेजकर सुचना भेजी जाएगी ; या
 - (ख) उस मामले में जहां व्यक्ति का पता ज्ञात नहीं है उसके अंतिम ज्ञात पते पर सूचना भेजी जाएगी।
- (2) प्रभावित व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, वह धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन जांच समिति को अपने मामले को निर्दिष्ट करने के लिए कोई आवेदन कर सकेगा, -
 - (क) यदि उक्त व्यक्ति को जब उसे सूचना दी गई है, भारत में है सूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर; या
 - (ख) किसी अन्य दशा में, ऐसी अविध के भीतर जो सूचना की तारीख से तीन मास से कम न होगी जो केन्द्रीय सरकार सूचना में विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार, विशेष परिस्थितियों में और इस नियम के अधीन आवेदन किए जाने पर कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अवधि का विस्तार कर सकेगी ।

- (3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर इस पर विनिश्चय के लिए मामले को जांच समिति को निर्दिष्ट करेगी ।
- 26. समिति जांच करने में अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगी- धारा 10 के अधीन नियुक्त जांच समिति, जब वह उक्त धारा की उपधारा (6) के अधीन जांच करने में अनुसूची 2 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगी।
- 27. किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित करने के आदेश का प्रकाशन --धारा 10 के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश जो किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित करता है, का प्रकाशन भारत के राजपत्र में होगा ।
- 28. नागरिकता से वंचित के मामले में प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण और निरसन- (1) जहां भारत में रिजस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति या देशीयकरण व्यक्ति को भारत की उसकी नागरिकता से उसे वंचित करने के लिए कोई आदेश किया जाता है तो इस प्रकार वंचित व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जिसके कब्जे में रिजस्ट्रीकरण या देशीयकरण प्रमाण पत्र है, केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में सूचना

द्वारा जब अपेक्षा होगी कि ऐसा व्यक्ति उक्त प्रमाण पत्र और ऐसी अवधि के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए परिदत्त कर देगा ।

- (2) (क) प्रमाण पत्र परिदत्त कर दिए जाने पर वह निरस्त होगा और उस दशा में जब प्रमाण पत्र परिदत्त नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि वह किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसे उपधारा (3) के अधीन किया जा सकेगा निरसित माना जाएगा।
- (3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी सूचना के अनुपालन में असफल रहता है वह जुर्माने का दायी होगा जो एक हजार रुपए तक की हो सकेगा ।

भाग 6 भारत की विदेशी नागरिकता -रजिस्ट्रीकरण,त्यजन और निरसन

- 29. धारा 7क के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-- (1) धारा 7क के अधीन भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 28 में किया जाएगा।
- (2) परिवार के अंतर्गत पति या पत्नी और दो अप्राप्तवय बालक तक एक ही प्ररूप में आवेदन कर सकेंगे ।
- 30. भारतीय उद्भव कार्डधारक व्यक्ति द्वारा धारा 7क के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-भारतीय उद्भव कार्ड धारक कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक 26011/4/95-एफ आई तारीख 19 अगस्त, 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1 खंड 1 में प्रकाशित जो भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रिजस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा पात्र हैं, रिजस्ट्रीकरण के अनुदत्त करने के लिए प्ररूप 28 में आवेदन कर सकेंगे जिसे अन्य आवेदकों के लिए इस भाग में विनिर्दिष्ट रीति में विनिश्चित किया जाएगा।
- 31. प्राधिकारी जिसे आवेदन किया जा रहा है -- यथास्थिति, नियम 29 या नियम 30 के अधीन कोई आवेदन दो प्रतियों में किया जाएगा -
- (क) भारत में -
 - (i) विदेशी क्षेत्रीय रिजस्ट्रीकरण अधिकारी को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई या अमृतसर में स्थित है, जो उसे केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय को भेजेगा : या
 - (ii) गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग को भेजेगा ;
- (ख) भारत से बाहर-
 - (i) भारतीय मिशन को या उस देश में जहां का आवेदक नागरिक है पर अधिकारिता रखने वाले भारतीय मिशन को डाक द्वारा ; या

- (ii) जहां वह अपनी नागरिकता के देश में नहीं है भारतीय मिशन को या ऐसे देश पर अधिकारिता रखने वाले भारतीय मिशन को जिसमें आवेदक मामूली तौर पर निवास कर रहा है।
- 32. आवेदन की संवीक्षा- (१) केन्द्रीय सरकार, आरंभिक संवीक्षा के पश्चात् प्रकट रूप से यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के विरुद्ध कोई विपरीत जानकारी उपलब्ध नहीं है व्यक्ति को यथासंभव शीघ्र भारतीय विदेशी नागरिक के रूप में किंतु तीस दिन की अविध के अपश्चात् नहीं, रिजस्टर कर सकेगी और भामले को पूर्ववृत के पश्च सत्यागन के लिए रखेगी।
- (2) केन्द्रीय सरकार, आवेदक के विरुद्ध कोई विपरीत सूचना है ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर रिजस्ट्रीकरण अनुदत्त करना स्वीकार या नामंजूर कर सकेगी।
- 33. धारा ७क के अधीन व्यक्ति को रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और रिजस्टर का अनुरक्षण करना (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा ७क के अधीन भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रिजस्ट्रीकृत है प्ररूप २९ में रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जो भारत सरकार के अवर सचिव पंक्ति से अन्यून अधिकारी द्वारा हरताक्षारत होगा।
- (2) इस नियम के अधीन जारी भारत के विदेशी नागरिक का प्रमाण पत्र की एक प्रति को जारी कर्ता प्राधिकारी द्वारा उसे अभितेय के लिए संरक्षित किया जाएगा ।
- (3) जारी कर्ता प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 30 में धारा 7क के अधीन भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के नाम और अन्य ब्यौरों का एक रजिस्टर रखेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में गृह मंत्रालय को भेजेगा ।
- 34. विदेशी नागरिकता के त्यजन की घोषणा (1) धारा ७ग के अधीन भारत की विदेशी नागरिकता त्यजन की घोषणा प्ररूप ३१ में होगी, जिसके साथ भारत के विदेशी नागरिक के रिजस्ट्रीकरण का मूल प्रमाण पत्र, रांबंधित भारतीय मिशन या पोस्ट या गृह मंत्रालय, भारत सरकार को जो उसे प्राधिकारी को भेजेगा जिसने उक्त भारत के विदेशी नागरिक का रिजस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया था ।
- (2) ऐसे घोषणा के प्राप्त होने पर, जारीकर्ता प्राधिकारी प्ररूप 32 में अभिस्वीकृति जारी करेगा और भारत के विदेशी नागरिक के रिजस्टर से ऐसा नाम काट देगा ।
- 35. भारत के विदेशी नागरिक के रिजस्ट्रीकरण का रहकरण (1) जहां किसी भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रिजस्ट्रीकरण के रहकरण का आदेश किया जाता है, व्यक्ति जिसका रिजस्ट्रीकरण रह जब किया जाता है तो इस प्रकार वंचित व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जिसके कब्जे में सुसंगत रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र है, केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में सूचना द्वारा यह अपेक्षा

होगी कि ऐसा व्यक्ति उक्त प्रमाण पत्र और ऐसी अवधि के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, परिदत्त कर दे।

- (2) प्रमाण पत्र के परिदान हो जाने पर यह रहकरण होगा और प्रमाण-पत्र परिदान नहीं होने की दशा में केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि यह रहकरण किया हुआ समझा जाएगा ।
- (3) जारीकर्ता प्राधिकारी, भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रिजस्ट्रीकरण के रहकरण का कथन करते हुए, नियम 33 के उपनियम (3) के अधीन रखे गए रिजस्टर में समुचित प्रविष्ट करेगा।

भाग 7 प्रकीर्ण

- 36. आवेदक या घोषणा के प्ररूप में फेरफार जहां कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन किसी आवेदन या घोषणा करने की इच्छा करता है, केन्द्रीय सरकार या अन्य प्राधिकारी, जिसे रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन भेजा जाना है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उक्त अन्य प्राधिकारी किसी अन्य प्ररूप में आवेदन या घोषणा करने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे।
- 37. शंका के मामले में नागरिकता का प्रमाण पत्र धारा 13 के अधीन शंका के मामले में नागरिकता का प्रमाण पत्र प्ररूप 33 में जारी होगा और भारत सरकार के अवर सचिव रैंक से अन्यून किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।
- 38. प्राधिकारी जिसके समक्ष आवेदन या घोषणा की जा सकेगी या जिसके द्वारा राज्य निष्ठा की शपथ प्रतिज्ञान के लिए शपथ दिलाई जा सकेगी -- (1) इन नियमों के अनुसरण में किया गया कोई आवेदन या घोषणा तब तक स्वीकार या रिजस्टर नहीं होगी और धारा 5 की उपधारा (2) या धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित राज्य निष्ठा की शपथ तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह निम्नलिखित के समक्ष हस्ताक्षरित या नहीं दिलाई जाती ,—
 - (i) भारत में कलक्टर, उपायुक्त, या जिला मजिस्ट्रेट ;
 - (ii) भारत से बाहर नागरिकता (भारत कौंसलीवास में रिजस्ट्रीकरण) नियम 1956 के नियम 2 के खंड (घ) में परिमाषित कोई कौंसलीय आफिसर :

परंतु यदि आवेदक, भारत में, संघ की नौसेना, थल सेना या वायु सेना में सेवारत है, आवेदन या घोषणा उन किसी बलों में किसी कमीशन धारक किसी आफिसर की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर सकेगा या उसके द्वारा शपथ दिलाई जा सकेगी।

(2) नियम 11 या 12 में किसी बात के होते हुए भी, किसी विदेशी नागरिक से किसी भारतीय नागरिक के विवाह से भारतीय नागरिक के रूप में धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन कोई आवेदन भारतीय कौंसलावास या दूतावास या मिशन में जहां का वह निवासी है, किया जा सकेगा जो केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय को विचार के लिए भेजेगा।

- 39. दस्तावेजों के प्रमाण पत्र जारी करना-- किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संबंद्ध प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र करने पर की इन नियमों के प्रयोजनों के लिए ऐसी प्रति है जारी की जा सकेगी।
- **40. अन्य देश भी नागरिकता के अर्जन का अवधारण करने के लिए प्राधिकारी** (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 9 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए, जहां कोई विवाधक का अवधारण है कि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता कब, कैसे अर्जित कर सकेगा ऐसे प्राधिकारी का अवधारण करेगी ।
- (2) केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे विवाधक के अवधारण में अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के नियमों का सम्यक् पालन करेगी ।
- 41 .फीस-- यथास्थिति अनुसूची 4 के स्तंभ (3) के अधीन या स्तंभ (4) के अधीन विनिर्दिष्ट फीसें उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) के अधीन निर्दिष्ट मामलों के संदर्भ में उद्गृहीत और वसूली जाएगी।
- 42. विहित प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन किए गए आदेशों के पुनिवलोकन के लिए प्राधिकारी यदि अधिनियम के उपबंधों के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन किया जाता है, उस प्राधिकारी से एक पंक्ति उच्च प्राधिकारी द्वारा जिसके आदेश के विरुद्ध उक्त पुनर्विलोकन लाया गया है प्रभावी व्यक्ति को उसके मामले में युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् निपटान किया जाएगा ।
 - 43. निरसन और व्यावृत्ति -- नागरिकता नियम, 1956, निरसित किए जाते हैं : परंतु ऐसे निरसन का निम्नलिखित प्रभाव नहीं होगा --
 - (क) उक्त नियमों के पूर्ववर्ती कार्यान्वयन या उसके अधीन की गई कोई बात या सहन की गई कोई बात, या
 - (ख) उक्त नियमों के अधीन, प्राप्त बाध्यताएं या दायित्व, प्रोद्भूत या उद्भूत कोई अधिकार, विशेषाधिकार ; या
 - (ग) उक्त नियमों के विरद्ध किया गया कोई अपराध की बाबत प्रोदभूत कोई शास्ति, समपहरण या दंड ; या
 - (घ) दायित्व, शास्ति, संपहरण या दंड की बाबत कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियां या उपचार,

और किसी ऐसे अन्वेषण, विधि कार्यवाहियां या उपचार संस्थित या जारी या प्रवृत्त किये जा सकेंगे और कोई ऐसा जुर्माना, संपहरण या दंड अधिरोपित किया जा सकेंगा जैसे उक्त नियमों का निरसन नहीं किया गया है।

अनुसूची 1 (नियम 2 (ग) देखिए) प्ररूप 1 (नियम 3 देखें) नागरिकता नियम, 2009

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 4 (1) के अधीन भारतीय काउंसलेट को किसी अप्राप्तवय बालक के जन्म का रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

टिप्पणः कृपया स्पष्ट अक्षरों में लिखे / मुद्रित करें ।

भाग 1

फोटो चित्र

1.	(ক)	अप्राप्तवय बच्चे का पूरा नाम
2.	लिंग	3. जन्म का देश और स्थान
		की तारीख
5.	पहच	ग न का चिह्न
6.	वर्तम	गन पता
7.	(i)	पिता का पूरा नाम
	(ii)	जन्म/विरासत/रजिस्ट्रीकरण */देशीयकरण * द्वारा भारत का नागरिक
	(iii)	उपजीविका
	(iv)	पासपोर्ट विशिष्टियां: (क)देश(ख)संख्याकं
8.	(i)	माता का पूरा नाम
-	(ii)	जन्म/विरासत/रजिस्ट्रीकरण */देशीयकरण * द्वारा भारत की नागरिक
		उपजीविका
	(iv)	पासपोर्ट की विशिष्टियां (क) देश(ख)संख्यांक
	• /	•

भाग 2

और की/ का म	भारत का/ की नागरिक हूं गता या पिता हूं, जिससे पूर्वगामी विशिष्टियां संबद्ध हैं । मैं अपने के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करता/करती हूं ।
तारीख	. माता या पिता के हस्ताक्षर
10. मैं, घोषणा करती/करता हूं कि मेरा का पासपोर्ट धारण नही करता/व	.की/का माता या पिता होने के कारण सत्यनिष्ठा और शुद्ध हृदय से बच्चा जिससे पूर्वगामी विशिष्टियां संबद्ध है, किसी अन्य देश ** oरती है ।
11. मैं, कथित पूर्वगामी विशिष्टियां सही हैं शुद्ध अंतःकरण से करता/करत	सत्यनिष्ठा और शुद्ध ह्दय से घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन में हैं और मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा यह विश्वास करते हुए कि वह सही हि हूं।
	माता या पिता के हस्ताक्षरको मेरे समक्ष की गई और उस पर हस्ताक्षरित किए गए
हैं ।	***हरताक्षर ***पदाभिदान
	हरण से भारत का नागरिक है तो कृपया यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण या पंख्यांक और तारीख का उल्लेख करें ।
** नागरिकता नियम. 2009 व	हे नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी जिसके समक्ष घोषणा की

** नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी जिसके समक्ष घोषणा की जाती है या राजनिष्ठा की शपथ ली जाती है के हस्ताक्षर और पदाभिधान (अर्थात् नागरिक (भारतीय कोंसुलेट में रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1956 के नियम 2(घ) में यथापरिभाषित कोई कौंसलीय

आफिसर ।)

(यह प्ररूप जब पूरा हो जाता है तो उस देश में जिसमें आवेदक मामूली तौर पर निवासी है, भारतीय मिशन/पोस्ट को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।)

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

- 1. बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र की प्रति ।
- 2. माता और पिता के पासपोर्ट की प्रातियां।
- 3. भारतीय नागरिकता के प्रमाणपत्र की प्रति यदि रिजस्ट्रीकरण/देशीयकरण द्वारा अर्जित की है।
- 4. माता या पिता के विवाह के प्रमाणपत्र की प्रति ।

प्ररूप 2

[नियम 4(1)(क) देखें)] नागरिकता नियम, 2009

भारतीय उद्भव के किसी व्यक्ति द्वारा भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण् के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(क) के अधीन आवेदन

टिप्पण : कृपया स्पष्ट अक्षरों में लिखें/मुद्रित करे

	-	-
-	41	
-1	- 1	- 0

फोटो चित्र

1. मैं,(आवेदक व	का पूरा नाम) निवासी (पूरा डाव नरे	ह का पता) का वयः प्राप्त जिला राज्य और देश
ा. न, और पूर्ण सामर्थ्य का/की हूं तथा सहित) में पैदा हुआ था/हुई थी और	का नागरिक है ।	, (3,01),
2. मेरे पिता का पूरा नाम (तहसील, जिला, राज्य और देश सहित नागरिक हैं ।	है/था और वह त) में पैदा हुए थे और वह	कोकोके
3. मेरी माता का पूरा नाम(तहसील, जिला, राज्य और देश सहित) रे	है/था और वह में पैदा हुई थी और वह	कोको की नागरिक है ।
 मेरी पत्नी का/मेरे पति का पूरा नाम (तहसील, जिला, राज्य और देश वहका/की नागरिक है 	सहित)पदा	को हुई थी/हुए थे और
5. भारत में निवास का ब्यौरा :		

(क) भारत में प्रवेश की तारीख	•••
(ख) मैंने आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व	
12 मास की संपूर्ण अवधि के दौरान भारत में निरंतर निवास किया है	हां/नही
(ग) बारह मास की उक्त अवधि से टीक पूर्व आठ वर्षों के दौरान,	
मैंने कुल मिलाकर छह वर्ष की अन्यून की अवधि तक भारत	
में निवास किया है।	हां/नहीं

क्रम सं0	पिछले नौं वर्षों में भारत में निवास के पते सहित ब्यौरे	तारीख से	तारीख तक	वर्ष मास
1	2	3	4	5
i				

6.	(क) लिंग(ख) उपजीविका
	(ग) यदि सेवा में है, तो नियोजक का पता
	(घ) पहचान का चिह्न
7.	पासपोर्ट की विशिष्टियां :
	(ख) संख्यांक
	वीजा कब तक विधिमान्य है
9.	कुटुम्ब के उन सदस्यों के ब्यौरे जो आवेदक के साथ भारत में रह रहे हैं।

क्रम सं0	नाम	पता	नातेदारी	आयु
1	2	3	4	5

10. दांडिक कार्यवाहियों के ब्यौरे, यदि कोई हैं :

क्रम सं0	दांडिक कार्यवाहियों के	मामला रजिस्ट्रीकरण	मामले की वर्तमान	न्यायालय का
	ब्यौरे	की तारीख और स्थान	प्रास्थिति	विनिश्चय
1	2	3	4	5

था. कथित किए जाएं ।)

भाग 2

11. मैंने भारत की नागरिकता पहले त्याग दी/नहीं त्यागी है अथवा मुझे भारत की नागरिकता से पहले वंचित कर दिया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि आवेदक ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है तो यहां वह तारीख कथित की जाए जिसको त्याजन की घोषणा की गई थी ; अथवा यदि उसे अपनी नागरिकता से वंचित किया गया है तो वह तारीख जिसको और वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा वंचित किए जाने का आदेश दिया गया

- 12. मैंने इससे पहले भारत के नागरिक के रूप में रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है/नहीं किया है और आवेदन नामंजूर किया गया है/नहीं किया गया है।
- 13. मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि मेरा आशय भारत को स्थायी गृह बनाने का है और में वचन देता हूँ/देती हूं कि मैं मेरा आवेदन मंजूर हो जाने की दशा में अपने देश की नागरिकता त्याग दूंगा/त्याग दूंगी ।

14. मैं,सत्यनिष्ठा औ आवेदन में कथित पूर्वगामी विशिष्टियां सही हैं तथ हुए कि वह सही हैं, शुद्ध अंतःकरण से करता हूं/क	ा मैं यह सत्यनिष्ठा से घोषणा, यह विश्वास करत
तारीख	हस्ताक्षर
उक्त घोषणा आज तारीख 20 को मेरे सम	क्ष की गई है और उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
	* हस्ताक्षर
	* पदाभिधान
कि में गरका है। और यह कि मैं	के मैं देशीयकरण से भिन्न भारतीय नागरिक हूं ; का/की सालिसिटर या अभिकर्ता नहीं हूं गरतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन में किए ।
	हस्ताक्षर
	नाम (स्पष्ट अक्षरो में)
	पुरा डाक पता

राजनिष्ठा की शपथ

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं और ईश्वर की शपथ लेता
हुं/लेती हूं कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची वफादारी और राजनिष्ठा
रखुंगा/रखुंगी और मैं भारत की विधियों का वफादारी से अनुपालन करूंगा/करूंगी और भारत के
नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करूंगा/करूंगी ।
हस्ताक्षर
आज तारीख20 को मेरे समक्ष प्रतिज्ञान किया गया/शपथ ली गई और उस पर हस्ताक्षर किए गए ।
* हस्ताक्षर
* पदाभिधान
* नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत उस अधिकारी के हस्ताक्षर और
पदाभिधान जिसके समक्ष रजिस्ट्रीकरण किया जाता है, घोषणा की जाती है या राजनिष्ठा की शपथ
ली जाती है । (अर्थात् कलक्टर, उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट)

(पूरा हो जाने पर यह प्ररूप तीन प्रतियों में उस कलक्टर/उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए, जिसकी अधिकारिता में आवेदक मामूली तौर से निवासी है जिससे कि वह उसे, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को संप्रेषित कर दे।

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

- 1. विधिमान्य विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति ।
- 2. विधिमान्य आवास परिमिट की एक प्रति ।
- 3. माता-पिता की जन्म तिथि का साक्ष्य अर्थात् पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र की एक प्रति
- 4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शीर्ष सं0 "0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-अन्य सेवाएं-नागरिकता अधिनियम के अधीन प्राप्तियां" के अधीन घोषणा और राजनिष्ठा की शपथ के मद्दे जमा 500/- रुपए की रकम के बैंक चालान की मूल प्रति ।

प्ररूप 3

(प्ररूप 5(1)(क) देखें) नागरिकता नियम, 2009

ऐसे व्यक्ति द्वारा जो भारत के किसी नागरिक से विवाहित हैं या रहा है, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1) (ग) के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

टिप्पणः कृपया स्पष्ट अक्षरों में लिखें/मुद्रित करें

भाग 1

				_	_
_	•		1	_	
ю		7	п		
-		•	н	-	

1. मैं, (पूरा नाम वर्णित करें) निवासी (आवेदक का डाक का पूरा पता, व पूर्ण सामर्थ्य का/की हूँ तथातहसील, जिला और राज्य औ पैदा हुआ था/हुई थी औरका/की नागरिक हूँ ।	का वयः प्राप्त और रिदेश सहित) में
2. मेरे पिता का पूरा नामहै/ध 	साहत) म
को नागरिक हैं ।	•••••
े भी गांस का जाम है और वह	(तहसील,
3. मेरी माता का नामहै और वहमें पैदा वहमें पैदा वहमें पैदा वह	हुई थी और
4. मेरी(पति/पत अंतःस्थापित करें) सेको(तहसील, जिला सहित) पर विवाह हुआ था ।	नी का पूरा नाम , राज्य और देश
5. मेरा पति/पत्नीको(तहसील, जिला, सिहत)पर पैदा हुआ था/हुई थी और वह जन्म/विरासत/रजिस्ट्रीकरण भारत का/की नागरिक हैं/था/थी ।	राज्य और देश */देशीयकरण* से
 मेरा विवाह अब भी अस्तित्व में है भारत में निवास का ब्यौराः 	हां/नहीं
(क) भारत में प्रवेश की तारीख	•••••
(ख) मैंने आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व	
12 मास की संपूर्ण अवधि के दौरान भारत	
में निरंतर निवास किया है	हां/नहीं
(ग) बारह मास की उक्त अवधि से ठीक पूर्व	
आठ वर्षों के दौरान, मैंने कुल मिलाकर छह वर्ष की	हां/नहीं
अन्यून की अवधि तक भारत में निवास किया है ।	e.,

क्रम सं0	पिछले नौ वर्षों में भारत में निवास के पते सहित ब्यौरा	तारीख से	तारीख तक	वर्ष
1	2	3	4	5
]		

8.	(क) लिंग	(শু) उपजीविका
	(ग) यदि सेव	में है तो नियोजक का नाम और पता
	(घ) पहचान	का चिन्ह
9.	पासपोर्ट की वि	शोष्टियां
	(क) देश	(ख)संख्यांक
10.	वीजा कब तक	विधिमान्य है
4.4	कर्नन के ज	न चाराजां के भौरे जो आतेरक के साथ भारत में रहते हैं:-

क्र. सं.	नाम	पता	नातेदारी	आयु
1	2.	3	4	5
			İ	
	:			

12. दांडिक कार्यवाइयों के ब्यौरे, यदि कोई हों-

क्र. सं.	दांडिक कार्यवाइयों की	मामले के	मामले की वर्तमान	i
	प्रकृति	रजिस्ट्रीकरण की	प्रास्थिति	विनिश्चय की
	-	तारीख और स्थान		तारीख
1	2	3	4	5

भाग 2

13. मैंने भारत की नागरिकता पहले त्याग दी/नहीं त्यागी है या मुझे भारत की नागरिकता से पहले वंचित कर दिया गया है/नहीं किया गया है ।

(यदि आवेदक ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है तो यहां वह तारीख कथित की जाए जिसको त्यजन की घोषणा की गई थी ; या यदि उसे भारतीय नागरिकता से वंचित किया गया है तो वह तारीख जिसको और वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा वंचित किए जाने का आदेश दिया गया था, कथित किए जाएं।)

- 14. मैंने इससे पहले भारत के नागरिक के रूप में रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है/नहीं किया है और आवेदन नामंजूर किया गया है/नहीं किया गया है ।
- 15. मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरा आशय भारत को स्थायी गृह बनाने का है और मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मेरा आवेदन मंजूर हो जाने की दशा में अपने देश की नागरिकता त्याग दूंगा/त्याग दूंगी।
- 16. मैं......सत्यनिष्ठा और शुद्ध हृदय से घोषणा करता हूं/करती हूं कि इस आवेदन में किथित पूर्वगामी विशिष्टियां सहीं हैं तथा मैं यह सत्यनिष्ठा से घोषणा यह विश्वास करते हुए कि वे सही हैं, शुद्ध अंतःकरण से करता हूँ/करती हूँ ।

तारी	ख				6////4////	**************************************	•
सक्त	। घोषणा आज ता	रीख		20	को मेरे स	मक्ष की गई है	और
उस	पर हस्ताक्षर किए	गए हैं।			under de la companya		
٠			#			 T	
हुँ भे	मैं कथन करता और यह	कि मैं ट्रारा	का/क	ा सालिसाटर भारतीय ना	भारतीय नागरिक १ या अभि गरिकता के लि	हूँ ; कि मैंा कर्ता नहीं ए अपने आवेद	ृहस्थ हूँ न में
किप	र गए कथनों की	शुद्धता संप्रम	ाणित करता/क	ज्स्ती हूं ।			

हस्ताक्षरः.....

पूरा डाक पता.....

*पदाभिमानं.....

राजनिष्ठा की शपथ

मैं, सत्यनिष्ठा से !	प्रतिज्ञा करता	हूँ/करती हूँ	और ईश्वर	की शपथ व	नेता
हूँ/लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भ	गरत के संविध	ान के प्रति	सच्ची वफादारी	और राजान और अपन	ाष्टा चे
रखूंगा/रखूंगी और मैं भारत की विधियों	का वफादारी	स अनुपालन	करगा/करगा	आर मारत	प्र
नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा व	करुगा/करुगा	,			
		*हस्ताक्षर			
			^	0	
आज तारीख	20	को ३	मेरे समक्ष प्रतिः	ज्ञान किया	
गया/शपथ ली गई और उस पर हस्ताक्षर ि	किए गए हैं।				

- * यदि रिजस्ट्रीकरण या देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है तो कृपया यथास्थिति रिजस्ट्रीकरण या देशीयकरण के प्रमाणपत्र की सं. और तारीख निर्दिष्ट करें।
- ** नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत उस अधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिधान जिसके समक्ष रजिस्ट्रीकरण किया जाता है, घोषणा की जाती है या राजनिष्ठा की शपथ ली जाती है। (अर्थात् कलक्टर, उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट)

(पूरा हो जाने पर यह प्ररूप तीन प्रतियों में उस कलक्टर/उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए जिसकी अधिकारिता में आवेदक मामूली तौर से निवासी है जिससे कि वह उसे, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को संप्रेषित कर दे।)

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

- 1. विधिमान्य विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति ।
- 2. विधिमान्य आवास परिमट की एक प्रति ।
- 3. स्वयं के/उसके पित/उसकी पत्नी की भारतीय नागरिकता का साक्ष्य जैसे भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र की प्रति ।
- 4. विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाणपत्र की एक प्रति ।
- 5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शीर्ष सं. "0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-अन्य सेवाएं-नागरिकता अधिनियम के अधीन प्राप्तियां" के अधीन घोषणा और राजनिष्ठा की शपथ के मद्दे जमा 500/- रुपए की रकम के बैंक चालान की मूल प्रति ।

प्ररूप 4

(नियम 6(1)(क) देखें)

नागरिकता नियम, 2009

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1) (घ) के अधीन किसी अप्राप्तवय बच्चें के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

टिप्पणः कृपया स्पष्ट अक्षरों में लिखें/मुद्रित करें

	-
ж	11 7

		•	यान ।		
	-		·	•	फोटोचित्र
			•		
		·	•		
1. अप्र	ाप्तव	य बच्चे का पूरा नामः		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		(3)			
		गे तारीख			
		ा का चिन्ह		•	
		पता			
7. (i) 1	पेता का पूरा नाम			*****
•	•	जन्म/विरासत/रजिस्ट्रीकरण	/देशायकरण* द्वारा ग	गरत का नागारक	
(i	ii)	उपजीविका		(X 9	·
(i	v)	पासपोर्ट विशिष्टियां : (क) देश	(ख) स	ख्याक
8. (i) मा	ता का पूरा नाम	***************************************		••••
(i	i)	जन्म/विरासत/रजिस्ट्रीकरण	/देशीयकरण* द्वारा १	गरत का नागरिक	
(i	iii)	उपजीविका			•
(iv)	पासपोर्ट विशिष्टियां : (क) देश	(ख) र	ांख्यांक
					¥
9. ਵ	ंडिव	न कार्यवाइयों के ब्यौरे, यदि			
क्र. सं	•	दांडिक कार्यवाइयों की	मामले के	मामले की वर्तमान	l <u> </u>
		प्रकृति	रजिस्ट्रीकरण की	प्रास्थिति	विनिश्चय की
			तारीख और समय		तारीख
1		2	3	4	5
					ļ
					·
	-				

भाग 2

	ठी नागरिक हूँ औरकी/का माता संबद्ध हैं । मैं अपने बच्चे की ओर से उसके जन्म हूँ ।
वचनबंध हूं कि मेरे बाल क को भारत की नाग	ो बाबत भारत को स्थायी घर बनाना चाहता हूं और रिकता मंजूर किए जाने कि दशा में, यदि आवेदन त उसके देश की नागरिकता का त्याग कर दूंगा।
तारीख	माता-पिता/संरक्षक हस्ताक्षर
	ष्ठा और शुद्ध हृदय से घोषणा करता/करती हूँ कि रि मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा यह विश्वास करते हुए करती हूँ ।
तारीख	माता-पिता/संरक्षक हरताक्षर
यह घोषणा आत तारीख20 पर हस्ताक्षरित किए गए हैं ।	को मेरे समक्ष की गई है और उस
	** हरताक्षर ** पदाभिधान
मैं गृहस्थ हूँ ; और यह कि मैं	ह मैं देशीयकरण से भिन्न भारतीय नागरिक हूँ ; कि का/की सालिसिटर या अभिकर्ता नहीं हूँ भारतीय नागरिकता के लिए अपने न करता/करती हूँ ।
	हस्ताक्षर नाम पूरा डाक पता

*यदि रिजस्ट्रीकरण या देशीयकरण से भारत का नागरिक है तो कृपया यथास्थिति रिजस्ट्रीकरण या देशीयकरण के प्रमाण पत्र का संख्यांक और तारीख निर्दिष्ट करें। **नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी जिसके समक्ष घोषणा की जाती है या राजनिष्ठा की श्रपथ ली जाती है के हस्ताक्षर और पदाभिधान अर्थात् (जैसे कलक्टर, उपआयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट) ।

(पूरा हो जाने पर यह प्ररूप तीन प्रतियों में उस कलक्टर/उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए, जिसकी, जिसकी अधिकारिता में आवेदक मामूली तौर से निवासी है जिससे कि वह उसे, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को संप्रेषित कर दे।)

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

- 1. विधिमान्य विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति ।
- 2. विधिमान्य आवास परिमट की एक प्रति ।
- 3. माता-पिता दोनों की भारतीय नागरिकता का सबूत अर्थात् भारतीय पासपोर्ट/अन्य प्रमाण की प्रति ।
- 4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शीर्ष सं. "0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-अन्य सेवाएं नागरिकता अधिनियम के अधीन प्राप्तियां" के अधीन घोषणा के मद्दे जमा 250/ -रुपए की रकम के बैंक चालान की मूल प्रति ।
- 5. संरक्षक की दशा में संरक्षकता का सबूत संलग्न करें ।

प्ररूप 5

[नियम 7(1)(क) देखें] नागरिकता नियम, 2009

किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(क) या धारा 6(1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 5(1) (ड) के अधीन आवेदन

टिप्पण : कृपया स्पष्ट अक्षरों में लिखें/मुद्रित करें

भाग 1

फोटो चित्र

1.	मैं, निवासी (डाक का
पूरा	पता) वयः प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य का/की हूं तथा
	(तहसील, जिला, राज्य और देश सहित) में पैदा हुआ था/हुई थी
और	का/की नागरिक हूं ।
	, a
2.	मेरे पिता का पूरा नामहै/था और वहको
(तहसीट	ा, जिला, राज्य और देश सहित) में पैदा हुआ था और वह भारत के नागरिक के रूप में धारा
)/धारा 6(1) के अधीन प्रमाणपत्र संतारीखद्वारा रजिस्ट्रीकृत था ।
- (- / (-	,
3.	मेरी माता का पूरा नामहै/था और वहकोको
	ा, जिला, राज्य और देश सहित) में पैदा हुई थी और वह भारत के नागरिक के रूप में धारा
) /धारा 6(1) के अधीन प्रमाणपत्र संतारीखद्वारा रजिस्ट्रीकृत थी ।
•(,)(.	7 7 11 11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4	मेरे पत्नी का/मेरे पति का पूरा नामहै/था और
	को(तहसील, जिला, राज्य और देश सहित) में पैदा हुई थी/हुआ था
	का/की नागरिक है।
VII (
5. (क)	लिंग : (ख) उपजीविका :
` ,	• •
	(ग) यदि सेवा में है तो, नियोजक का नाम और पता :
	(घ) पहचान का चिन्ह :
6.	पासपोर्ट की विशिष्टियां :
	(क) देश : (ख) संख्यांक :
7.	वीजा कब तक विधिमान्य है :
0	करंब के अने महामों के होंगे जो भारतक के माश भारत में यह वहे हैं ।

क्र.सं.	नाम	पता	नातेदारी	आयु
1	2	3	4	5

9. दांडिक कार्यवाहियों के ब्यौरे, यदि कोई हों :

क्र.सं.	दांडिक कार्यवाहियों की प्रकृति	मामला रजिस्ट्रीकृत होने की तारीख और स्थान	मामले की वर्तमान प्रास्थिति	न्यायालय का विनिश्चय
1	2	3	4	5
.		·		
•				

भाग 2

10. मैंने भारत की नागरिकता पहले त्याग दी/ नहीं त्यागी है अथवा मुझे भारत की नागरिकता से पहले वंचित कर दिया गया है/ नहीं किया गया है।

(यदि आवेदक ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है तो यहां वह तारीख कथित की जाए जिसको त्यजन की घोषणा की गई थी ; अथवा यदि उसे भारतीय नागरिकता से वंचित किया गया है तो वह तारीख जिसको और वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा वंचित किए जाने का आदेश दिया गया था, कथित किए जाएं ।)

- 11. मैंने इससे पहले भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है/ नहीं किया है और आवेदन नामंजूर किया गया है/ नहीं किया गया है।
- 12. मैं घोषणा करता हूं/ करती हैं कि मेरा आशय भारत को स्थायी गृह बनाने का है और मैं वचन देता हूं/ देती हैं कि मैं मेरा आवेदन मंजूर हो जाने की दशा में अपने देश की नागरिकता त्याग दूंगा/ त्याग दूंगी ।

13. 甲,	सत्यानच्या आर शुद्ध हृदय स वायणा परसा ह
करती हैम कि इस आवेदन में कथित पूर्वगार्म	ो विशिष्टियां सही हैं तथा मैं यह सत्यनिष्ठा से घोषण
यह विश्वास करते हुए कि वे सही हैं, शुद्ध अं	तःकरण से करता हूं/ करती हैं ।
	•
तारीख	हस्ताक्षर
	o ())
उक्त घोषणा20को मेरे समक्ष	न की गई है और उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
•	
	*हस्ताक्षर

पदाभिधान...

14. मैं, यह कथन करता/ करती हैं कि मैं देशीयकरण से भिन्न भारतीय नागरिक हूं ; कि मैं गृहस्थ हूं ; और यह कि मैं
हरताक्षर नाम पूरा डाक पता
राजनिष्ठा की शपथ
में, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/ करती हैं और ईश्वर की शपथ लेता हूं/ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा यथारथापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची वफादारी और राजनिष्ठा रखूंगा/ रखूंगी और मैं भारत की विधियों का वफादारी से अनुपालन करूंगा/ करूंगी और भारत के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करुंगा/ करुंगी ।
हस्ताक्षर
आज तारीख20को मेरे समक्ष प्रतिज्ञान किया गया/ शपथ ली गई और उस पर हस्ताक्षर किए गए ।
*हस्ताक्षर * पदाभिधान

* नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत उस अधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिधान जिसके समक्ष रजिस्ट्रीकरण किया जाता है, घोषणा की जाती है या राजनिष्ठा की शपथ ली जाती है। (अर्थात् कलक्टर उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट)

(पूरा हो जाने पर यह प्ररूप तीन प्रतियों में से उस कलक्टर उपायुक्त जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए, जिसकी अधिकारिता में आवेदक मामूली तौर से निवासी है जिससे कि वह उसे, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को संप्रेषित कर दे।

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

- विधिमान्य विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति ।
- 2. विधिमान्य आवास परमिट की एक प्रति ।
- 3. माता-पिता दोनों के नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(क) या धारा 6(1) के अधीन जारी भारतीय नागरिकता के प्रमाणपत्रों की प्रतियां ।
- 4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शीर्ष सं. "0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-अन्य सेवाएं-नागरिकता अधिनियम के अधीन प्राप्तियां" के अधीन धोषणा और राजनिष्ठा की शपथ के मद्दे 500/ -रुपए की रकम के बैंक चालान की मूल प्रति ।

प्ररूप 6

(नियम 8(1)(क) देखें) नागरिकता नियम, 2009

किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो या माता-पिता में से एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था, नागरिकता अधिनियम 2008 की धारा 5(1)(च) के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए के लिए आवेदन

टिप्पण : कृपया स्पष्ट अक्षरों में लिखें/मुद्रित करें

भाग 1

फा	1727

1.	मैं,,		(पूरा र	नाम उलि	लखित	करें) नि	नेवासी	(पूरा र	डाक	का प्र	ाता) व	वयः
			की हूं तथा									
राज्य	और देश र	महित) में पैद	ा हुआ था/हुई	थी औ	₹	का/की	नागरि	कहै।	·	·		
2.	मेरे	पिता	का	पूरा	ना	म		• • • • • • • • • •	हे/	था	. (और
वह	•••••	को	(तहसील,	जिला,	राज्य	और	देश	सहित)	में	पैदा	हऐ	थे
		का न						,			<i>3</i> ,	·
3.	मेरी	माता	का	पूरा	,	नाम		•••••	हे/१	था	3	भौर
वह		को	(तहसील,	जिला,	राज्य	और	देश	सहित)	में	पैदा	हुई	थी
		ागरिक है।							-		U	
4.	मेरे/मेरी	(पति/पत्नी	के) पत	ा का	पूरा	नाम		••••••		हे/थ	Т 3	गौर
			(तहसील, ी									
			≥1						9	•	•	

		THE GAZETITOT IND			[IANTI SEC.						
5. नागरिक हूँ/रहे हैं	ता अपि	मेरे माता-पिता में से कोई मेरे या उ र्जित कर लेने के परिणामस्वरूप धारा									
6.	s. भारत में निवास का ब्यौरा :										
	(क) भारत में प्रवेश की तारीख :										
	(ख) मैन आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व 12 मास की संपूर्ण अवधि के दौरान भारत में निवास किया है हां/नहीं										
		ने बारह मास की उक्त अवधि से ठीक	र पूर्व								
आठ वर्षों के दौरान कुल मिलाकर छह वर्ष की अन्यून अवधि तक भारत में निवास किया है । हां/नहीं											
क्रम सं	0	पिछले नौ वर्षों में भारत में निवास के पते सहित ब्यौरा	तारीख से	तारीख तक वर्ष मास							
1		2	3	4	5						
7.	(ग) ट	लेंग : (ख) उपर्ज वि सेवा में है तो, नियोजक का नाम हिचान का चिन्ह :	और पता :								
8.	पासपोर्ट की विशिष्टियां : (क) देश :(ख) संख्यांक :										
9.	वीजा	कब तक विधिमान्य है :									
10.	कुटुंब	के उन सदस्यों के ब्यौरे जो आवेदक	के साथ भारत में	रह रहे हैं :							
		······································									

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पता	नातेदारी	आयु
1	2	3	4	5
İ				

11. वांडिक कार्यवाहियों के ब्यौर, यदि कोई हों :

क्र.सं.	वांडिक कार्यवाहियों की प्रकृति	मामला रजिस्ट्रीकृत होने की तारीख और स्थान	मामले की वर्तमान प्रास्थिति	न्यायालय के विनिश्चय
1	. 2	3	4	5
			•	
		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		

भाग 2

12. मैंने भारत की नागरिकता पहले त्याग दी/ नहीं त्यागी है अथवा मुझे भारत की नागरिकता से पहले वंचित कर दिया गया है/ नहीं किया गया है।

(यदि आवेदक ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है तो यहां वह तारीख कथित की जाए जिसको त्यजन की घोषणा की गई थी ; अथवा यदि उसे अपनी नागरिकता से वंचित किया गया है तो वह तारीख जिसकों और वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा वंचित किए जाने का आदेश दिया गया था, कथित किए जाएं)

- 13. मैंने इससे पहले भारत के नागरिक के रूप में रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है/ नहीं किया है और आवेदन नामंजूर किया गया है/ नहीं किया गया है।
- 14. मैं घोषणा करता हूं/ करती हैं कि मेरा आशय भारत को स्थायी गृह बनाने का है और मैं वचन देता हूं/ देती हैं कि मैं मेरा आवेदन मंजूर हो जाने की दशा में अपने देश की नागरिकता त्याग दूंगा/ त्याग दूंगी ।

15.	में			••••••	. सत्यनिष्ठ	ा और	शुद्ध	हृदय	से घोषणा	करत	ा हूं/
करती	हूं कि इस	आवेदन	में कथित	पूर्वगामी	विशिष्टियां	सही हैं	तथा	मैं यह	सत्यनिष्ठा	से घं	ोषणा
यह वि	श्वास करते	हुए कि	वे सही हैं,	शुद्ध अंत	तःकरण से व	रुरता हूं	/ करत	ी हैं।			
٠											•

•	•				
तारीख			ह	स्ताक्षर	
	e de la companya de l		•		•
उक्त घोषणा20	को मेरे समक्ष	की गई है	और उस प	र हस्ताक्षर किए	गए हैं।

*हस्ताक्षर.	٠.										

16. मैं, अधोहस्ताक्षरी, कथन करता/ करती हैं कि मैं देशीयकरण से भिन	न भारतीय नागरिक हूं ;
यह कि मैं गृहस्थ हूं ; और यह कि मैंका/की सालिसि	टर या अभिकर्ता नहीं हूं,
मैंभारतीय नागरिक	ता के लिए अपने आवेदन
में किए गए कथनों की शुद्धता संप्रमाणित करता/ करती हूं ।	
हस्ताक्षर.	
नाम	
पूरा डाक	पता
	•
राजनिष्ठा की शपथ	
	.
में, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/ करती हैं उ	
हूं/ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची	
रखूंगा/ रखूंगी और मैं भारत की विधियों का वफादारी से अनुपालन करूं	गा/ करूंगी और भारत के
नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करुंगा/ करुंगी ।	
	हस्ताक्षर
	c 3
आज तारीख20को मेरे समक्ष प्रतिज्ञान किया गया/ शपथ ली	गई और उस पर हस्ताक्षर
किए गए ।	
	ताक्षर
* पदा	भिधान

* नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत उस अधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिधान जिसके समक्ष रजिस्ट्रीकरण किया जाता है, घोषणा की जाती है या राजनिष्ठा की शपथ ली जाती है। (अर्थात् कलक्टर, उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट)

(पूरा हो जाने पर यह प्ररूप तीन प्रतियों में से उस कलक्टर/ उपायुक्त/ जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए, जिसकी अधिकारिता में आवेदन मामूली तौर से निवासी है जिससे कि वह उसे, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को संप्रेषित कर दे।

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

- 1. विधिमान्य विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति ।
- 2. विधिमान्य आवास परमिट की एक प्रति ।
- 3. ऐसा साक्ष्य कि आवेदक या माता-पिता में से को स्वतंत्र भारत का नागरिक था/थी अर्थात् पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र की एक प्रति ।
- 4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शीर्ष सं. "0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-अन्य सेवाएं -नागरिकता अधिनियम के अधीन प्राप्तियां" के अधीन धोषणा और राजनिष्ठा की शपथ के मद्दे 500/-रुपए की रकम के बैंक चालान की मूल प्रति।

प्ररूप 7 (नियम 9(1)(क) देखें) नागरिकता नियम, 2009

ऐसे व्यक्ति द्वारा जो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7क के अधीन भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, धारा 5(1)(छ) भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

टिप्पण : कृपया स्पष्ट अक्षरों में लिखें/मुद्रित करें

				भाग '	1				
						.	फोर्ट	चित्र	
							•		
1. प्राप्त राज्य	और पर्ण	सामर्थ्य का/की सहित) में पैदा	हूं तथा		. को		,(ग पता) (तहसील	का वयः ा, जिला,
2. ਕੁਛ	मेरे	पिता को	का . (तहसील,	पूरा जिला,	नाम राज्य 'औ	र देश सवि	 हेत) में	हे/था पैदा	और हुआ था
और	के	नागरिक हैं ।					•		
3.	मेरी	माता	का	पूरा	नाम	ੀ ਹਿ ਟੇ ਗ ਕ	है टि न) में	हे/था i पैटा	और इआ था
		नाता को	(तहसाल,	। সলা,	राज्य ज	\ 4\ \ \	ickly		5 ,
और	की	नागरिक हैं।							

वह	मेरे/मेरी (पति/ को. का/व	(तहसील, जि	का पूरा नाम ला, राज्य और देश	 सहित) में पै	है/था और दा हुई थी/हुआ था						
5.	मैं	को धारा	7क के अधीन भार सं0	त का विदेशी .तारीख	नागरिक के रूप है।						
6.	भारत में निवास										
	(क) भारत में प्रवेश की तारीख										
	(ख) मैंने आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व 12 मास की संपूर्ण अवधि के दौरान भारत में निवास किया है हां/नहीं										
	(ग) बारह मास क ठीक पूर्व आठ वष वर्ष की अन्यून अ	ी उक्त अवधि से ों के दौरान मैंने कुल विधि तक भारत में नि	ा मिलाकर छह वास किया है ।		हां/नहीं						
क्रम र		ास के पते सहित व्यौरा	तारीख	तारीख तक	वर्ष मास						
1		2	3	4	5						
7.	(क) लिंग :(ख) उपजीविका :										
8.	पासपोर्ट की विशिष्टियां : (क) देश : (ख) संख्यांक :										
9.	वीजा कब तक विधि	धेमान्य है :									

10. कुटुंब के उन सदस्यों के ब्यौरे जो आवेदक के साथ भारत में रह रहे हैं।

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पता	नातेदारी	आयु
1	2	3	4	5
	···			
	:			

11. दांडिक कार्यवाहियों के ब्यौर, यदि कोई हों :

क्र.सं.	दांडिक कार्यवाहियों की प्रकृति	मामला रजिस्ट्रीकृत होने की तारीख और स्थान	मामले की वर्तमान प्रास्थिति	न्यायालय का विनिश्चय
1	2	3	4	5
		. <u>.</u> .		

भाग 2

12. मैंने भारत की नागरिकता पहले त्याग दी/ नहीं त्यागी है अथवा मुझे भारत की नागरिकता से पहले वंचित कर दिया गया है/ नहीं किया गया है।

(यदि आवेदक ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है तो यहां वह तारीख कथित की जाए जिसको त्यजन की घोषणा की गई थी ; अथवा यदि उसे अपनी नागरिकता से वंचित किया गया है तो वह तारीख जिसको और वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा वंचित किए जाने का आदेश दिया गया था, कथित किए जाएं !)

- 13. मैंने इससे पहले भारत के नागरिक के रूप में रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है/ नहीं किया है और आवेदन नामंजूर किया गया है/ नहीं किया गया है ।
- 14. मैं घोषणा करता हूं/ करती हैं कि मेरा आशय भारत को स्थायी गृह बनाने का है और मैं वचन देता हूं/ देती हैं कि मैं मेरा आवेदन मंजूर हो जाने की दशा में अपने देश की नागरिकता त्याग दूंगा/ त्याग दूंगी ।

15. मैं,सत्यनिष्ठा और शुद्ध हृदय से घोषणा करता हूं/ करती है कि इस आवेदन में कथित पूर्वगामी विशिष्टियां सही हैं तथा मैं यह सत्यनिष्ठा से घोषणा यह विश्वास करते हुए कि वे सही हैं, शुद्ध अंतःकरण से करता हूं/ करती हैं ।
विश्वास करत हुए कि व सहा है, शुक्ष अवन्यरंग व करता है करता है।
तारीख हस्ताक्षर
आज तारीख20को मेरे समक्ष प्रतिज्ञान किया गया/ शपथ ली गई और उस पर हस्ताक्षर किए गए ।
*हस्ताक्षर * पदाभिधान
16. मैं, अधोहरताक्षरी, कथन करता/ करती हूं कि मैं देशीयकरण से भिन्न भारतीय नागरिक हूं ; कि मैं गृहस्थ हूं ; और यह कि मैं
हस्ताक्षर नाम पूरा डाक पता
राजनिष्ठा की शपथ
में,
हस्ताक्षर
आज तारीख20को मेरे समक्ष प्रतिज्ञान किया गया/ शपथ ली गई और उस पर हस्ताक्षर किए गए ।
*हस्ताक्षर * पदाभिधान

* नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत उस अधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिधान जिसके समक्ष रजिस्ट्रीकरण किया जाता है, घोषणा की जाती है या राजनिष्ठा की शपथ ली जाती है। (अर्थात् कलक्टर उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट)

(पूरा हो जाने पर यह प्ररूप तीन प्रतियों में से उस कलक्टर उपायुक्त जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए, जिसकी अधिकारिता में आवेदन मामूली तौर से निवासी है जिससे कि वह उसे, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को संप्रेषित कर दे।)

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

- 1. विधिमान्य विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति ।
- 2. धारा 7क के अधीन भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रिजस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र की एक प्रति ।
- 3. स्टेट बैंक आफ इंडिया में शीर्ष सं0 "0070-नागरिकता अधिनियम के अधीन प्रशासनिक सेवाए-अन्य सेवाएं-प्राप्तियां" के अधीन राजनिष्ठा की घोषणा और शपथ हेतु 500/-रु0 रकम के बैंक चालान की मूल प्रति ।

प्ररूप 8

[नियम 10(1)(क) देखें] नागरिकता नियम, 2009

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6(1) के अधीन भारत के नागरिक के रूप में देशीयकरण के लिए आवेदन

टिप्पण : कृपया स्पष्ट अक्षरों में लिखें/मुद्रित करें

भाग 1

फोटो चित्र

1. आवेदक का पूरा नाम....

यदि	वह किसी अन्य नाम से सामान्य रूप से जाना जाता है तो ऐसा नाम यहां प्रविष्ट करें
2.	वर्तमान पता
3.	(क) लिंग (ख) उपजीविका
	(ग) यदि सेवा में है तो नियोजक का नाम
4.	(घ) पहचान चिहन
5.	जन्म द्वारा राष्ट्रीयता
6.	वर्तमान राष्ट्रीयता, यदि भिन्न है
7.	(क) वैवाहिक स्थिति
	(ख) यदि विवाहित है तो विवाह की तारीख
-	और स्थान तथा दंपत्ति की राष्ट्रीयता
	(ग) पति या पत्नी का नाम
और में	पिता का पूरा नाम
और में	माता का पूरा नामहै निवासीहै निवासी
10.	क्या आवेदक किसी अन्य देश की प्रजा या नागरिक है जहां किसी भारतीय को उस देश की विधि या रुढ़ि द्वारा देशीयकरण द्वारा उस देश की प्रजा या नागरिक होने से निवारित करती है
11.	भारतीय मूल भाषाओं का नाम जिन्हें वह जानता है और उसके उन भाषाओं के ज्ञान की सीमा साक्ष्य सहित
12.	भारत में निवास का ब्यौरा
	(क) भारत में प्रवेश की तारीख
	(ख) मैने आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व बारह मास

की संपूर्ण अवधि के दौरान भारत में निवास किया है।

हां/नहीं

(ग) बारह मास की उक्त अवधि से ठीक पूर्व चौदह वर्ष के दौरान मैंने कुल मिलाकर ग्यारह वर्ष की अन्यून अवधि तक भारत में निवास किया है।

हां/नहीं

क्र.स.	पिछले चौदह वर्षों में भारत में निवास का पता सहित ब्यौरे	तारीख से	तारीख तक	वर्ष मास
1	2	3	4	5
	_			

13. ⁻	वे कारण, जिनके लिए आवेदक भारत की नागरिकता		
	अर्जित करने की वांछा रखता है		••••
14.	पासपोर्ट की विशिष्टियां :		
٠	(क) देश(ख) संख्यांक		
15.	तक वीजा विधिमान्य है		٠.
16.	कटम्ब के उन सदस्यों के ब्यौरे जो आवेदक के साथ भारत में रह रहे	हे हैं :	•

क्र.सं.	नाम	पता	नातेदारी	आयु
1	2	3	4	5
		·		
			4	
ļ		,]		

17. दांडिक कार्यवाहियों के ब्यौरे, यदि कोई हो :

क्र.सं.	दांडिक कार्यवाहियों की प्रकृति	मामला करने की	रजिस्ट्रीकृत तारीख और	मामले की वर्तमान स्थिति	न्यायालय क निर्णय	7
		स्थान				

तारीख.....

	T	HEGAZETTEOF INDIA: EX	TRAORDINARY	[PART II—S
1	2	3	4	5
18.	कम से कम दो व्यक्तियों जिनके आवेदक के आवज् गए कथनों की शुद्धता के शपथपत्र इसके साथ संल	रण और आवेदन किए ो प्रमाणित करते हुए		
		भाग 2		
19. मैं पहले वी	ने भारत की नागरिकता चेत कर दिया गया है/नई	पहले त्याग दी/नहीं त्यागी ों किया गया है ।	है अथवा मुझे भारत	ा की नागरिकता से
जिसको तो वह र	त्यजन की घोषणा की ग	। नागरिकता त्याग दी है ाई थी, अथवा यदि उसे अ ग्राधिकारी, जिसके द्वारा वंचि	पनी नागरिकता से व	वंचित किया गया है
		ठे नागरिक के रूप में रजिज् या गया है/नहीं किया गया		ावेदन किया है/नहीं
और मैं व		हूं कि मेरा आशय भारत में मेरा आवेदन मंजूर हो जा		
करता हूं	/करती हूं कि इ स आवेदन	न में कथित पूर्वगामी विशिष् वे सही हैं, शुद्ध अंतःकरण	ष्टियां सहीं हैं तथा मै	ों यह सत्यनिष्ठा से

हस्ताक्षर....

नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन देशीकरण के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन के साथ शफ्थपत्र ।*
नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन देशीकरण के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन के संबंध में, मैं पुत्र निवासी शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा से और शुद्ध हृदय से यह प्रतिज्ञान करता हूं कि इसके साथ संलग्न मेरे आवेदन में कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य हैं।
यदि मुझे प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पूर्व किसी समय पूर्वगामी विशिष्टियों में से किसी भी शुद्धता परिस्थितियों में किसी परिवर्तन के कारण प्रमावित होती है तो मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव को लिखित में उसकी तत्काल सूचना देने का वचन देता हूं।
स्थान : हस्ताक्षर
*शपथपत्र नोटेरी/ओथ कमिश्नर/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया जाएगा ।
आवेदक के चरित्र को और आवेदन में किए गए कथनों की सत्यता को प्रमाणित करते हुए शपथपत्र ।
(मद 18 द्वारा)
नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन देशीयकरण के प्रमाणपत्र के लिए
मैं देशीयकरण के लिएके आवेदन का समर्थन करता हूं और मैं उसके अच्छे चरित्र और निष्ठा को सत्यापित कर सकता हूं ।
तारीख हस्ताक्षर नाम डाक का पूरा पता

उस समाचार पत्र या समाचार पत्रों के दो अंको की (तीन प्रतियों में) प्रतियां जो उस जिले में प्रचालित हों जहां आवेदक निवास करता है और प्रत्येक अंक में (स्पष्ट रूप से अंकित हो) प्ररूप में विज्ञापन आवेदन के साथ होना चाहिए।

(यह प्ररूप सभी प्रकार से पूरा हो जाने पर तीन प्रतियों में उस कलक्टर/उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिसकी अधिकारिता में आवेदक सामान्य तौर पर निवास करता है जिससे कि वह उसे, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को संप्रेषित कर दे)

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

- 1. विधिमान्य विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति ।
- 2. विधिमान्य आवास परमिट की एक प्रति ।
- 3. स्टेट बैंक आफ इंडिया में शीर्ष सं0 "0070-अन्य प्रशासनिक सेवाए-अन्य सेवाएं-नागरिकता अधिनियम के अधीन प्राप्तियां" के अधीन राजनिष्ठा की घोषणा और शपथ हेतु 1500/-रु० रकम के बैंक चालान की मूल प्रति ।
- 4. स्वयं का (आवेदक का) एक शपथपत्र और आवेदक के चरित्र को प्रमाणित करने वाले दो भारतीयों से आवेदन प्ररूप में उपलब्ध विहित भाषा में दो शपथपत्र ।
- 5. दो भाषा प्रमाणपत्र जिनमें संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं में से किसी एक में आवेदक के ज्ञान को प्रमाणित किया गया हो। (किसी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्था से या किसी मान्यता प्राप्त संगठन से या आवेदक के जिले के दो भारतीय नागरिकों से भाषा प्रमाणपत्र)।
 - 6. दो समाचार पत्र (उस जिले में प्रचालित होते हों जिसमें आवेदक निवास करता है) नागरिकता के लिए आवेदन प्ररूप में उपलब्ध विहित भाषा में आवेदन करने के उसके आशय को अधिसूचित करने वाले भिन्न-भिन्न तारीखों के या भिन्न-भिन्न समाचार पत्रों की कतरन ।

प्रक्रप 9 (नियम 11(2) देंखे) नागरिकता नियम, 2009

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(क),(ग)(घ),(ङ),(च) और (छ) के अधीन नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन हेतु अभिस्वीकृति

	5 की उपघारा (1) के खंड (क) या खंड (ग) य) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए कुमारी/श्रीमती/र्श्र
पुत्री/ पर्त्न निवासी	ो/ पुत्र से आवेदन प्राप्त हुआ ।
1	
टिप्पण - जो लागू न हो उसे काट दें।	
तारीख	प्राप्ति अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

(नियम 14 (1) देखें) नागरिकता नियम, 2009 भारत सरकार गृह मंत्रालय

रजिस्ट्रीकरण	का	प्रमाणपत्र
--------------	----	------------

<u></u> :-																
स0																

यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा *5(1)(क),(ग)(घ),(ङ),(च) के उपबंधों के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रिजस्ट्रीकृत किया गया है—

- 1. नाम
- 2. पिता का नाम
- माता का नाम
- 4. पति/पत्नी का नाम
- 5. जन्म की तारीख
- 6. जन्म का स्थान
- 7. पूर्व नागरिकता
- 8. उपजीविका :
- 9. पहचान का चिह्न
- 10 पता

फोटोचित्र

रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के हरताक्षर जारी करने का स्थान जारी करने का तारीख जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

* जो लागू न हो उसे काट दें।

और मुहर

प्ररूप 11

(नियम 14 (2) देखें) नागरिकता नियम, 2009 भारत सरकार गृह मंत्रालय

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

Stort Xian Call And	1-114
	सं0
यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति, जिसकी अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(छ) के उपबंधों के अधीन किया गया है—	
विभवा नवा ह	
1. नाम :	
2. पिता का नाम :	
3. माता का नाम :	
4. पति/पत्नी का नाम :	
5. जन्म की तारीख :	
6. जन्म का स्थान :	
7. पूर्व राष्ट्रीयता :	
8. उपजीविका :	
 भारत की विदेशी नागरिकता का रिजस्ट्रीकरप् 	ग प्रमाणपत्र संख्या जारी करने की तारीख
और स्थान :	
10 पहचान का चिह्न :	
11 पता :	
	*
1,10	
फोटोचित्र	
•	
रजिस्टीकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर	जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
1 4 1 7 6 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

जारी करने का स्थान

जारी करने का तारीख

(नियम 15 (1) और नियम 16 (1) देखें) नागरिकता नियम, 2009 भारत सरकार गृह मंत्रालय

देशीयकरण का प्रमाणपत्र सं0
ने स्वयं के संबंध में नीचे दी गई विशिष्टियों को अभिकथित करते हुए, देशीयकरण के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है, और सरकार का समाधान किया है कि उपपर वर्णित अधिनियम में देशीयकरण जारी करने के लिए अधिकथित शर्तें उक्त के मामले में पूरी होती है।
अब, इसलिए, उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, सरकार उक्त को देशीयकरण का यह प्रमाणपत्र जारी करती है तथा घोषित करती है कि उस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय तथा रीति में राजनिष्ठा की श्रपथ लेने पर, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, सभी राजनैतिक और अन्य अधिकारों, शक्तियों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा तथा उन सभी बाध्यताओं, कर्तव्यों और दायित्वों के अधीन होगा जिनका हकदार या जिनके अधीन एक भारतीय नागरिक होता है तथा सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए एक भारतीय नागरिक को प्रास्थिति रखेगा।
की इस तारीख को मैं साक्षी के तौर पर हस्ताक्षर करता हूं ।
प्रोगे जिल

फोटी चित्र

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

विशिष्टियां

- 1. नाम
- 2. पता
- 3. उपजीविका :
- 4. जन्म का स्थान और जन्म की तारीख:

- 5. पूर्व नागरिकता
- 6. वैवाहिक स्थिति
- 7. पहचान का चिह्न :
- 8. पत्नी/पति का नाम और नागरिकता :
- 9. पिता का नाम और नागरिकता :
- 10 माता का नाम और नागरिकता

राजनिष्ठा की शफ्थ

मैं, अमुक, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/करती हूं (या शपथ लेता हूं/लेती हूं) कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा/रखूंगी और मैं भारत की विधियों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा/करूंगी और भारत के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूर्ण करूंगा/करूंगी।

20गया/शपथ ली गई ।	की इस	तारीख व	हो मेरे समक ्ष	प्रतिज्ञान किया
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				2 j.

*नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम जिसके समक्ष रजिस्ट्रीकरण, घोषणा या राजनिष्ठा की शपथ ली गई ।

प्रस्तप 13 (नियम 17(क) देखें) नागरिकता नियम, 2009

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(क), (ड) और (च) के अधीन भारतीय नागरिकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का रजिस्टर

क्रम.	नाम	पिता	जन्म	भारत से	वह	वर्तमान	रजिस्ट्रीकरण	टिप्पणियां
सं.		का नाम	की	बाहर	तारीख	पता	की तारीख	
			तारीख	अंतिम	जिससे			: \$4.5.90.400.000.000

				स्थायी पता	भारत में निवासी हैं			
. 1	2	3	4	5	6	7	8	9

टिप्पण--इस रजिस्टर में क्रम सं0 रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संख्या के तत्स्थानी होगी।

प्ररूप 14

(नियम 17 (ख) देखें) नागरिकता नियम, 2009

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(ग) के अधीन भारतीय नागरिकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का रजिस्टर

					<u> </u>	<u> </u>	· · · · · · ·			A-A:
क्र.सं.	आवेदक	उपजीविका	जन्म	राष्ट्रीयता		पति/	क्या .	राजनिष्ठा की	आवेदन	टिप्पणियां
	का पूरा		का		स्थिति	पत्नी	आवेदक ने	शपथ लेने की	के	
	नाम		स्थान			का	औपचारिक	तारीख और	विवरणों	
	और		और			पूरा	रूप से	स्थान तथा	को	
	पता		तारीख			नाम	अपनी पूर्व	वास्तविक रूप	अग्रेषित	
						और	राष्ट्रीयता	से प्रमाणपत्र	करने	
						पता	का त्यजन	जारी किए	वाली	
							कर दिया	जाने की	राज्य	
							है या उसे	विशिष्टियां	सरकार	
							खो दिया		से संदर्भ	
							है, या		पत्र	
							उसके			
							त्यजन के			
							लिए			
							लिखित में			
1							प्रतिज्ञान			
							किया है,			
							यदि			
							आवेदन			
							मंजूर			
							किया			

							जाता है तो प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्य का संदर्भ दिया जाए			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

टिप्पण--इस रजिस्टर में क्रम सं0 रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संख्या के तत्स्थानी होगी।

प्ररूप 15 (नियम 17 (ग) देखें) नागरिकता नियम, 2009

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(घ) के अधीन भारतीय नागरिकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत अप्राप्तवय बालकों का रजिस्टर

क्र.स.	नाम	पिता का नाम	जन्म की	वर्तमान पता	टिप्पणियां
			तारीख	·	
1	. 2	3	4	5	6
		,			
				•	
		·			

टिप्पण--इस रजिस्टर में क्रम सं0 रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संख्या के तत्स्थानी होगी।

(नियम 17 (ग) देखें) नागरिकता नियम, 2009

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(छ) के अधीन भारतीय नागरिकों के रूप में रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों का रिजस्टर--

क्र.सं.	नाम	पिता	जन्म	भारत	वह	वर्तमान	रजिस्ट्रीकरण		विदेशी	टिप्पणियां
	•	का	की	से	तारीख	पता	की तारीख	नागरिक		
		नाम	तारीख	बाहर	जिससे			प्रमाणपत्र	जारी	
				अंतिम	भारत			सं0	करने	
				स्थायी	में				का	
				पता	निवासी				स्थान	
	ĺ				き				और	
									तारीख	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
							!			
			<u> </u>					<u> </u>	<u> </u>	

टिप्पण--इस रजिस्टर में क्रम सं0 रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संख्या के तत्स्थानी होनी चाहिए ।

प्ररुप 17 (नियम 17 (ड.) देखे) नागरिकता नियम, 2009

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6(1) के अधीन देशीयकरण और राजनिष्ठा की शफ्थ के प्रमाणपत्र का रजिस्टर

क्र. सं0	पुरा नाम और पता	वृतिक और उप- जीविका	जन्म का स्थान और तारीख	पूर्व नागुरिकता	विवाहित, अविवाहित, विधुर् विधवा, तलाकशुदा	पति/ पत्नी का पूरा नाम	माता-पिता का पूरा नाम	प्रमाणपत्र सौंपने और राज्य सरकार को भेजने की तारीख	गृहं मंत्रालय के सचिव/ संयुक्त सचिव, उप सचिव/ अवर सचिव द्वारा अधिप्रमाणन	राजनिष्टा की शपथ लेने और वास्तयिक रूप से प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख और स्थान के बारे में विशिष्टियां	आवेदन के ब्यौरों को अग्रेषित करने वाली राज्य सरकार के पत्र के प्रतिनिदें	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

यह प्ररुप पूरा करने के पश्चात् को तीन प्रतियों में उस राज्य सरकार के मुख्य सचिव, को जहां आवेदक निवास करता है भेजा जाना चाहिए ।

टिप्पण-इस रजिस्टर के क्रंमाक संख्या को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के संख्यांक के तत्स्थानी होना चाहिए ।

प्ररुप 18

(नियम 19 (2) देखें) नागरिकता नियम, 2009 (चार प्रतियों में भरा जाए)

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6क के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

- 1. आवेदक का पूरा नाम (बड़े अक्षरों में, उपनाम पहले)
- 2. पिता/पति का नाम
- 3. जन्म की तारीख और स्थान
- लिंग, कद, आखों का रंग
- क्या भारतीय मूल का है यदि हां तो कैसे
- 6. वर्तमान राष्ट्रीयता
- 7. वृत्तिक और उपजीविका
- 8. बंगलादेश से आसाम पहुंचने की तारीख और स्थान
- आसाम पहुचने के पश्चात् पहला पता
- 10. आसाम में वर्तमान पता
- 11. तारीख जिससे वह आसाम का मामूली तौर पर निवासी है.
- 12. विदेशी के रूप में पता चलने की तारीख और स्थान
- 13. विदेशी के रूप में घोषणा करने वाले अधिकरण का नाम और पता, मामला संख्या और आदेश की तारीख
- 14. पति/पत्नी और बालकों के नाम
- 15. आवेदक के शारीरिक पहचान चिन्ह
 - (1)
 - (2)
- 16. आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के अधिकारी द्वारा भरा जाए

1. तारीख 20 को पर रजिस्ट्रीकृत किया गया ।
2. रजिस्ट्रीकरण सं0
3. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की अंगुली छाप ।
तारीख
स्थान मुहर
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का नाम और हस्ताक्ष
टिप्पण - इस आवेदन की पहली, तीसरी और चौथी प्रति के साथ अधिकरण के आदेश की प्रमाणि प्रति संलग्न करें ।
प्ररुप 19
(नियम 19 (3) देखें) नागरिकता नियम, 2009
•

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण जिला,...... असम द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6क के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के नाम सहित अन्य विशिष्टयां ।

क्रम सं0	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म की तारीख और स्थान	वर्तमान पता	
1	2	3	4	5	
	-				

		तारीख से 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं ।	
6	7	8	9

प्ररूप 20 (नियम 19 (4) देखें) नागरिकता नियम, 2009

ऐसे व्यक्तियों की सूची जिनका नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6क के अधीन मार्च/जून/सितम्बर/दिसम्बर, 20 में तिमाही समाप्ति के दौरान रजिस्ट्रीकरण किया गया है

क्र.सं.	नाम	पिता / पति का नाम	जन्म की तारीख और	वर्तमान पता	अधिकरण की मामला संख्या और		टिप्पणियां
			स्थान		पते के साथ अधिकरण द्वारा विदेशी के रूप में		
	2	3	4	5	पता लगाने तारीख 6	7	8
		3	-	J	O	,	O

स्थान	रजिस्ट्रीकरण	प्राधिकारी	के	हस्ताक्षर
तारीख मुहर	11711217171717171			
_	जिला	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

737GI/09—8

प्ररूप 21

(नियम 22 देखें) नागरिकता नियम, 2009 (तीन प्रतियों में भरा जाए)

ऐसे व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक होने की इच्छा नहीं रखता है, भरी जाने वाली, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6क(6) के अधीन अपेक्षित घोषणा ।

घोषणा

मैं, (पुत्र/पुत्री/पत (पूरा नाम और पत	n) सत्यनिष्ठा से यह घाषणा करता हूं/करता हूं a
न तो मैं भारत का नागरिक होने की और न ह उपधारा (4) और उपधारा (5) द्वारा शासित होने	ही नागरिकता आधानयम, 1955 का धारा 6क का
स्थान तारीख	आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
Wild	
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार्र	ो के कार्यालय में भरा जाए
रजिस्ट्रीकरण सं0अधीन विदेशी के रूप में रजिस्ट्रीकरण होने के प	(विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अध्वात् दी जाने वाली रजिस्ट्रीकरण संख्या)
स्थान	रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
तारीख मुहर	जिला
प्र सिराम	रूप 22 23 (1) देखें)
•	ा नियम, 2009
अधिनियम की धारा 8 के अधीन भारत के नार	रिक द्वारा की गई नागरिकता के त्यजन की घोषणा
1. मैं,(यहां घोषणाकः का हूं औरको	र्ता का नाम और पता लिखें) व्यस्यक और पूर्ण क्षमता पर जन्मा था/जन्मी थी ।
2. मैने विवाह किया/नहीं किया है।	

3.	मैंने अपनी भारत की नागरिकता का त्याग करता हूं/करती हूं ।	
4.	मैं अपनी भारत की नागरिकता और अपना भारतीय पासपोर्ट सं0 जा करने की तारीख का अभ्यर्पण करता हूं/करती हूं ।	री
5.	अप्राप्तवय संतानों के नाम और पूर्ण विशिष्टया जो भारत के नागरिक हैं, यदि कोई	हो
हूं/क	सत्यनिष्ठा पूर्वक और गंभीरतापूर्वक घोषणा कर रती हूं कि इस घोषणा में कथित पूर्वगामी विशिष्टियां सही है और मैं सत्यनिष्ठा घोषणा य ास करते हुए कि वह सही है शुद्धहृदय अंतःकरण से करता है/करती हूं ।	
	हस्ताक्षर	
उक्त गया	घोषणा आज तारीखं को मेरे समक्ष की गई और उसे और हस्ताक्षरित कि ।	या
	* हस्ताक्षर *पदनाम विशिष्टियां	
	1. पूरा नाम	
	2. पता	
	3. वृत्तिक या उपजीविका	
	4. जन्म स्थान और जन्मतिथि	
	5. दूसरी नागरिकता	
	5. अविवाहित, विवाहित, आदि	
	7. पत्नी या पति का नाम	
	3. माता-पिता के नाम और राष्ट्रीयता	
	्र संतानों के नाम और पूर्ण विभिन्नगां गृदि कोई हो	

मैं, अघोहस्ताक्षरी और मैं	कथन करता एक	गहरथ	<u> ਵ</u> ੰ	और	यह	ाक	4
अभिकर्त्ता नहीं हूं उसके आवेदन में	। मैं		के लिए			द्वारा ी	देए गए
तारीख				नाम (ब	डे अक्षरों में) ज पूरा पता	**********	
*नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिधान, जिसके समक्ष घोषणा या राजनिष्ठा की शपथ ली जाती है।							
	,	(नियम 2	नप 23 23 (2) देखें नियम, 20				٠.
नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 8 के अधीन भारत की नागरिकता के त्यजन की घोषणा के लिए अभिस्वीकृति							
नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 8 के अधीन कु/श्रीमती/श्री							
तारीख					प्राप्ति	अधिकारी सहित	के मुहर हस्ताक्षर

प्ररूप 24 (नियम 23(4) देखें) नागरिकता नियम, 2009

भारतीय नागरिकता के त्यजन की घोषणाओं का रजिस्टर

जन
जन
जन
की
12
<u></u>

यह प्ररूप पूरा करने के पश्चात् उस राज्य सरकार के मुख्य सचिव, को तीन प्रतियों में अग्रेषित किया जाना चाहिए, जहां आवेदक निवास करता है !

(नियम 24 (1) देखें) नागरिकता नियम, 2009

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 8(2) के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त करने के आशय की घोषणा जो अधिनियम की धारा 8(1) के उपबंधों के अनुसार अपने माता पिता द्वारा भारतीय नागरिकता खो देने के कारण भारतीय नागरिक नहीं रहा है।

्ण	भारताय नागारक नहां रहा है ।
1.	मैं,
2.	मेरे पिता का पूरा नाम है ।
3.	मेरे माता का पूरा नाम है ।
4.	मै को नागरिकता अधिनियम, 1955 की घारा 8 की उपधारा (1) के आधार पर भारतीय नागरिक होने से प्रविरत रहा हूं/रही हूं क्योंकि
	(यहां वह कारण बताए जिसके द्वारा घोषणाकर्ता के माता/पिता और घोषणाकर्ता भारतीय नागरिक नहीं रहे है, वह वर्ष और तारीख जिसमें वे भारतीय नागरिक नहीं रहे थे और सभी अन्य सुसंगत जानकारी का कथन करें)
5.	यदि मैं भारत का नागरिक होने से इस प्रकार प्रविरत नहीं रहा था तो अब मैं इस तथ्य के कारण भारत का नागरिक होउगा/होउगीं कि
•	हां वे आधार बताएं जिनपर घोषणाकर्ता यह प्राप्त करता है/करती है कि उसे इस प्रकार गरिक होना चाहिए I)
6.	में, भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त करने के अपने आशय की घोषणा करता हूं/करती हूं और केन्द्रीय सरकार को, इस घोषणा को रजिस्टर करने के लिए, आवेदन करता हूं/करती है।
	मैं, अमुक, सत्यनिष्ठा और शुद्ध हृदय से घोषणा करता हूं/करती हूं कि इस घोषणा में कथित पूर्वगामी विशिष्टियां सही है और मैं इस सत्यनिष्ठा से घोषणा यह विश्वास करते हुए कि वे सही हैं, शुद्ध अंतःकरण से करता हुं/करती हूं।
	हस्ताक्षर

मैं, अधोहस्ताक्षरी, कथन करता हूं/करती हूं कि मैं देशीयकरण से भिन्न एक भारतीय नागरिक हूं मैं गृहस्थ हूं और मैं का सालिसीटर अथवा अभिकर्ता नहीं हूं । मैं के लिए द्वारा दिए गए उसके आवेदन में कहे गए कथन के सही होने के लिए वचनबद्ध हूं ।

तारीख	हस्ताक्षर
	नाम (बड़े अक्षरों में) डाक का पूरा पता
राजनिष्ठा की श	पथ
मैं, अमुक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/करती हूं द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची और मैं भारत के विधियों का श्रृद्धापूर्वक पालन करुंगा में अपने कर्तव्यों को पूरा करुंगा/करुंगी।	श्रृद्धा और राजनिष्ठा रखूंगा/रखूंगी
	हरताक्षर पदनाम
आज तारीख 20 मेरे ग ई ।	समक्ष प्रतिज्ञान किया गया/शपथ ली
	*हरताक्षर *पदनाम
*नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन पदनाम जिसके समक्ष रजिस्ट्रीकरण, घोषणा या राजि	-
विशिष्टियां	
1. पूरा नाम	
2. पता	
3. वृतिक या उपजीविका	
4. जन्म का स्थान और जन्म की तारीख	
5. राष्ट्रीयता	
6. अविवाहित, विवाहित, आदि	
7. पत्नी अथवा पति का नाम	
8. माता-पिता के नाम और राष्ट्रीयता	

प्ररुप 26

(नियम 24 (4) देखे) नागरिकता नियम, 2009 भारत सरकार गृह मंत्रालय

भारतीय नागरिव	न्ता के	पुनःग्रहण का प्रमाणपत्र
	* .	सं0
यह प्रमाणित किया जाता है कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 8(2 तत्काल प्रभाव से, पुनःग्रहण कर ली है।	उस 2) के '	व्यक्ति ने जिसकी विविशष्टयां नीचे दी गई है पंरतुक के उपबंधों के अधीन, भारत की नागरिकता
1. नाम	:	
2. पिता का नाम	*	
3. माता का नाम	:	
4. पति/पत्नी का नाम	:	
5. जन्म की तारीख	•	
6. जन्म का स्थान	: .	
7. उपजीविका	•	
8. पहचान चिन्ह	: X	
9. पता	:	
फोटो चित्र		
फाटा चित्र		
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर	• .	
		जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
		और मुहर
जारी करने का स्थान		

[नियम 24 (5) देखें] नागरिकता नियम, 2009

भारतीय नागरिकता के पुनःग्रहण करने की घोषणाओं का रजिस्टर

क्र.सं.	घोषणाकर्ता का पूरा नाम और पता	वृत्तिक या उपजीविका	जन्म स्थान और तारीख	घोषणाकर्ता के माता- पिता की राष्ट्रीयता	माता- पिता का पूरा नाम	विवाहित, एकल, विधुर, विधवा या तलाकशुदा	घोषणा करने का स्थान और तारीख	गृह मंत्रालय के आदेशों आदि के प्रति निर्देश	गृह मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव, उपसचिव/अवर सचिव का अधिप्रमाणन	उस पत्र के प्रति निर्देश, जिसके साथ पुनःग्रहण करने की घोषणा प्राप्त की गई	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

यह प्ररूप पूरा करने के पश्चात् उस राज्य सरकार के मुख्य सचिव को अग्रेषित किया जाना चाहिए जिसमें आवेदक निवास करता है।

प्ररूप 28

[नियम 29 (1) और नियम 30 देखें] नागरिकता नियम, 2009 नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7क के अधीन भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्टीकरण के लिए आवेदन

टिप्पण: कृपया प्ररूप भरने से पहले अनुदेश देख लें।	
भाग क (कुटुम्ब के प्रत्येक आवेदक के लिए)	
हस्ताक्षर/ऐसे अप्राप्तवय की दशा में जो हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, बाएं अंगूठे का निशान	35 x 35 मि.मी. आकार का अपना फोटो चित्र चिपकाएं

पहले आवेदक के ब्यौरे :

1	उपनाम	
2.	दिया गया नाम	
3	लिंग और जन्म तिथि	
	(तारीख/मास/वर्ष)	
4	देश सहित जन्म स्थान	
5	पिता/संरक्षक का नाम	
6	माता का नाम	
7	राष्ट्रीयता	
8	पासपोर्ट सं0 और जारी करने की तारीख	
9	जारी करने का स्थान	
10	उपजीविका	
11	दिखाई देने वाला विभेदकारी चिह्न	
12	वर्तमान पता	
13	ई-मेल आईडी और दूरभाष नं0	
14	क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड धारक हैं ?	हां/नहीं [यदि हां, तो ब्यौरे दें]
	भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख	
	कब तक विधिमान्य है	
	फाइल सं0 और जारी करने का स्थान	

आवेदक पति-पत्नी के ब्यौरे :	
हस्ताक्षर/ऐसे अप्राप्तवय की दशा में जो हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, बाएं अंगूठे का निशान	35 x 35 मि.मी. आकार का अपना फोटो चिपकाएं

1		
<u> </u>	उपनाम	
2.	दिया गया नाम	
3	लिंग और जन्म तिथि	
	(दिन/मास/वर्ष)	
4	देश सहित जन्म स्थान	
5	पिता/संरक्षक का नाम	
6	माता का नाम	
7	राष्ट्रीयता	
8	पासपोर्ट संo और जारी करने की तारीख	
9	जारी करने का स्थान	
10	उपजीविका	
11	दिखाई देने वाला विभेदकारी चिह्न	
12	वर्तमान पता	
13	ई-मेल आईडी और दूरभाष नं0	
14	क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड धारक हैं ?	हां/नहीं [यदि हां, तो ब्यौरे दें]
	भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख	
	कब तक विधिमान्य है	
	फाइल संo और जारी करने का स्थान	

अप्राप्तवय बालक-१ आवेदक के ब्यौरे :

हस्ताक्षर	/ऐसे	अप्रा	प्तवय	की
दशा में	जो	हस्ताक्ष	र नहीं	कर
सकता	है,	बाएं	अंगूठे	का
निशान			·	

35 x 35 मि.मी.
आकार का अपना
फोटो चिपकाएं

1	उपनाम	
2.	दिया गया नाम	
3	लिंग और जन्म तिथि (तारीख/मास/वर्ष)	-
4	देश सहित जन्म स्थान	
5	पिता/संरक्षक का नाम	
6	माता का नाम	
7	राष्ट्रीयता	
8	पासपोर्ट सं0 और जारी करने की तारीख	
9	जारी करने का स्थान	
10	उपजीविका	
11	दिखाई देने वाला विभेदकारी चिह्न	
12	वर्तमान पता	
13	ई-मेल आईडी और दूरमाष नं0	
14	क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड धारक हैं ?	हां/नहीं [यदि हां, तो ब्यौरे दें]
	भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख	
	कब तक विधिमान्य है	
	फाइल संo और जारी करने का स्थान	

अप्राप्तवय बालक-2 आवेदक के ब्यौरे :

हस्ताक्षर/ऐसे अप्राप्तवय की	_	35 x 35 मि.मी. आकार का अपना
दशा में जो हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, बाएं अंगूठे का निशान		फोटो चिपकाएं

1 उपनाम	2. दिया गया नाम 3					
3	3	1	उपनाम			
(तारीख/मास/वर्ष) 4 देश सहित जन्म स्थान 5 पिता/संरक्षक का नाम 6 माता का नाम 7 राष्ट्रीयता 8 पासपोर्ट सं० और जारी करने की तारीख 9 जारी करने का स्थान 10 उपजीविका 11 दिखाई देने वाला विभेदकारी चिप्टन 12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरभाष नं० 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं० और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	(तारीख/मास/वर्ष) 4 देश सहित जन्म स्थान 5 पिता/संस्थ्रक का नाम 6 माता का नाम 7 राष्ट्रीयता 8 पासपोर्ट सं0 और जारी करने की तारीख 9 जारी करने का स्थान 10 उपजीविका 11 दिखाई देने वाला विभेदकारी चिष्टन 12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरभाष नं0 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	2.	दिया गया नाम			
4 देश सहित जन्म स्थान 5 पिता/संस्थक का नाम 6 माता का नाम 7 राष्ट्रीयता 8 पासपोर्ट संठ और जारी करने की तारीख 9 जारी करने का स्थान 10 उपजीविका 11 दिखाई देने वाला विभेदकारी चिहन 12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरमाष नं० 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड संठ और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	4 देश सहित जन्म स्थान 5 पिता/संख्यक का नाम 6 माता का नाम 7 राष्ट्रीयता 8 पासपोर्ट संठ और जारी करने की तारीख 9 जारी करने का स्थान 10 उपजीविका 11 दिखाई देने वाला विभेदकारी चिष्टन 12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरभाष नं० 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड संठ और जारीख कब तक विधिमान्य है	3	लिंग और जन्म तिथि			
5 पिता/संस्क्षक का नाम 6 माता का नाम 7 राष्ट्रीयता 8 पासपोर्ट सं0 और जारी करने की तारीख 9 जारी करने का स्थान 10 उपजीविका 11 दिखाई देने वाला विभेदकारी चिप्टन 12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरभाष नं0 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	5 पिता/संस्क्षक का नाम 6 माता का नाम 7 राष्ट्रीयता 8 पासपोर्ट सं0 और जारी करने की तारीख 9 जारी करने का स्थान 10 उपजीविका 11 दिखाई देने वाला विभेदकारी चिह्न 12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरभाष नं0 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है		(तारीख/मास/वर्ष)			
6 माता का नाम 7 राष्ट्रीयता 8 पासपोर्ट सं० और जारी करने की तारीख 9 जारी करने का स्थान 10 उपजीविका 11 दिखाई देने वाला विभेदकारी चिह्न 12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरमाष नं० 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं० और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	6 माता का नाम 7 राष्ट्रीयता 8 पासपोर्ट सं० और जारी करने की तारीख 9 जारी करने का स्थान 10 उपजीविका 11 दिखाई देने वाला विभेदकारी चिह्न 12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरमाष नं० 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं० और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	4	देश सहित जन्म स्थान			
7 राष्ट्रीयता 8 पासपोर्ट सं0 और जारी करने की तारीख 9 जारी करने का स्थान 10 उपजीविका 11 दिखाई देने वाला विभेदकारी चिह्न 12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरभाष नं0 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड हां/नहीं [यदि हां, तो ब्यौरे दें] धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	 राष्ट्रीयता पासपोर्ट सं० और जारी करने की तारीख जारी करने का स्थान उपजीविका दिखाई देने वाला विभेदकारी चिह्न वर्तमान पता ई-मेल आईडी और दूश्भाष नं० क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड हां/नहीं [यदि हां, तो ब्योरे दें] धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं० और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है 	5	पिता/संरक्षक का नाम			
8 पासपोर्ट सं0 और जारी करने की तारीख 9 जारी करने का स्थान 10 उपजीविका 11 दिखाई देने वाला विभेदकारी चिह्न 12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरभाष नं0 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड हां/नहीं [यदि हां, तो ब्योरे दें] धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	8 पासपोर्ट सं0 और जारी करने की तारीख 9 जारी करने का स्थान 10 उपजीविका 11 दिखाई देने वाला विभेदकारी चिप्टन 12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरभाष नं0 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	6	माता का नाम			
तारीख जारी करने का स्थान	तारीख जारी करने का स्थान	7				
9 जारी करने का स्थान 10 उपजीविका 11 दिखाई देने वाला विभेदकारी चिहन 12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरभाष नं0 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड हां/नहीं [यदि हां, तो ब्योरे दें] धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं० और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	9 जारी करने का स्थान 10 उपजीविका 11 दिखाई देने वाला विभेदकारी चिह्न 12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरभाष नं० 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड हां/नहीं [यदि हां, तो ब्योरे दें] धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं० और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	8	पासपोर्ट सं0 और जारी करने की			
10 उपजीविका 11 दिखाई देने वाला विभेदकारी चिहन 12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरमाष नं0 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड हां/नहीं [यदि हां, तो ब्योरे दें] धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं० और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	10 उपजीविका 11 दिखाई देने वाला विभेदकारी चिहन 12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरभाष नं0 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड हां/नहीं [यदि हां, तो ब्यौरे दें] धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है		तारीख			
11 दिखाई देने वाला विभेदकारी चिहन 12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरभाष नं0 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड हां/नहीं [यदि हां, तो ब्योरे दें] धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	11 दिखाई देने वाला विभेदकारी चिष्टन 12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरभाष नं० 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड हां/नहीं [यदि हां, तो ब्योरे दें] धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं० और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	9	जारी करने का स्थान			
12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरभाष नं0 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड हां/नहीं [यदि हां, तो ब्यौरे दें] धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	12 वर्तमान पता 13 ई-मेल आईडी और दूरभाष नं0 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड हां/नहीं [यदि हां, तो ब्यौरे दें] धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	10	उपजीविका			
13 ई-मेल आईडी और दूरभाष नं0 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड हां/नहीं [यदि हां, तो ब्यौरे दें] धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	13 ई-मेल आईडी और दूरभाष नं0 14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड हां/नहीं [यदि हां, तो ब्योरे दें] धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	11				
14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड हां/नहीं [यदि हां, तो ब्यौरे दें] धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं० और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	14 क्या भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड हां/नहीं [यदि हां, तो ब्योरे दें] धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं० और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	12				
धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	धारक हैं ? भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	13	-			
भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	14	,	हां/नहीं	[यदि हां, तो ब्यौरे दें]	
जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है		धारक ह ?			
जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है	जारी करने की तारीख कब तक विधिमान्य है		भारतीय उद्भव का व्यक्ति कार्ड सं0 और			
		<u> </u>				
THE TIO AND THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE	फाइल सं0 और जारी करने का स्थान					
फाइल से आर जारा करने का स्थान			फाइल सं0 और जारी करने का स्थान			

भाग ख

[आवेदक (आवेदकों) के अन्य ब्यौरे]

15. क्या आपने/आपके कुटुम्ब के किसी सदस्य ने पहले भारत के विदेशी नागरिक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है ?

हां/नहीं

यदि हां, तो ब्यौरे दें (निर्देश सं0, कब और कहां आवेदन किया था और उसका क्या परिणाम रहा)

16. क्या आवेदक (आवेदकों) वर्तमान नागरिकता के लिए आवेदन करने के पहले आराम में रहा है (रहे हैं) ?

हां/नहीं

यदि हां, तो कब और क्यों, विनिर्दिष्ट ब्यौरे दें।

17. क्या आवेदक पहले किसी समय भी पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रहा है (के नागरिक रहे हैं) ?

हां/नहीं

यदि हां, तो विनिर्दिष्ट ब्यौरे दें।

- 18. आवेदक (आवेदकों) की वर्तमान राष्ट्रीयता अर्जित करने की तारीख और रीति (जन्म द्वारा/विरासत द्वारा/रिजस्ट्रीकरण द्वारा/देशीयकरण द्वारा/किसी अन्य प्रकार द्वारा, विनिर्दिष्ट करें ।
- 19. आवेदक (आवेदकों) की पूर्व राष्ट्रीयता ।
- 20. नियोजन का पता:

पहला आवेदक :

पति-पत्नी आवेदक :

21. कुटुम्ब के सदस्यों के ब्यौरे, जो भारत में रह रहे हैं, यदि कोई हों !

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पता	नातेदारी	आयु
1	2	3	4	- 5
				,

1 1	

22. आवेदक(आवेदकों) के विरुद्ध किसी भी स्थान पर दांडिक कार्यवाहियों के ब्यौरे, यदि कोई हों।

क्र.सं.	आवेदक(आवेदकों) के नाम	घटना की तारीख	घटना का स्थान	घटना की प्रकृति	दांडिक कार्यवाहियों का परिणाम, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6

2 3. 4/54	शपद्यपूर्वकः ७	गर सुद्ध हदय स वाषणा
करता हूं/करते हैं कि इ स आवेव	इन में कथित पूर्वगामी विशिष्टियां सत्य हैं	और मैं/हम यह सत्यनिष्ट
वोषणा शुद्ध हृदय यह विश्वास	करते हुए करता हूं/करते हैं कि वे सत्य है	;
· ·		
तारीख		
स्थान	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
	(प्रथम आवेदक)	(द्वितीय आवेदक)

*अप्राप्तवयं (अप्राप्तवयों) के लिए आवेदन

मैंका	जिससे	पूर्वगामी	विशिष्टियां	संबद्ध	हैं	क
माता/पिता/संरक्षक** हूं । मैं अपने बच्चे (ब	च्चों) की	ओर से भा	रत के विदेशी	नागरिक	के	रूप मे
उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता ह	9.24.					
तारीख		प्रथम ३	गवेदक के हस्त	॥क्षर	- 	

^{*}यदि केवल अप्राप्तवय आवेदक (आवेदकों) के लिए आवेदन किया गया है तभी भरा जाए ।

^{**}संरक्षक की दशा में संरक्षकता का सबूत संलग्न करें सं0.....

[नियम 33 (1) देखें] नागरिकता नियम, 2009

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (भारत का विदेशी नागरिक)

	(मारत का विदशा नागारक)
	सं0
नागरिकता	प्रमाणित किया जाता है कि वह व्यक्ति जिसकी विशिष्टियां इस प्रमाणपत्र में दी गईं हैं, अधिनियम, 1955 की धारा 7क के उपबंधों के अधीन भारत के विदेशी नागरिक के रूप इत किया गया है।
	फोटो चित्र
1.	कुल नाम
2.	दिया गया (दिए गए) नाम
3.	राष्ट्रीयता4. लिंग5. जन्म की तारीख
6.	जन्म का स्थान
7.	उपजीविका
8.	पिता/विधिक संरक्षक का नाम
9.	माता का नाम
10	
11	. पासपोर्ट संoजारी करने की तारीखजारी करने का स्थान
. 12	. भारत के विदेशी नागरिक प्रमाणपत्र धारक का दृश्यमान सुभेदक चिह्न
13	. फाइल सं0
	फोटो चित्र
	<u> </u>

जारी करने का स्थान जारी करने की तारीख

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

[नियम 33 (3) देखें] नागरिकता नियम, 2009

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7क के अधीन भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का रजिस्टर

क्र.सं.	आवेदक का पूरा नाम और पता	पिता का नाम	जन्म का स्थान और तारीख	सष्ट्रीयता	भारत के बाहर अंतिम स्थायी पता	तारीख जब से भारत का निवासी है		त्यजन की दशा मे तारीख	रद्दकरण और यू- वीजा संख्या के	टिप्पणियां
			MIG		(414) 1(11			और स्थान	मामले में स्थान और तारीख	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1		•	
		<u> </u>	<u>L.</u>	<u></u>		1	<u> </u>		<u> </u>	

टिप्पण- इस रजिस्टर में क्रम सं0 रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संख्या के तत्स्थानी दर्शित की गई है।

प्ररूप 31

[नियम 34 (1) देखें] नागरिकता नियम, 2009

भारत के विदेशी नागरिक द्वारा की गई नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7ग(1) के अधीन विदेशी नागरिकता के त्यजन की घोषणा

1.	में	(घोषणाकर्ता	का	पूरा	नाम	और	पता	यहां	लिखें)	वयप्राप्त	और
पूर्ण	क्षमता का हूं और	को.						पर	र जन्मा	था ।	

2. मैं भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हूं !

3. जारी र्रा हूं/करती	मैं अपनी भारत की विदेशी नागरिकता का त्याग करता हूं औरपर जिस्ट्रीकरण सं0तारीखका प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करता हुं ।
इस घोष	मैंसत्यनिष्ठा और शुद्ध हृदय से घोषणा करता हूं/करते हैं कि षणा में कथित पूर्वगामी विशिष्टियां सही हैं और मैं सत्यनिष्ठ घोषणा यह विश्वास करते हुए सही है, शुद्ध हृदय अंतःकरण से करता हूं/करती हूं।
तारीख	हस्ताक्षर
आज त	ारीख20को मेरे समक्ष किया गया और प्रतिज्ञान किया गया ।
	** हस्ताक्षर
	** पदनाम
	विशिष्टियां
1.	पूरा नाम
2.	पता
3.	उपजीविका
4.	जन्म स्थान और तारीख
5.	राष्ट्रीयता
6.	पत्नी या पति का नाम
7.	भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र और यू-वीजा की संख्या
8.	अप्राप्तवय बच्चों के नाम और पूर्ण विशिष्टियां जो भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, यदि कोई हों
* कृप वीजा	या घोषणा के साथ मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करें और वीजा रद्द करने के लिए यू- वाला पासपोर्ट प्रस्तुत करें ।

** नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम जिसके समक्ष घोषणा और राजनिष्ठा की शपथ ली गई है ।

प्ररूप 32

[नियम 34 (2) देखें] नागरिकता नियम, 2009

अभिस्वीकृति

	सुश्री/श्रीमती/श्री	पुत्री,	पत्नी,	पुत्र
	निवासी	सेमें	जारी	रजिस्ट्रीकरण
	तारीख का प्रमाणपत्र			
	के अधीन भारत की विदेशी नागरिकता	के त्यजन की घोषण	II प्राप्त की I	उसकी यू-वीजा
सं0				
तारीख.		प्राप्तकर्ता अधि	प्रेकारी के मुह [्]	र सहित हस्ताक्षर
	प्रर	ल प 33		
		ा 37 देखें]		
		नियम, 2009		
	प्रमाणित किया जाता है कि			
	ोचे दिए ग ए हैं, भारत के संविधान/नार			
समाधा	न कर दिया है और तदनुसार उसे भारत व	के नागरिक के रूप में	मान्यता दी ज	ाती है।
	•			
	laf	भेष्टियां		
	विर्वि	शिष्टियां		
1.	विर्व			
1. 2.				
	आयु			
2.	आयु ऊंचाई			
2. 3 .	आयु ऊंचाई बाल			
2. 3. 4.	आयु ऊंचाई बाल आंखें			
2. 3. 4.	आयु ऊंचाई बाल आंखें विशेष विलक्षण और पहचान चिह्न			
2. 3. 4. 5.	आयु ऊंचाई बाल आंखें विशेष विलक्षण और पहचान चिह्न नाम			
2. 3. 4. 5. 6.	आयु			

1. वर्तमान पता	
फोटो चित्र	
गाप्तिकर्ता के हस्ताक्षर	जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

अनुसूची 2 [नियम 25 देखें]

नागरिकता नियम, 2009

- (1) जब केन्द्रीय सरकार भारत के किसी नागरिक का मामला धारा 10 की उपधारा (3) के (जो भारत की नागरिकता से वंचित किए जाने से संबद्ध है) अधीन जांच समिति को निर्देशित करती है तब जांच समिति (जिसे इस अनुसूची में "समिति" कहा गया है) जांच आरम करने से पूर्व, उस व्यक्ति को, जिससे वह जांच संबद्ध है, सूचना दिलवाएगी जिसमें वह समय और स्थान, जहां वह की जाएगी और उसकी प्रकृति कथित होगी तथा यह सूचित किया जाएगा कि वह उपस्थित होने और/या काउंसेल या सालिसिटर द्वारा, अधवा यदि समिति ठीक समझे तो उसके द्वारा अनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए हकदार होगा ।
 - (2) इस नियम के अधीन सूचना,-

प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख.....

- (क) ऐसे मामले में जहां संबद्ध व्यक्ति का पता ज्ञात है, वहां उसे वयक्तिक रूप से सूचना परिदत्त करवाकर या डाक द्वारा उसके पते पर उसे भिजवा कर दी जा सकी है;
- (ख) ऐसे मामले में जहां उस व्यक्ति का पता ज्ञात नहीं है वहां उसके अंतिम ज्ञात पते पर और ऐसी रीति में, यदि कोई हो, जैसी समिति का अध्यक्ष ठीक समझेगा, उसे भिजवा कर दी जा सकती है ।
- (3) यथापूर्वोक्त सूचना जांच आरंभ करने से इतने समय पूर्व (जो तीस दिन से कम नहीं होगा) दी जाएगी जितना कि समिति का अध्यक्ष युक्तियुक्त रूप से आवश्यक समझे ।
- पैरा १ के अधीन सूचना संबद्ध व्यक्ति से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह उसका उत्तर लिखित रूप में दे और समिति को लिखित में ऐसी कोई जानकारी दे जिसे समिति तात्विक समझे, जो ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी जैसी वह अपेक्षा करे।

- 3. सिमित को अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (6) के अधीन किसी मामले की जांच करते समय और विशिष्ट रूप से निम्निलेखित मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करने वाली सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :--
 - (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराने के लिए विवश करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;
 - (ख) किसी दस्तावेज का पता लगाना और उसे प्रस्तुत करना ;
 - (ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना ;
 - (घ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।
- 4. सिमिति किसी ऐसी जानकारी पर, जो उपलभ्य है, कार्यवाही कर सकेगी चाहे ऐसी जानकारी शपथ पर दी गई है या नहीं अथवा किसी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी।
- 5. सिमित किसी भी सरकारी विभाग या भारत सरकार के मंत्रालय को, जो उसे हितबद्ध प्रतीत होता है, जांच में विभाग या मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- 6. (1) समिति, अपनी सदस्य संख्या में किसी रिक्ति के होते हुए भी कार्य कर सकेगी और समिति की गणपूर्ति दो होगी।
- (2) समिति अपने एक या अधिक सदस्यों को, जांच से संबद्ध किसी विशिष्ट विषय में जांच करने के लिए प्रत्यायोजित कर सकेगी और इस प्रकार प्रत्यायोजित सदस्य या सदस्यों को, इस प्रयोजन के लिए पैरा 3 के उपपैरा (1) के अधीन समिति की सभी शक्तियां होंगी।
- 7. समिति समय-समय पर जांच को मुल्तवी या स्थगित कर सकेगी।
- 8. सिमिति संपूर्ण जांच या उसके किसी भाग के दौरान जनता को या उसके किसी भाग को उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी या अनुज्ञात करने से इन्कार कर सकेगी।
- 9. पूर्वगामी पैराओं के अधीन रहते हुए, जांच की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी समिति अवधारित करे।

अनुसूची 3

[नियम 40(2) देखें] नागरिकता नियम, 2009

- 1. जहां केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हो कि भारत के किसी नागरिक ने किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छ्या अर्जित कर ली है, वहां वह उससे अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी कालाविध के भीतर जो इस निमित्त उसके द्वारा नियत की जाए, साबित करे कि उसने उस देश की नागरिकता स्वेच्छ्या अर्जित नहीं की है; और यह साबित करने का भार उस पर होगा कि उसने ऐसी नागरिकता अर्जित नहीं की है।
- 2. किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता के अर्जन से संबद्ध किसी प्रश्न का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार उस देश में अपने राजदूतावास या उस

देश की सरकार से ऐसा निर्देश कर सकेगी जैसा वह प्रश्न के या उससे संबद्ध किसी विषय के बारे में ठीक समझे तथा ऐसे निर्देश के अनुसरण में प्राप्त किसी रिपोर्ट या जानकारी पर कार्यवाही कर सकेगी।

- 3. यह तथ्य कि भारत के नागरिक ने किसी अन्य देश की सरकार से किसी तारीख को पासपोर्ट अभिप्राप्त किया है, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि उस तारीख से पूर्व उसके द्वारा उस देश की नागरिकता स्वेच्छ्या अर्जित कर ली गई है।
- 4. जहां ऐसा कोई व्यक्ति, जो नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7 के अधीन जारी किए गए गोवा, दमण और दीव (नागरिकता) आदेश, 1962 या दादरा और नागर हवेली (नागरिकता) आदेश, 1962 के आधार पर भारत का नागरिक बन गया है, किसी अन्य देश की सरकार द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट धारण करता है वहां यह तथ्य कि उसने उक्त पासपोर्ट 19 जनवरी, 1963 को या इससे पूर्व अध्यर्पित नहीं किया है, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि उस तारीख से पूर्व या उसके द्वारा उस देश की नागरिकता स्वेच्छया अर्जित कर ली गई है।
- 5. यह अवधारित करने के लिए कि भारत के किसी नागरिक ने किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छ्या अर्जित की है या नहीं, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कर सकेगी, अर्थात् :--
 - (क) क्या उस व्यक्ति ने उस देश को अपना स्थायी निवास बनाने के आशय से वहां प्रवास किया है :
 - (ख) क्या उसने उस देश में वस्तुतः स्थायी निवास बना लिया है ; और
 - (ग) इस प्रयोजन के लिए सुसंगत कोई अन्य परिस्थितियां !
- 6. पैरा 4 में किसी बात के होते हुए भी यह समझा जाएगा कि भारत के ऐसे किसी नागरिक ने, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी यात्रा दस्तावेज के बिना भारत छोड़ देता है या छोड़ चुका है और तीन वर्ष से अधिक कालाविध के लिए भारत से बाहर निवास करता है, अपने निवास के देश की नागरिकता स्वेच्छया अर्जित कर ली है।
- 7. पैरा 4 में किसी बात के होते हुए भी यह समझा जाएगा कि भारत के किसी नागरिक ने पाकिस्तान की नागरिकता स्वेच्छया अर्जित कर ली है—
 - (क) यदि उसने पाकिस्तान को अपना स्थायी निवास बनाने के आशय से वहां प्रवास किया है ; या
 - (ख) यदि उसने पाकिस्तान में अधिवास या प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है अथवा स्वयं पाकिस्तान के नागरिक या पाकिस्तान के अधिवासी के रूप में घोषित किया है ; या
 - (ग) यदि उसने पाकिस्तान में निष्क्रान्त संपत्ति के लिए आवेदन किया है और उसमें अधिकार, हक या हित अभिप्राप्त कर लिया है ; या
 - (घ) यदि उसने भारत में प्रवेश करने के लिए पाकिस्तान से अस्थायी अनुज्ञापत्र अभिप्राप्त कर लिया है।

स्पष्टीकरण- इस पैरा के खंड (क) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह पाकिस्तान को अपना स्थायी निवास बनाने की दृष्टि से वहां प्रवास कर गया है--

- (i) यदि वह "निराक्षेप प्रमाणपत्र" लेकर पश्चिमी पाकिस्तान में किसी स्थान को चला गया है और स्थायी रूप से वापस आने या पुनर्वास के लिए ऐसे अनुज्ञापत्र के अधीन जो भारत में प्रवृत्त किसी विधि के या भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन जारी किया गया है, भारत में वापस आ गया है; या
- (ii) यदि 1 फरवरी, 1950 और 15 अक्तूबर, 1952 के बीच किसी भी समय भारत छोड़कर पश्चिमी पाकिस्तान में चले जाने पर वह भारत में प्रवृत्त किसी विधि के या भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन जारी किए गए संप्रत्यावर्तन प्रमाणपत्र लेकर भारत वापस आ गया है।

अनुसूची 4 [नियम 41 देखें] नागरिकता नियम, 2009 फीस की सारणी

क्र.सं.	वह विषय जिसमें फीस ली जानी है	फीस की रकम		
		भारत में (रु0)	अन्यत्र	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	अधिनियम की धारा 5 के अधीन भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण			
	(i) धारा 5(1)(क) और धारा 5(1)(ख) के अधीन	5,000		
	(ii) धारा 5(1)(ग) के अधीन	10,000	15,000	
	(iii) धारा 5(1)(घ) और धारा 5(4) के अधीन	3,000	4,000	
	(iv) धारा 5(1)(ङ), धारा 5(1)(च), और धारा 5(1)(छ)	5,000		
2.	अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन भारतीय नागरिक के रूप में देशीयकरण			
	(i) आवेदन के साथ	1,500		
	(ii) देशीयकरण प्रमाणपत्र का अनुदान	13,500		
3.	संदेह की दशा में देशीयकरण प्रमाणपत्र का अनुदान	5,000		
4.	इन नियमों के नियम 38 में वर्णित आवेदन या घोषणा पर हस्ताक्षर करने का साक्षी होना, राजनिष्ठा की शपथ	500	1000	

٠.	दिलाना		
5.	भारतीय नागरिकता ग्रहण करने या नागरिकता के त्यजन के आशय की घोषण का रजिस्ट्रीकरण	5000	7000
6.	अधिनियम द्वारा या उसके अधीन दी गई कोई सूचना, अनुदत्त प्रमाणपत्र या किए गए आदेश, की गई घोषणा या प्रविष्टि की प्रमाणित सत्यप्रति प्रदाय करने के लिए	500	
7.	देशीयकरण के प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति प्रदाय करने के लिए	2,000	
8.	अधिनियम की धारा 7क के अधीन भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण *	275 अमेरिकन डालर या स्थानीय करेंसी में उसके समतुल्य रकम	275 अमेरिकन डालर या स्थानीय करेंसी में उसके समतुल्य रकम
9.	भारत में विदेशी नागरिक का त्यजन	25 अमेरिकन डालर या स्थानीय करेंसी में उसके समतुल्य रकम	25 अमेरिकन डालर या स्थानीय करेंसी में उसके समतुल्य रकम
10.	भारत के विदेशी नागरिकों को प्रमाणपत्र पुनः जारी करना *	25 अमेरिकन डालर या स्थानीय करेंसी में उसके समतुल्य रकम	25 अमेरिकन डालर या स्थानीय करेंसी में उसके समतुल्य रकम
11.	भारत के विदेशी नागरिक के प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करना*	डालर या	100 अमेरिकन डालर या स्थानीय करेंसी में उसके समतुल्य रकम
12.	भारतीय मूल के कार्डधारकों के, जो वयस्क पात्र हैं, भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण *	25 अमेरिकन डालर या स्थानीय करेंसी में उसके समतुल्य रकम	25 अमेरिकन डालर या स्थानीय करेंसी में उसके समतुल्य रकम
13.	भारतीय मूल के कार्डधारकों के, जो अप्राप्तवय पात्र हैं, भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण *	145 अमेरिकन डालर या स्थानीय करेंसी	145 अमेरिकन डालर या स्थानीय करेंसी

80

में उसके में उसके समतुल्य रकम समतुल्य रकम

* टिप्पण-- प्रमारित फीस में से 25 अमेरिकन डालर या स्थानीय करेंसी में उसके समतुल्य रकम अप्रतिदेय होगी। बाकी आवेदन के स्वीकार न होने की दशा में प्रतिदाय कर दी जाएगी।"।

> [फा. सं. 26011/7/2006-आई.सी. I] अशीम खुराना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2009

GS.R. 124(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

PART I PRELIMINARY

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Citizenship Rules, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Collector" means the officer-in-charge of the revenue administration of a district and includes a Deputy Commissioner or District Magistrate, wherever so functioning;
 - (b) "Form" means a Form appended to Schedule I to these rules:
 - (c) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules;
 - (d) "section" means a section of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955)

PART - II APPLICATION FOR CITIZENSHIP

3. Application for registration of birth under section 4.- A person may submit an application for registration of birth of his minor child born outside India in terms of sub-section (1) of section 4 in Form I to the Indian consulate in the country, where such child was born, together with a declaration that the child does not hold the passport of any other country.

- 4. Application for registration under clause (a) of sub-section (1) of section 5.— An application from a person of Indian origin for registration as a citizen of India under clause (a) of sub-section (1) of section 5 shall not be entertained unless—
 - (a) the application is made in Form II;
 - (b) he gives an undertaking in writing that he shall renounce the citizenship of his country in the event of his application being sanctioned;
 - (c) he is ordinarily resident in India for a period of at least seven years on the date of making application; and
 - (d) he makes the oath of allegiance as specified in the Second Schedule to the Citizenship Act, 1955.
- 5. Application for registration under clause (c) of sub-section (1) of section 5.- (1) An application from a person, who is married to a citizen of India, for registration as a citizen of India under clause (c) of sub-section (1) of section 5 shall not be entertained unless
 - (a) the application is made in Form III;
 - (b) he gives an undertaking in writing that he shall renounce the citizenship of his country in the event of his application being sanctioned;
 - (c) on the date of making the application he,-
 - (i) has been ordinarily a resident of India; or
 - (ii) has been in the service of the Government of India; at least for a period of seven years; and
 - (d) he makes the oath of allegiance as specified in the Second Schedule to the Citizenship Act, 1955.

Explanation.- In computing the period of seven years, any broken period of residence and service under sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) shall be included in the period specified therein.

- (2) The Central Government may, in consideration of the special circumstances, exempt, any foreign national married to such an Indian citizen who is in the service of the Government in India, from the operation of clause (c) of sub-rule (1).
- (3) The Central Government may, in consideration of the special circumstances, exempt, any foreign national who has been married to an Indian citizen for not less than seven years and who has visited India at least once in a year during any seven years out of nine years, from the operation of clause (c) of sub-rule (1).

- 6. Application for registration under clause (d) of sub-section (1) of section 5.- An application for registration as a citizen of India under clause (d) of sub-section (1) of section 5, for a minor child of a person who is a citizen of India, shall not be entertained unless
 - (a) the application is made in Form IV; and
- (b) the parent of such minor child declares that he is the legal guardian of the child.
- 7. Application for registration under clause (e) of sub-section (1) of section 5.- An application from a person for registration as citizen of India under clause (e) of sub-section (1) of section 5 shall not be entertained unless—
 - (a) the application is made in Form V;
 - (b) he gives an undertaking in writing that he shall renounce the citizenship of his country in the event of his application being sanctioned; and
 - (c) he makes the oath of allegiance as specified in the Second Schedule to the Citizenship Act, 1955.
- 8. Application for registration under clause (f) of sub-section (1) of section 5.- An application from a person for registration as a citizen of India under clause (f) of sub-section (1) of section 5 shall not be entertained unless -
 - (a) the application is made in Form VI;
 - (b) he gives an undertaking that he shall renounce the citizenship of his country in the event of his application being sanctioned;
 - (c) he is resident in India for a continuous period of at least one year on the date of making application; and
 - (d) he makes the oath of allegiance as specified in the Second Schedule to the Citizenship Act, 1955.
- 9. Application for registration under clause (g) of sub-section (1) of section 5.- An application from a person registered as an overseas citizen of India, for registration as a citizen of India under clause (g) of sub-section (1) of section 5, shall not be entertained unless -
 - (a) the application is made in Form VII;
 - (b) he gives an undertaking in writing that he shall renounce the citizenship of his country in the event of his application being sanctioned;
 - (c) he has been an overseas citizen of India for a period of at least five years and resident in India for a continuous period of one year on the date of making application; and
 - (d) he makes the oath of allegiance as specified in the Second Schedule to the Citizenship Act, 1955.

- 10. Application for grant of citizenship by naturalisation under sub-section (1) of section 6.- An application from a person for naturalisation as a citizen of India under sub-section (1) of section 6 shall not be entertained unless
 - (a) the application is made in Form VIII;
 - (b) he gives an undertaking in writing that he shall renounce the citizenship of his country in the event of his application being sanctioned; and
 - (c) the application is accompanied with -
 - (i) a duly stamped affidavit verifying the correctness of the statements made in the application alongwith two affidavits from Indian citizens testifying the character of the applicant; and
 - (ii) a certificate depicting that the applicant has adequate knowledge of one of the languages specified in the Eighth Schedule to the Constitution of India.

Explanation 1.- The applicant shall be considered to have adequate knowledge of the concerned language if he can speak or read or write that language.

Explanation 2.- The certificate may either be issued by a recognised educational institution or a recognised public organization or from two persons of the locality or district of the applicant who are citizens of India.

- 11. Authority to which application may be made.- (1) An application for registration under section 5 or naturalisation under section 6 shall be made to the Collector within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident.
- (2) On the receipt of the application, the Collector shall issue an acknowledgment in Form IX.
- (3) On being satisfied about the correctness of the particulars of application and before forwarding the application to the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, the Collector shall administer to the applicant, who has applied for grant of citizenship by registration, the oath of allegiance as specified in the Second Schedule to the Citizenship Act, 1955.

PART-III ISSUE OF CETIFICATE OF CITIZENSHIP AND MAINTENANCE OF REGISTERS

- 12. Forwarding of applications to Central Government.- (1) The Collector shall forward every application received by him under clauses (a), (c), (d), (e), (f) and (g) of sub-section (1) of section 5 or sub-section (1) of section 6 to the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, within a period of sixty days from the date of its receipt, along with a report as to whether the applicant-
 - (a) satisfies all the conditions laid down in the relevant clauses of section 5 or section 6;
 - (b) has an intention to make India his permanent home;
 - (c) has signed the oath of allegiance as specified in the Second Schedule to the Citizenship Act, 1955; and
 - (d) is of good character and is a fit and proper person to be registered or naturalised, as the case may be, as a citizen of India.
- (2) The State Government or the Union territory Administration, as the case may be, shall forward the application along with its recommendation and the report of the Collector, to the Central Government within a period of thirty days from the date of receipt of the report of the Collector under subrule(1):

Provided that if for sufficient reasons, the Collector or the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, is unable to forward the application within the period specified in sub-rule (1) or sub-rule (2), the same may be forwarded to the State Government or the Union territory Administration or the Central Government, as the case may be, after the expiry of the period so specified but not exceeding ninety days along with the reasons for delay.

- (3) All the applications pending with the Collector or the State Government or the Union Territory Administration, as the case may be, on the date of commencement of these rules shall be dealt with in the manner specified in sub-rules (1) and (2).
- (4) If the application is not forwarded by the Collector or the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, to the Central Government within a period of ninety days from the date of receipt of the application, the applicant may represent to the Central Government in the Ministry of Home Affairs by enclosing a copy of the acknowledgement issued by the Collector.

- (5) The Central Government on receipt of the representation under subrule (4), may take up the matter with the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, to expedite its recommendation on the application for grant of citizenship.
- 13. Scrutiny of applications by Central Government.- The Central Government may,-
 - (a) on receipt of the applications from the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, complete in all respects; and
 - (b) on being satisfied after making such inquiry as it considers necessary for ascertaining the suitability of the applicant,

that he is a fit and proper person to be registered or naturalised, as the case may be, grant him the citizenship of India.

- 14. Grant of certificate of registration.— (1) Every person who is registered as a citizen of India under clauses (a), (c), (d), (e) or (f) of subsection (1) of section 5 shall be issued a certificate of registration in Form X signed by an officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India.
- (2) Every person who is registered as a citizen of India under clause (g) of sub-section (1) of section 5 shall be issued a certificate of registration in Form XI signed by an officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India.
- (3) A copy of the certificate of registration issued under this rule, shall be preserved for the purposes of record by the issuing authority.
- 15. Grant of certificate of naturalization.— (1) Every person who by naturalisation is made a citizen of India under sub-section (1) of section 6 shall be issued a certificate of naturalisation in Form XII signed by an officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India.
- (2) A copy of the certificate of naturalisation issued under this rule, shall be preserved for the purposes of record by the issuing authority.
- 16. Oath of allegiance for naturalization.—(1) The oath of allegiance, under sub-section (2) of section 6 by a person to whom the certificate of naturalisation is granted, shall be subscribed in Form XII and the oath of allegiance so subscribed shall be endorsed on the certificate of naturalisation to which it relates.

(2) The oath of allegiance under sub-rule (1) shall be subscribed within a period of three months from the date of grant of certificate of naturalisation to which it relates, or within such extended period as the authority granting the certificate may permit, and in case the oath is not taken within the said period, the certificate shall be of no effect:

Provided that no permission shall be given under this sub-rule unless a statement to that effect is endorsed on the certificate and signed by the officer authorised under rule 15 to sign the certificate of naturalisation.

- (3) The oath of allegiance required under sub-rule (1) shall be registered by such person and in such place as the authority granting the certificate may direct.
- (4) When the oath of allegiance is registered in accordance with any direction given under sub-rule (3), the authority, which registers it shall cause a copy of the oath and the certificate of naturalisation to which it relates to be sent to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs.
- 17. Register of citizens.-The Central Government shall maintain a register containing the names and other details of the persons registered or naturalised as citizen of India -
 - (a) under clauses (a), (e) and (f) of sub-section (1) of section 5, in Form XIII;
 - (b) under clause (c) of sub-section (1) of section 5, in Form XIV;
 - (c) under clause (d) of sub-section (1) of section 5, in Form XV;
 - (d) under clause (g) of sub-section (1) of section 5 in Form XVI; and
 - (e) under sub section (1) of section 6 in Form XVII.
- 18. Maintenance of registers and connected papers.- (1) Every entry made in the register maintained under rule 17 shall be numbered consecutively and each entry shall relate to one person only.
- (2) Every entry made in the register maintained under rule 17 shall be authenticated by the officer authorised to issue the certificate after a person is registered or as the case may be, naturalised as a citizen of India.
- (3) The register, all applications and papers connected therewith shall be preserved as permanent record.

PART IV

PROVISIONS AS TO CITIZENSHIP OF INDIA FOR PERSONS COVERED BY ASSAM ACCORD

- 19. Registering authority for the purpose of sub-section (3) of section 6A and form for registration.— (1) The Central Government may, for the purposes of sub-section (3) of section 6A, appoint an officer not below the rank of Additional District Magistrate as the registering authority for every district of the State of Assam.
- (2) An application for registration under sub-section (3) of section 6A shall be made in Form XVIII, by the person to the registering authority for the district in which he is ordinarily resident, within a period of thirty days from the date of his detection or identification as a foreigner or, as the case may be, within a period of thirty days of the appointment of the registering authority in the district.
- (3) The registering authority shall, after entering the particulars of the application in a register in Form XIX, return a copy of the application under his seal to the applicant.
- (4) One copy of every application received during a quarter shall be sent by the registering authority to the Central Government and the State Government of Assam along with a quarterly return in Form XX.
- (5) The registering authority may, and for the reasons to be recorded in writing, extend the period specified in sub-rule (2) for a period not exceeding sixty days.
- 20. Reference to Tribunals.- Where, in case of a person seeking registration under sub-section (3) of section 6A,-
 - (a) any question arises as to whether such person fulfils any requirement contained in the said sub-section; or
 - (b) the opinion of the Tribunal constituted under the Foreigners (Tribunals) Order, 1964 in relation to such person does not contain a finding with respect to any requirement contained in the said sub-section other than the question that he is a foreigner,

then, the registering authority shall, within a period of fifteen days of the receipt of the application under sub-rule (2) of rule 19, make a fresh reference to the Tribunal in this regard.

21. Jurisdiction of Tribunal.— The Tribunal constituted under the Foreigners (Tribunals) Order, 1964 having jurisdiction over a district or part thereof in the State of Assam shall have jurisdiction to decide references, received from the registering authority of that district or part thereof in relation to all references made under sub-section (3) of section 6A.

22. Declaration under sub-section (6) of section 6A.— The declaration under sub-section (6) of section 6A shall be made in Form XXI to the District Magistrate of the area within whose jurisdiction such person is ordinarily resident.

PART V RENUNCIATION AND DEPRIVATION OF CITIZENSHIP OF INDIA

- 23. Declaration of renunciation of citizenship.- (1) A declaration of renunciation of citizenship of India under sub-section (1) of section 8 shall be made in Form XXII, and shall state-
 - (a) under which provisions of law, the applicant is an Indian citizen; and
 - (b) the circumstances in which the applicant intends to acquire foreign citizenship.
- (2) On receipt of the declaration of renunciation of citizenship of India under sub-rule (1), an acknowledgement in Form XXIII shall be issued by an officer designated under rule 38.
- (3) The declaration shall be registered in the Ministry of Home Affairs, Government of India.
- (4) The Central Government in the Ministry of Home Affairs shall maintain a register in Form XXIV containing the names of persons whose declaration of renunciation of citizenship are registered under this rule.
- 24. Declaration of intention to resume Indian citizenship.- (1) A declaration of intention to resume citizenship under the proviso to sub-section (2) of section 8 shall be made in Form XXV, within a period of one year of attaining the full age and the oath of allegiance as specified in the Second Schedule to the Citizenship Act shall be subscribed and duly attested.
- (2) Every such declaration shall be registered in the Ministry of Home Affairs, Government of India.
- (3) No such declaration shall be registered unless the declarant has taken the oath of allegiance given at the end of the Form.
- (4) Every person who makes such declaration shall be issued a certificate of resumption of citizenship of India in Form XXVI, signed by an officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India, and where such a certificate is issued, a copy thereof shall be preserved for the purpose of record by the issuing authority.

- (5) The Central Government in the Ministry of Home Affairs shall maintain a register in Form XXVII containing the names of persons whose declaration of resumption of Citizenship of India are registered under this rule.
- 25. Notice to be given before deprivation of citizenship.- (1) When it is decided to make an order under section 10 depriving a person of his citizenship of India, a notice under sub-section (4) of that section shall be given-
 - (a) in a case where the person's whereabouts is known, by causing the notice to be delivered to him personally or by sending it to him by post; or
 - (b) in a case where the person's whereabouts is not known, by sending it to his last known address.
- (2) On receipt of the notice under sub-rule (1), the effected person may make an application for referring his case to a Committee of Inquiry under sub-section (5) of section 10,-
 - (a) if that person is in India at the time when the notice is given to him, within a period of three months from the date of the notice; or
 - (b) in any other case, within such time being not less than three months from the date of the notice, as the Central Government may specify in the notice:

Provided that the Central Government may, in special circumstances and for reasons to be recorded in writing, extend the period within which the application under this rule may be made.

- (3) On receipt of the application under sub-rule (2), the Central Government shall refer the case to the Committee of Inquiry for its decision.
- 26. Committee to follow procedure specified in Schedule II in holding inquiry.- A Committee of Inquiry appointed under section 10 shall, while holding the inquiry under sub-section (6) of that section, follow the procedure laid down in Schedule II.
- 27. Order depriving a person of citizenship of India to be published.- Every order made under section 10, depriving a person of the citizenship of India, shall be published in the Official Gazette.

- 28. Surrender and cancellation of certificate in case of deprivation of citizenship.— (1) Where an order has been made depriving a person registered or naturalised in India of his citizenship of India, the person so deprived or any other person in possession of the certificate of registration or naturalisation shall, when required by notice in writing given by the Central Government, deliver the said certificate to such person and within such period as may be specified in the notice.
- (2) On the certificate being delivered it shall be cancelled and in case the certificate is not delivered, then, the Central Government may direct that it shall, without prejudice to any action which may be taken under sub-rule (3), be treated as cancelled.
- (3) If any person fails to comply with any notice given under sub-rule (1), he shall be liable to a fine, which may extend to one thousand rupees.

PART VI OVERSEAS CITIZENSHIP OF INDIA – REGISTRATION, RENUNCIATION AND CANCELLATION

- 29. Application for registration under section 7A.- (1) An application for registration as an overseas citizen of India under section 7A shall be made in Form XXVIII.
- (2) A family consisting of a spouse and upto two minor children may apply in the same Form.
- 30. Application for registration under section 7A by Person of Indian Origin card holders.- A Person of Indian Origin Card holder, notified vide the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number 26011/4/95-F.I, dated the 19th August, 2002 (published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1), as amended from time to time, who is otherwise eligible for registration as overseas citizen of India, may apply in Form XXVIII for grant of registration, which shall be decided in the manner specified in this part for other applicants.
- 31. Authority to which applications are to be made. An application under rule 29 or as the case may be, rule 30 shall be made in duplicate -
 - (a) in India -
 - (i) to the Foreigners Regional Registration Officer situated at National Capital Territory of Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai or Amritsar, who shall forward the same to the Central Government in the Ministry of Home Affairs; or
 - (ii) to the Foreigners Division, Ministry of Home Affairs;

- (b) outside India-
 - (i) to the Indian Mission or Post having jurisdiction over the country of which an applicant is a citizen; or
 - (ii) where he is not in the country of his citizenship, to the Indian Mission or Post having jurisdiction over the country of which the applicant is ordinarily resident.
- 32. Scrutiny of applications.-(1) The Central Government may, after a preliminary inquiry and on being apparently satisfied that there is no adverse information available against the applicant, register the person as an overseas citizen of India as soon as possible but not later than a period of thirty days and the case shall be placed for post verification of the antecedents.
- (2) The Central Government may, in case of any adverse information against the applicant, and after making such inquiry as it considers necessary, approve or reject the grant of registration within a period of four months from the date of receipt of the application.
- 33. Certificate of registration and maintenance of register of persons under section 7A.- (1) Every person, who is registered as an overseas citizen of India under section 7A shall be issued a certificate of registration in Form XXIX, signed by an officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India.
- (2) A copy of the certificate of overseas citizen of India issued under this rule, shall be preserved for the purposes of record by the issuing authority.
- (3) The issuing authority shall maintain, a register containing names and other details of the persons registered as overseas citizen of India under section 7A in Form XXX and a copy thereof shall be forwarded to the Ministry of Home Affairs in the first week of every month.
- 34. Declaration of renunciation of overseas citizenship.- (1) A declaration of renunciation of overseas citizenship of India under section 7C shall be made in Form XXXI, accompanied with the original certificate of registration of overseas citizen of India, to the concerned Indian Mission or Post or the Ministry of Home affairs, Government of India who in turn shall forward the same to the authority which issued the said certificate of registration.
- (2) On receipt of the declaration of renunciation of overseas citizenship of India, the issuing authority shall issue an acknowledgement in Form XXXII and remove the name of the declarant from the register of overseas citizen of India.

- 35. Cancellation of registration as overseas citizen.- (1) Where an order has been made canceling the registration as an overseas citizen of India, the person whose registration has been cancelled or any other person in possession of the certificate of registration shall, when required by notice in writing by the Central Government, deliver the said certificate to such person and within such period as may be specified in the notice.
- (2) On the certificate being delivered, it shall be cancelled and in case the certificate is not delivered, then the Central Government may direct that it shall be treated as cancelled.
- (3) The issuing authority shall make an appropriate entry in the registered maintained under sub-rule (3) of rule 33 stating the cancellation of registration as overseas citizen of India and a copy thereof shall be submitted to the Ministry of Home Affairs in the first week of every month.

PART VII MISCELLANEOUS

- 36. Variation in Form of application or declaration.— Where a person wishes to make an application or declaration under any of these rules and the form referred to in the rule is, in the opinion of the Central Government or other authority to whom the application is to be sent for registration, unsuitable to the particular case, the Central Government or that other authority, as the case may be, may authorize the application or declaration being made in some other form.
- 37. Certificate of citizenship in case of doubt.- A certificate of citizenship in case of doubt under section 13 may be issued in Form XXXIII and shall be signed by an officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India.
- 38. Authority before whom application or declaration may be made or by whom the oath of allegiance may be administered.— (1) An application or declaration made in accordance with these rules shall not be accepted or registered and the oath of allegiance required by sub-section (2) of section 5 or sub-section (2) of section 6 shall be of no effect, unless it is signed in the presence of, or administered by,-
 - (i) the Collector, Deputy Commissioner, or the District Magistrate in India:
 - (ii) any Consular officer as defined in clause (d) of rule 2 of the Citizens (Registration at Indian Consulates) Rules, 1956 outside India:

Provided that if the applicant or declarant is serving in India in the naval, military or air forces of the Union, the application or declaration may be signed in the presence of, or the oath administered by, any officer holding a commission in any of these forces.

- (2) Notwithstanding anything contained in rules 11 and 12, an application under sub-rule (3) of rule 5 for registration under clause (c) of sub-section (1) of section 5 as an Indian citizen from a foreign national married to an Indian citizen may be made to the Indian Consulate or Embassy or Mission where he is a resident, who in turn shall forward it to the Central Government in the Ministry of Home Affairs for consideration.
- 39. Certificate of documents.-A document may be certified to be a true copy of a document by means of a statement in writing to that effect signed by any of the persons before whom the application or declaration may be made or whom the oath of allegiance may be administered or by any officer now below the rank of an Under Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs.
- 40. Authority to determine acquisition of citizenship of another country.— (1) For the purpose of sub-section (2) of section 9, the Central Government may determine the issues as to whether, when or how any citizen of India had acquired the citizenship of another country.
- (2) The Central Government while determining any such issues shall have due regard to the rules of procedure specified in Schedule III.
- 41. Fees.- The fees specified under column (3) or, as the case may be, under column (4) of the Schedule IV shall be levied and collected in respect of the matters referred to under column (2) of that Schedule.
- 42. Authority for revision of an order made under the Act by prescribed authority.- If an application is made by a person aggrieved by an order made under the provisions of the Act, the application shall be disposed off after giving a reasonable opportunity to the person affected to present his case, by an authority one rank higher than the authority specified for disposal of application against the order of which revision is sought.
- 43. Repeal and saving.- The Citizenship Rules, 1956 is hereby repealed:

Provided that such repeal shall not affect-

- (a) the previous operation of the said Rules or anything duly done or suffered thereunder; or
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Rules; or

- (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Rules; or
- (d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced any such penalty, forfeiture, or punishment, may be imposed as if the said Rules had not been repealed.

SCHEDULE I

[See rule 2(c)]

FORM I

(See rule 3)

The Citizenship Rules, 2009

APPLICATION FOR REGISTRATION OF BIRTH OF A MINOR CHILD AT AN INDIAN CONSULATE UNDER SECTION 4(1) OF THE CITIZENSHIP ACT,1955

Note: Please write/print in BLOCK LETTERS

PART I

PHOTOGRAPH

1. Full name of the minor child:	
2. Sex:3.Place & Country Bi	
4. Date of birth:	
5. Mark of identification:	
6. Present address:	
	•••••
7. (i) Father's full name:	••••••
(ii) Citizen of India by birth/descent/registrati	on*/naturalization *:
(iii) Occupation:	
(iv) Passport particulars: (a) Country	(b)Number

8. (i) Mother's full name:
(ii) Citizen of India by birth/descent/registration */naturalization *:
(iii) Occupation:
(iv) Passport particulars: (a) Country(b) Number
PART II
9. I,
Date Signature of parent
10. I,
11. Ido solemnly and sincerely declare that the foregoing particulars stated in the application are true and I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.
Date Signature of parent
Made and subscribed thisday of20 before me.
***Signature ***Designation
* If a citizen of India by registration or naturalization, please mention to the number and date of the certificate of registration or naturalization, as the case may be.

** Signature and designation of the officer authorized under rule 38 of the Citizenship Rules, 2009, before whom the declaration is made or oath of allegiance is taken. (i.e. any consular officer as defined in rule 2 (d) of the Citizens (Registration at Indian Consulates) Rules, 1956.

(This form complete in all respect shall be submitted in duplicate to the Indian Mission/Post in the country in which the applicant is ordinarily resident.)

PHOTOGRAPH

DOCOUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION BY THE APPLICANT

- 1. A copy of the birth certificate of the child.
- 2. A copy of the passport of both the parents.
- 3. A copy of the certificate of Indian citizenship if acquired by registration/naturalization.
- 4. A copy of the marriage certificate of the parents.

FORM II

[See rule 4(1)(a)] The Citizenship Rules, 2009

APPLICATION FOR REGISTRATION AS A CITIZEN OF INDIA UNDER SECTION 5(1)(a) OF THE CITIZENSHIP ACT,1955 MADE BY A PERSON OF INDIAN ORIGIN

Note: Please write/print in BLOCK LETTERS

PART I

1.	I,	trict.	State and
2.	My father's full name is	and a	Country) citizen
3.	My mother's full name is	• • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5	of.	intry)	or		a	
Э.	Dei	aiis oi	residence in maia			
	(a)	Date of	f entry in India		•••••	
	` '	for a pe	resided in India co criod of 12 months ing the date of app	immediately		Yes/No
	• •	preced months for per	the eight years in ing the said period s, I have resided in iod amounting in t ate to not less than	l of twelve India the		Yes/No
		S. No.	Details with address of residence in India for the last nine years	From	То	Years Months
		1	2	3	4	5
				<u> </u>		<u></u>
6	(c) If in s	ervice, address of	employer:		

9. Details of family members who are staying in India with the applicant:

S.No.	Name	Present Address	Relationship	Age
1	2	3	4	5
				:

10. Details of criminal proceedings, if any:

S. No.	Nature of the criminal proceedings	Date and place of registering the case	Present status of the case	Judgment of the court
1	2	3	4	5

PART II

11. I have/have not previously renounced or been deprived of the citizenship of India.

(If the applicant has renounced his Indian citizenship, here state the date on which the declaration of renunciation was made; or if he has been deprived of his citizenship, state the date on which and the authority by whom, the order of deprivation was made.)

- 12. I have/have not previously applied for registration as a citizen of India and the application has/has not been rejected.
- 13. I hereby declare that my intention is to make India my permanent home and undertake that I shall renounce the citizenship of my country in the event of my application being sanctioned.

declare that the foregoing particulars, stated in this application are true and I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.		
Date:	Signature:	
Made and subscrib20.	bed thisofbefore me.	
	Signature Designation	
than by naturaliz solicitor or agen	d, hereby state that I am an Indian citizen otherwise ration, that I am a householder, and that I am not the t of	
	Signature Name Full postal address	
	Oath of Allegiance	
Constitution of In-	do solemnly affirm and of God that I will bear true faith and allegiance to the dia as by law established and that I will faithfully f India and fulfill my duties as a citizen of India.	
	Signature	
	vorn and subscribed thisday of .20before me.	
	Signature *Designation	

*Signature and designation of the officer authorized under rule 38 of the Citizenship Rules, 2009, before whom the registration, declaration or oath of allegiance is made or taken. (i.e. the Collector, Deputy Commissioner, District Magistrate)

(This Form complete in all respects shall be submitted in triplicate to the Collector/Deputy Commissioner/District Magistrate within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident for transmission to the Central Government through the State Government or the Union territory Administration, as the case may be)

DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION BY THE APPLICANT

- 1. A copy of the valid Foreign Passport.
- 2. A copy of the valid Residential Permit.
- 3. Evidence of the date of birth of the parents viz. a copy of the passport or birth certificate.
- 4. A copy of Bank challan in original amounting to Rs.500/- payable towards declaration and oath of allegiance deposited in the State Bank of India under Head No."0070-Other Administrative Services-Other Services-receipts under the Citizenship Act".

FORM III

[See rule 5(1)(a)] The Citizenship Rules, 2009

APPLICATION FOR REGISTRATION AS A CITIZEN OF INDIA UNDER SECTION 5(1)(c) OF THE CITIZENSHIP ACT,1955 MADE BY A PERSON WHO IS/HAS BEEN MARRIED TO A CITIZEN OF INDIA

Note: Please write/print in BLOCK LETTERS

PART I

PHOTOGRAPH

1.	I,	(complete	postal
	of full age and capacity and was born at (with and country)	Tehsil, Distric	ct,State
	of		
2.	My father's full name is	trict, State and is a	and
3.	My mother's full name is	strict, State	e and
4.	. I was married at (with Tehsil, Discountry)on		t
	. My husband/wife was born at (with Tehsil, country)on	and he/she	18 a
6.	My marriage subsists YES/	NO	
7.	Details of residence in India:		
	(a)Date of entry in India:		
	(b) I have resided India continuously for a period of 12 months immediately preceding the date of application.	Yes/N	lo ·
	(a) During the eight years immediately preceding the said period of twelve months, I have resided in India for period amounting in the aggregate to not less than six years.	Yes/N	lo .

S. No.	Details with address of residence in India for the last nine years	From	То	Years Months
1	2	3	4	5

8.	(a) Sex:(b) Occupation:	
	(c) If in service, address of employer:	
	(d)Mark of Identification:	
9.	Passport particulars:	
	(a)Country:(b)Number	
0.	Visa valid up to:	
	Details of familia manual 1	

11. Details of family members who are staying in India with the applicant:

S.No.	Name	Postal Address	Relationship	Age
1	2	3	4	5

12. Details of criminal proceedings, if any:

S.No.	Nature of the criminal proceedings	Date and place of registering the case	Present status of the case	Judgment of the court
1	2	3	4	5

PART II

- 13. I have/have not previously renounced or been deprived of the citizenship of India.

 (If the applicant has renounced his Indian citizenship, here state the date on which the declaration of renunciation was made; or if he has been deprived of his citizenship state the date on which and the authority by whom, the order of deprivation was made)
- 14. I have/have not previously applied for registration as a citizen of India and the application has /has not been rejected.
- 15. I hereby declare that my intention is to make India my permanent home and undertake that I shall renounce the citizenship of my country in the event of my application being sanction

declare that the foregoi	do solemnly and sincer ing particulars stated in this application are to declaration conscientiously believing the sa	pplication are true	
Date:	Signature	•••	
Made and subscribedbefore me.	this Dayof	20	
	*Signature *Designation	•••	
than by naturalization	reby state that I am an Indian citizen otherw that I am householder, and that I am not the correctness of th	ise the	

statements made by him in his application for Indian Citizenship.

Signature	•••••	• • • • • •	
Name			
Full postal address			• • • • • •
**********	••••••		

Oath of Allegiance

I,	will faithfully observe the laws of Indi		
	*Signature		
Affirmed/Sworn and subscribed of20			
	Signature Designation		

*If a citizen of India by registration or naturalization, please mention the number and date of the certificate of registration or naturalization, as the case may.

**Signature and designation of the officer authorized under rule 38 of the Citizenship Rules, 2009 before whom the registration, declaration or oath of allegiance is made or taken. (i.e. the Collector, Deputy Commissioner, District Magistrate)

(This Form complete in all respects shall be submitted in triplicate to the Collector/Deputy Commissioner/District Magistrate within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident for transmission to the Central Government through the State Government or the Union territory administration, as the case may be.)

DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION BY THE APPLICANT

- 1. A copy of the Valid Foreign passport.
- 2. A copy of the Valid Residential Permit.
- 3. Evidence of his/her husband's/wife's Indian nationality viz. copy of Indian passport or birth certificate.
- 4. A copy of marriage certificate issued by the Registrar of Marriage.
- 5. A copy of Bank challan in original amounting to Rs.500/-towards declaration and oath of allegiance deposited in the State Bank of India under Head No."0070-Other Administrative Services-Other Services-receipts under the Citizenship Act".

FORM IV

[See rule 6(1)(a)]
The Citizenship Rules, 2009

APPLICATION FOR REGISTRATIN OF A MINOR CHILD UNDER SECTION 5(1)(d) OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955

Note: Please write/print in BLOCK LETTERS

PART I

|--|

1. Full name of the minor child:						
2. Sex		3.	Place & Country	y of Birth	•••••	
4. Dat	e of birth			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
5. Ma	rk of ider	ntification	•••••	•••••		
6. Pre	sent addr	ess	•••••	•••••		

7. (i)	Father's	full name:	************			
(ii)	Citizen o	of India by birth/	descent/registra	tion*/naturalizat	ion*:	
(iii)	Occupat	ion:	•••••			
(iv)	Passpor	t particulars: (a)	Country	(b) Nı	ımber	
8. (i)	Mother's	s full name:			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
(ii)	Citizen o	f India by birth/	descent/registrat	tion*/naturalizat	ion*:	
(iii)	Occupati	on:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
(iv)	Passpor	t particulars: (a	Country	(b) N	umber	
9. Det	ails of cr	iminal proceedir	ngs, if any:			
	S.No.	Nature of the criminal proceedings	Date and place of registering the case	Present status of the case	Judgment of the court	

1	2	3	4	5
	·			

PART II

		I AICI	. AA		
a parent	/guardian o s relate, here	of	t	a citizen of India ar o whom the foregoin child for registration as)6
respect of	f my child a ry on behalf	nd undertake th	at I shall re the event o	dia as permanent home is enounce the citizenship of f the application for gran ed.	of
Date	•••••	Sign	ature of pa	rent/guardian	
foregoin	g particulars	s stated in the	application	sincerely declare that the are true and I make the same to be true.	
Date	•••••	Signa	ature of pare	ent/guardian	
4		subscribedbefore me.	this	da	ıy
			**Signati	ure	
			_	nation	
by natur or agent	alization, tha	at I am a housel	I am an Ind nolder, and n for the cor	ian citizen otherwise that I am not the solicitorectness of the statement	ın or
Date	••••••	Na		dress	

• If a citizen of India by registration or naturalization, please refer to the number and date of the certificate of registration or naturalization as the case may be.

**Signature and designation of the officer authorized under rule 38 of the Citizenship Rules, 2009 before whom the registration, declaration or oath of allegiance is made or taken. (i.e. the Collector, Deputy Commissioner, District

Magistrate)

(This Form complete in all respects shall be submitted in triplicate to the Collector/Deputy Commissioner/District Magistrate within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident for transmission to the Central Government through the State Government or the Union territory administration, as the case may be.)

DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION BY THE APPLICANT

1. A copy of the valid Foreign passport.

2. A copy of the valid Residential Permit.

3. Proof of Indian citizenship of both the parents viz. copy of Indian

passport/birth certificate.

- 3. A copy of Bank challan in original amounting to Rs.250/-towards declaration deposited in the State Bank of India under Head No."0070-Other Administrative Services- Other Services-receipts under the Citizenship Act".
- 4. In case of guardian, enclose proof of guardianship.

FORM V

[See rule 7(1)(a)] The Citizenship Rules, 2009

APPLICATION FOR REGISTRATION AS A CITIZEN OF INDIA UNDER SECTION 5(1)(e) OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955 MADE BY A PERSON WHOSE PARENTS ARE REGISTERED AS CITIZENS OF INDIA UNDER SECTION 5(1)(a) OR SECTION 6(1)

Note: Please write/print in BLOCK LETTERS

PART I

PHOTOGRAPH

1. I ,							
(menti	on full	nam	e) resider	nt of	(comple	ete post	tal
addres	s) e and can	acity and	was horn at	(with	reheil Dietri	of ct State or	nd
full age and capacity and was born at (with Tehsil, District, State and Country)on							
•••••					.	V-7-1-1-1	-
was ton under	oorn at (with section	th Tehsil, 5(1)(a)	District, State, and he was section 6(1)	and Co registe vide o	untry) red as a citi certificate N	izen of Ind	lia
3 Myr	nother's fu	ll name i	s			and sl	ha
			District, State				
on		a	and she was re wide certificat	gistered	as a citizen o	of India und	let
and h	ne/she was	born a	name ist (with Tehs	il, Dist	rict, State a	and Countr	y)
(c) If i	n service, a	ddress of	(b) Occu employer:				
	ort particulations		(b) Numbe	eri			
7. Visa v	valid up to:		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		******		æ
			who are stayi				
S.	Nar	ne	Present Ad	dress	Relationship	Age	
No.					•		
1	2		3		4	5	

9. Details of criminal proceedings, if any:

S.No.	Nature of the criminal proceedings	Date and place of registering the case	Present status of the case	Judgment of the court
1	2	3	4	5
·				
·				

PART II

10. I have/have not previously	renounced or	been	deprived	of the	citizenship
of India.				•	

(If the applicant has renounced his or her Indian citizenship, here state the date on which the declaration of renunciation was made; or if he has been deprived of his citizenship, state the date on which and the authority by whom, the order of deprivation was made.)

- 11. I have/have not previously applied for registration as a citizen of India and the applicant has/has not been rejected.
- 12. I hereby declare that my intention is to make India my permanent home and I undertake that I shall renounce the citizenship of my country in the event of my application being sanctioned.

13.	I,							do	solemnly	y an	d s	ince	ere	ly
	declare	that	the fore	egoing r	articul	lars, st	tated in	1 th	is applica believing	tion	are	true	aı	nd
	true.	-									-			

Date:				Signature:	
Made	and	subscribed	this befo	day ore me.	of

*Sig	mat	ture	 • •	 ٠.	 •	•	٠.	•	• •	•	
. —											

^{*}Designation.....

by naturalization, that I am a household or agent of I vouch fo made by	ler, and that I am not the solicitor r the correctness of the statement
	Signature Name Full Postal Address
Oath of Allegic	•
I,	of India as by law established and
Signatu	ıre
Affirmed/Sworn and subscribed this of20before me.	day
	Signature *Designation
*Signature and designation of the officer Citizenship Rules, 2009 before whom the allegiance is taken. (i.e. the Collector, Magistrate)	declaration is made or oath of
This famous and the institution of the state	he subscitted in twintings to the

(This form complete in all respects shall be submitted in triplicate to the Collector/Deputy Commissioner/District Magistrate within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident for transmission to the Central Government through the State Government or Union territory administration, as the case may be).

DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION BY THE **APPLICANT**

- 1. A copy of the valid Foreign passport.
- 2. A copy of valid Residential permit.

PHOTOGRAPH

- 3. Copies of Indian Citizenship Certificates issued under Section 5(1)(a) or 6(1) of the Citizenship Act, 1955 of both the parents.
- 4. A copy of Bank challan in original amounting to Rs.500/towards declaration and oath of allegiance deposited in the
 State Bank of India under Head No."0070-Other
 Administrative Services-Other Services-receipts under the
 Citizenship Act".

FORM VI

[See rule 8(1)(a)]
The Citizenship Rules, 2009

APPLICATION FOR REGISTRATION AS A CITIZEN OF INDIA UNDER SECTION 5(1)(f) OF THE CITIZENSHIP ACT, 2008 MADE BY A PERSON WHO OR EITHER OF THE PARENTS WAS A CITIZEN OF INDEPENDENT INDIA

Note: Please write/print in BLOCK LETTERS

PART I

			,				
1.	(mention	full	name)	resident	of	(complete	postal
	of full age	e and ca	pacity and	was born	at(with T	ehsil, Dist	rict, State
2.	was born a	at (with ?	Γehsil, Dis	trict, State a	ind Count	ry)	
3.				Tehsil,			
	C				and	ie a	citizen

4.	was Cour	ntry)	at (with	n Tel	nsil, I	District, is	State a	and citizen
5.	I or section	either of my	y parents consequent to	eased to my or name	be an In their acq	idian citiz uiring th of	zen by v e citizen c	irtue of ship of country)
6.	Deta	ils of reside	nce in India	•				
	(a) Da	ate of entry	n India.			• • • • • • • • • • • •		
	fo	nave resided r a period of eceding the	12 months	immedi			Yes/N	o
	pro mo	uring the eigeceding the conths, I have riod amount tess than s	said period resided in ing in the a	of twelv India for	e a		Yes/N	0
	S. No.	Details wi of residence for the last	ce in India	From	То	Years	Months	
	1 ·	, ,	2	3	4		5	
7	(c)If	ex:in service, a	ddress of ea	nployer:				
8	. Pass (a)C	sport particu	ılars:	(b) 1	Number:	,		••••
9	. Visa	a valid up to	•				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

10. Details of family members who are staying in India with the applicant:

S.No.	Name	Present Address	Relationship	Age
1	2	3	4	5
1				<u>]</u>

11. Details of criminal proceedings, if any:

S.No.	Nature of the criminal proceedings	Date and place of registering the case	Present status of the case	Judgment of the court
1	2	3	4	5

PART II

12. I have/have not previously renounced or been deprived of the citizenship of India.

(If the applicant has renounced his Indian citizenship, here state the date on which the declaration of renunciation was made; or if he has been deprived of his citizenship state the date on which and the authority by whom, the order of deprivation was made.)

- 13. I have/have not previously applied for registration as a citizen of India and the application has/has not been rejected.
- 14. I hereby declare that my intention is to make India my permanent home and I undertake that I shall renounce the citizenship of my country in the event of my application being sanctioned.

1 5	. I,do solemnly and sincerely
	declare that the foregoing particulars, stated in this application are true,
	and I make this solemn declaration conscientiously believing the same
	to be true.

Dote:	Signature
Date:	Digitataro

Signature
Name
Full Postal Address

*Designation.....

Oath of Allegiance

•	Signatu	ıre	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Affirmed/Sworn	and day of		this before me.
	*Signatu	ıre	

(This form complete in all respects shall be submitted in triplicate to the Collector/ Deputy Commissioner/District Magistrate within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident for transmission to the Central Government through the State Government or Union territory administration, as the case may be).

^{*}Signature and designation of the officer authorized under rule 38 of the Citizenship Rules, 2009 before whom the declaration is made or oath of allegiance is taken. (i.e. the Collector/Deputy Commissioner, District Magistrate)

DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION BY THE APPLICANT

- 1. A copy of valid Foreign Passport.
- 2. A copy of valid Residential Permit.
- 3. Evidence that the applicant or either of his parents was a citizen of Independent India viz. copy of passport or birth certificate.
- 4. A copy of Bank challan in original amounting to Rs.500/-towards declaration and oath of allegiance deposited in the State bank of India under Head No."0070-Other Administrative Services-Other Services-receipts under the Citizenship Act".

FORM VII

[See rule 9(1)(a)]
The Citizenship Rules, 2009

APPLICATION FOR REGISTRTION AS A CITIZEN OF INDIA UNDER SECTION 5(1)(g) OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955 MADE BY A PERSON WHO IS REGISTERED AS AN OVERSEAS CITIZEN OF INDIA UNDER SECTION 7 A

Note: Please write/print in BLOCK LETTERS

PART I

P	HOTOGRAPH	
		٠.

1.	I, (mention full name address)	e) re:	sident	of	(complet	e postai
	(with Tehsil, District,	of full State	age an	d capac ountry)	ity and v	vas dom at
2.	My father's full name is he was born at Country)	(with	Tensi	ו, בוו, on	strict,	and is a

3.	and Coun	nother's full name is she was born atry)	at(with	Tehsil,	District,	State and and is a
4.	and Coun	wife's/husband's full he/she was born try)	at (with	Tehsil,	District,	State and . and is a
5.		as registered as an over certificate of registration				
6.	Detai	ls of residence in India:				
	(a) I	Date of entry in India			•••	
	fo	have resided in India co or a period of 12 months eceding the date of appl	immedia	-		Yes/No
	pr me	Ouring the eight years in eceding the said period onths, I have resided in triod amounting in the a of less than six years.	of twelv India for	e a	Y	es/No
	S. No.	Details with address of residence in India for the last nine years	From	То	Years	Months
	1	2	3	4		5
7.	(c) If	ex:(b)(in service, address of e ark of identification:	mployer:		**********	
8.		oort particulars:) Country:	(b)	Number		
9.	Visa v	valid up to:				

10. Details of family members who are staying in India with the applicant:

p Age	Relationship	Present Address	Name	S.No.
5	4	3	2	1
	·		•	
				ļ

11. Details of criminal proceedings, if any:

S.No.	Nature of the criminal proceedings	Date and place of registering the case	Present status of the case	Judgment of the court
1	2	3	4	- 5

PART II

12. I have/have not previously renounced for been deprived of the citizenship of India.

(If the applicant has been deprived of his Indian Citizenship, here State the date on which the declaration of renunciation was made; or if he has been deprived of his citizenship state the date on which and the authority by whom, the order of deprivation was made).

- 13. I have/have not previously applied for registration as a citizen of India and the application has/has not been rejected.
- 14. I hereby declare that my intention is to make India my permanent home and I undertake that I shall renounce the citizenship of my country in the event of my application being sanctioned.

15. I,	do solemnly	and sincerely	declare th	at the
foregoing particulars, stated	in this applic	ation are true,	and I mak	e this
solemn declaration conscien	tiously believ	ing the same t	o be true.	

Date:	Signature

Made and subscribed this	dayof e.
	*Signature *Designation
16. I, the undersigned, hereby state that than by naturalization, that I am a land solicitor or agent of	nouseholder, and that I am not the
I vouch for the correctnes byin citizenship.	ss of the statement made
	Signature Name Full Postal Address

Oath of All	legiance
I,and swear in the name of God that I will be Constitution of India as by law established the laws of India and fulfill my duties as a c	ear true faith and allegiance to the and that I will faithfully observe
	Signature
Affirmed/Sworn and subscribed this . 20before me.	day of
	Signature Designation
*Signature and designation of the officer Citizenship Rules, 2009 before whom the reallegiance is made or taken. (i.e. the CDistrict Magistrate)	egistration, declaration or oath of

(This form complete in all respects shall be e submitted in triplicate to the Collector/Deputy Commissioner/District Magistrate within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident for transmission to the Central Government through the State Government or the Union territory administration, as the case may be)

DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION BY THE APPLICANT

- 1. A copy of the valid Foreign Passport.
- 2. A copy of the certificate of registration as overseas citizen of India under section 7A.
- 3. A copy of Bank challan in original amounting to Rs.500/towards declaration and oath of allegiance deposited in the State Bank of India under Head No."0070-Other Administrative Services-Other Services-receipts under the Citizenship Act".

FORM VIII

[See rule 10 (1) (a)] The Citizenship Rules, 2009

APPLICATION FOR NATURALIZATION AS A CITIZEN OF INDIA UNDER SECTION 6(1) OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955

Note: Please write/print in BLOCK LETTERS

PART I

	PHOTOGRAPH
1. Full name of the applicant:	
2. Present address :	
3. (a) Sex:(b) Occupation:(c) If in service, address of employer:(d) Mark of identification:	
4. Place and date of birth:	
5. Nationality by birth:	•••••
6. Present nationality, if different:	

7. (a) Marital Status:(b) If married, give date and place of marriage and nationality of the spouse(c) Husband's or wife's name:	
8. Father's full name isresident ofborn at (with Tehsil, District, State aand is a citizen of	and he was and Country)on
9. Mother's full name is resident of born at (with Tehsil, District, State a and is a citizen of	and Country)on
10. Whether the applicant is a subject or citizen of any country where an Indian citizen is prevented by law or practice o that country from becoming a subject or citizen of that country by naturalization.	
11. Principal languages of India known and extent of knowledge thereof with evider	
12. Details of residence in India:	
(a) Date of entry in India	·
(b) I have resided in India continuously for a period of twelve months imme- preceding the date of application.	diately Yes/No
(c) During the fourteen years immediately preceding the said period of twelve months, I have resided in India for a period amounting in the aggregate	Yes/No
to not less than eleven years.	

S.	Details with address	From	То	Years	Months
No.	of residence in India				
	for the last fourteen				
	years	_			
1	2	3	4		5

1						
		1				
				1		
			T.			
						_
					 The state of the s	
-1						
- 1						
					· ·	
	!	•			,	

13. Reasons for which applicant wishes to acquire Indian citizenship:

14. Passport particulars:

(a)Country:.....(b)Number:....

15.Visa valid up to:.....

16. Details of family members who are staying in India with the applicant:

S.No.	Name	Present Address	Relationship	Age	
1	2	3 4		5	
				a Parlait	

17. Details of criminal proceedings, if any:

S.No.	Nature of the criminal proceedings	Date and place of registering the case Present status of the case		Judgment of the court	
1	2	3 .	4	5	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	,				

18. Names and addresses of at least two persons whose affidavits testifying to the character of the applicant and the correctness of the statements made in this application are attached herewith:

60
=
- 1
-
Œ
0
10
•
т.

PART II

19. I have/have not previously renounced or been deprived of the citizenship of India.

(If the applicant has renounced his Indian citizenship, here state the date on which the declaration of renunciation was made; or if he has been deprived of his citizenship, state the date on which and the authority by whom, the order of deprivation was made.)

- 20. I have/have not previously applied for naturalization as a citizen of India and the application has/has not been rejected.
- 21. I declare that my intention is to make India as permanent home and I undertake that I shall renounce the citizenship of my country in the event of my application being sanctioned.
- 22. I,.....do solemnly and sincerely declare that the foregoing particulars, stated in this application are true, and I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true. Date:

Affidavit to accompany the application for a certificate of naturalization under the Citizenship Act, 1955.*

Signature:....

In the matter of the application for a certificate of naturalization under the Citizenship I.....son Act. 1955. residing atmake oath and do solemnly and sincerely affirm that the statements contained in my application here unto annexed are true to the best of my knowledge and belief.

If, at any time before a certificate is issued to me, the accuracy of any of the foregoing particulars is affected by an alteration in circumstances, I undertake to inform the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs in writing forthwith.

Station	Signature
Date	

^{*} Affidavits to be attested by Notary/Oath Commissioner/Magistrate.

Affidavits testifying the character of the applicant and the correctness of the statements made in the application.

(vide item 18)

In the matter of an application for a certificate of naturalisation under
he Citizenship Act, 1955, made by I
residing at
oath and do solemnly and sincerely affirm that I am an Indian citizen otherwise than by naturalization; that I am a householder; that I am not a solicitor or agent of
and intimate acquaintance with, the said
foryears; that the statements contained in his
application for naturalization are true to the best of my knowledge and belief.
I support's application for
naturalization and I can vouch for his good character and loyalty.
G:
Date
Full postal address
Copies of two issues (in triplicate) of a newspaper or newspapers circulating in the district in which the applicant resides each containing (clearly marked) an advertisement in the following form should accompany the application.
"Notice is hereby given thatson/daughter/wife ofis applying to the Secretary to the Government of
India in the Ministry of Home Affairs for naturalization and that any person
India in the Ministry of Home Affairs for naturalization and that any person who knows any reason why naturalization should not be granted should send a written signed statement of the facts to the said Secretary."

(This form complete in all respects shall be e submitted in triplicate to the Collector/Deputy Commissioner/District Magistrate within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident for transmission to the Central Government through the State Government or the Union territory administration, as the case may be)

DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION BY THE APPLICANT

- 1. A copy of valid Foreign Passport.
- 2. A copy of valid Residential Permit.
- 3. A copy of Bank challan in original amounting to Rs. 1500/- deposited in the State Bank of India under Head No. "0070-Other Administrative Services-Other Services-Receipts under the Citizenship Act."
- 4. One affidavit from self (applicant) and two affidavits from two Indians testifying to the character of the applicant in the prescribed language available in the application form.
- 5. Two language Certificates certifying the applicant's knowledge in any one of the Indian languages specified in the Eighth Schedule of the Constitution. (A language certificate from a recognized educational institutions or from a recognized organization or from two Indian citizens of the district of the applicant).
- 6. Two newspaper (circulating in the district in which the applicant resides) cuttings of different dates or of different newspapers notifying his intention to apply for citizenship in the prescribed language in the application form.

FORM IX

[See rules 11(2] The Citizenship Rules, 2009

ACKNOWLEDGEMENT FOR THE APPLICATION FOR GRANT OF CITIZENSHIP UNDER SECTION 5(1)(a), (c), (d), (e), (f) AND (g) OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955

Received application from Miss/Ms./Mr	d/o, w/o.
s/o resident of	for registration of sub-section (1) of
Note Strike out whichever is not applicable.	

Dated	Signature with seal of the receiving officer
,	Signature with some of the receiving officer

FORM X

[See rule 14(1)]
The Citizenship Rules, 2009
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CERTIFICATE OF REGISTRATION

1. Name	. •	:	
2. Name of fathe	r	:	a a
3. Name of moth	ner	:	
4. Name of the h	usband/wife	:	
5. Date of birth		• 100 • 100 • 140 • 140	
6. Place of birth	,	:	·
7. Previous natio	nality	•	•
8. Occupation		:	· ·
9. Marks of iden	tification	:	
10.Address		:	
PHOTOGRAPH			

^{*}Strike out which ever is not applicable.

FORM XI

[See rule 14(2)]
The Citizenship Rules,2009
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CERTFICATE OF REGISTRATION

card * * .		110
been registere	certify that the person whose ed as a citizen of India under a ship Act, 1955-	particulars are given below has the provisions of section 5(1)(g)
1.	Name	:
2.	Name of father	:
3.	Name of mother	:
4.	Name of husband/wife	:
5.	Date of birth	:
6.	Place of birth	:
7.	Previous nationality	:
8.	Occupation	:
9.	Certificate of Registration number, date and place of is of overseas citizenship of Ir	
10.	Marks of identification	:
11.	Address	•
PHOTOGRA	PH	
Place of Issue.	Signatu egistered Person	are & Seal of Issuing Authority

FORM XII

[See rules 15(1) and 16(1] The Citizenship Ruls,2009 GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CERTIFICATE OF NATURALISATION

·				No
satisf menti	ing with respective the Government	has applied for to himself (herself) the rnment that the cond he grant of naturalisations.	e particulars se litions laid de	t out below, and has own in the above
natura time a subject rights liabili	Government he alisation, and de and in the manuce to the provise, powers and ities to which a	e, in pursuance of the creby grants to the eclares that, upon taking the required by the rule ions of the said Act, be privileges and be subjust Indian citizen is entitle status of an Indian	said	this certificate of allegiance within the behalf he/she shall, l political and other igations, duties and
	In witness w	hereof I have hereto	subscribed my	name this day of
	Photograph			
·	,			
		Signa	ature and Seal	of Issuing Authority
		Particular	'S	
	1. Name:	•••••••••••		,
	2. Address	••••••		•••••
				•

4. Place and date of birth	•••••
5. Previous nationality	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
6. Marital Status:	••••••
7. Mark of identification:	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
8. Name and nationality of wife/husl	oand:
9. Name and nationality of father:	••••••
10. Name and nationality of mother:	•••••
Oath of alleg	riance
I, A-B, do solemnly affirm (or swallegiance to the Constitution of India as faithfully observe the laws of India and ful	by law established and that I will
	Signature Designation
Affirmed/Sworn and subscribed this before me.	day of 20
	Signature *Designation

* Signature and designation of the officer authorized under rule 38 of the Citizenship Rules, 2009, before whom the registration, declaration or oath of allegiance is made or taken.

FORM XIII

[See rule 17(a)] The Citizenship Rules, 2009

REGISTER OF THE PERSONS REGISTERED AS INDIAN CITIZENS UNDER SECTIONS 5(1)(a),(e) & (f) OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955

S.No	Name	Father's name	Date of Birth	Last permanent address outside India	Date from which resident in India	Present Address	Date of Registration	Remarks
1	2 .	3	4	5	6 .	7	8	. 9
						· .		

Note: Serial No. in this register should correspond with the number in the registration certificate.

FORM XIV

[See rule 17(b)] The Citizenship Rules, 2009

REGISTER OF PERONS REGISTERED AS INDIAN CITIZENS UNDER SECTION 5(1)(c) OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955

S. No	Full Name of Applicant and Address	Occup ation	Piace and Date of Birth	Nation ality	Marital Status	Full Name and Address of hus- band/wife	Whether applicant has formally renounced or lost his/her former nationality or given an undertaking in writing to renounce it, if application is sanctioned Reference to documentary evidence furnished to be given	Particulars as to date and place of taking of oath of allegiance and actual issue of certificate	Reference letter from State Government for warding details of application	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									,	

Note.-Serial No. in this register should correspond with the number in the registration certificate.

FORM XV

[See rule 17(c)] The Citizenship Rules, 2009

REGISTER OF MINOR CHILDREN REGISTERED AS INDIAN CITIZENS UNDER SECTION 5(1) (d) OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955

S. No.	Name	Father's Name	Date of Birth	Present Address	. Remarks
1	2	3	4	5	6
<u>.</u>					
	!				

Note.-Serial No. in this register should correspond with the number in the registration certificate.

FORM XVI

[See rule 17 (d)] The Citizenship Rules, 2009

REGISTER OF PERSONS REGISTERED AS INDIAN CITIZENS UNDER SECTION 5(1)(g) OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955

S.No.	Name	Father's Date of name birth	name birth Permanent which Address Registration		Date of Registration	Overseas Citi	zen of India	Remarks		
				Address outside India	resident in India			Certificate No.	Place & Date of issue	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Note – Serial No. in this register should correspond with the number in the registration certificate.

FORM XVII

[See rule 17 (e)] The Citizenship Rules, 2009

REGISTER OF CERTIFICATE OF NATURALISATION AND OATHS OF ALLEGIANCE UNDER SECTION 6(1) OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955

S.No.	Full name and addr css	Profession of occupation	Place and date of birth	Previous us nation ality	Married, single, widower widow, divorced	Full name of wife/ husb and	Fuil name of parent	Date of certificate assigned and sent to the State Govt.	'[Attestation by Secretary/Joi nt Secretary, Deputy Secretary /Under Secretary Ministry of Home Affairs	Particulars as to date and place of taking of oath of allegiance e and actual issue of certificat e	Reference to letter from State Govt. forwardi ng details of applicati on	Remar ks
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

This Form when completed should be forwarded in triplicate to the Chief Secretary to the Government of the State in which the applicant is resident.

Note- Serial No. in this register should correspond with the number in the registration certificate.

FORM XVIII

[See rule 19 (2)]
The Citizenship Rules, 2009
(To be filed in quadruplicate)

APPLICAT	ΓΙΟΝ FOR REGISTRATIION UNDER S	ECTION	6A OF	THE
	CITIZENSHIP ACT, 1955	* *		

Photograph	L

1.	Name in full of applicant
	(Block Capitals, surname first)

$\overline{2}$.	Father's/ Husband's name
3.	Date and Place of birth
4.	Sex, Height, Colour of eyes
5.	Whether of Indian origin-If so, how
6.	Present Nationality
7.	Occupation or profession
8.	Date and place of arrival in Assam from Bangladesh
9.	First address in Assam after arrival
10.	Present address in Assam
11.	Date from which ordinarily resident in Assam
12.	Date and place of detection as a foreigner
13.	Name and address of the Tribunal declaring
	him as a foreigner; case number and date of order
14.	Name of husband/wife and children
15.	Physical identification marks of applicant
16.	(1) (2) Signature or thumb impression of applicant
	1. Registered at
	3. Finger prints of the registered person.
	J. I mget prints of the registered person.
Date	

Note.-A certified copy of the Tribunal Order should be attached with the Ist, 3rd and 4th copy of this application.

FORM XIX

[See rule 19 (3)] The Citizenship Rules, 2009

THE NAMES OF THE PERSONS REGISTERED ALONGWITH OTHER PARTICULARS UNDER SECTION 6A OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955
BY THE REGISTERING AUTHORITY...... DISTRICT, ASSAM

Serial No.	Name	Father's/ Husband's Name	Date and Place of birth	Present Address
1	2	3	4	5
		ŧ		
				1
-				

Date since he has been ordinarily residing in Assam	Date of expiry of registration i.e. he/she completes 10 years from the date of declaration or registration whichever is later	Remarks if any]
7	8	9
	been ordinarily	been ordinarily registration i.e. he/she completes 10 years from the date of declaration or

FORM XX

(See rule 19 (4)) The Citizenship Rules, 2009

LIST OF PERSONS WHO HAVE BEEN REGISTERED UNDER SECION 6A OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955 DURING THE QUARTER ENDING IN MARCH/JUNE/SEPTEMBER/DECEMBER, 20.....

S. No.	Name	Father's/ Husband's name	Date and place of birth	Present Address	Date of detection as foreigner by the Tribunal with case number and address of the Tribunal	Date of expiry of the registration	Remarks
1	2	3	4/	5	. 6	7	8

Place	-	****************************
Date	SEAL	Signature of Registering Authority
		Distt

FORM XXI

[See rule 22]
THE CITIZENSHIP RULES, 2009
(To be filled in triplicate)

DECLARATION AS REQUIRED UNDER SECTION 6A (6) OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955 TO BE FILLED IN BY THE PERSON WHO DOES NOT WISH TO BECOME A CITIZEN OF INDIA

Declaration

I,, son/daughter/wife of						
Date Place	Signature or thumb impression of the applicant.					
TO BE FILLED IN THE	OFFICE OF REGISTERING AUTHORITY					
Registration No						
Date Place SEAL	Signature of the Registering Authority.					
	FORM XXII					
The	[See rule 23 (1)] Citizenship RULES, 2009					
SECTION 8 OF THE AC	ENUNCIATION OF CITIZENSHIP UNDER T MADE BY A CITIZEN OF INDIA WHO IS R NATIONAL OF ANOTHER COUNTRY					
1. I,						
2. I have/have not been married.						

3. I hereby renounce my citizenship of India.

4.	I hereby renounce my citizenship of India and surrender my Indian Passport No with date of issue
5.	Name and full particulars of minor children who are Citizens of India, if any
tru	I,
	Signature
20	Made and subscribed this day of
٠	* Signature * Designation
	Particulars
ag	1. Full name 2. Address 3. Profession or occupation 4. Place and date of birth 5. (Second) Nationality 6. Single, married, etc. 7. Name of wife or husband 8. Names and nationalities of parents 9. Names and full particulars of children, if any I, the undersigned, hereby state that I am an Indian citizen otherwise an by naturalization that I am householder, and that I am not the solicitor or gent of
D	Signature
	Full Postal address
÷	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

* Signature and designation of the officer authorized under rule 38 of the Citizenship Rules, 2009, before whom the registration, declaration or oath of allegiance is made or taken.

FORM XXIII

[See rule 23(2)] The Citizenship Rules, 2009

ACKNOWLEDGEMENT FOR THE DECLARATION OF RENUNCIATION OF CITIZENSHIP OF INDIA UNDER SECTION 8 OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955

Received	declaration	of	renunciation	of	Indian	citizenship	under	
section 8 of the Citizenship Act, 1955 from Miss/Ms./Mr								
d/o,	w/o, s/o					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • •	
resident of	••••••		alor	nġ w	ith his/l	ner Indian Pa	essport	
No		ith	date of issue		•••••		•••••	
Date	****	S	Signature with	seal	of the r	eceiving offi	icer	

FORM XXIV

[See rule 23(4)] The Citizenship Rules, 2009

REGISTER OF DECLARATIONS OF RENUNCIATION OF INDIAN CITIZENSHIP

SI. No.	Full name of declaran t and address	Professio n or occupati on	Place and date of birth	Nationality of declarant's parents	Full names of parents	Married, single, widower, widow or divorced	Place where and date when declaratio n made	Reference to orders etc. from Ministry of Home Affairs	Attestation by Secretary, Joint Secretary, deputy Secretary/Under Secretary Ministry of Home Affairs	Reference to letter along with which declaration of renunciation received	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

This Form when completed should be forwarded in triplicate to the Chief Secretary to the Government of the State in which applicant is resident.

FORM XXV

[See rule 24 (1)] The Citizenship Rules, 2009

DECLARATION OF INTENTION TO RESUME INDIAN CITIZENSHIP UNDER SECTION 8(2) OF THE ACT MADE BY A PERSON WHO HAS CEASED TO BE AN INDIAN CITIZEN ON THE LOSS OF INDIAN CITIZENSHIP BY HIS PARENTS IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF SECTION 8(1) OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955.

PROVISIONS OF SECTION 6(1) C	/ THE CITEDING III TO 1, 1900.
1. I,	horn at On
	born at on
My Mother's full name is	
4. I ceased to be an Indian citize of the Citizenship Act, 1955, on . fact that	en by virtue of sub-section (1) of section 8
[Here state the cause where declarant ceased to be Indian citize to be Indian citizens and all other re	by the declarant's father/mother and the ns, the year and date in which they ceased elevant information].
5. If I had not so ceased to be a citizen by reason of the fact that	n Indian citizen, I would now be an Indian
[Here state the grounds on would have been such a citizen.]	which the declarant claims that he or she
6. I hereby declare my intention the Central Government to register	n to resume Indian citizenship and apply to this declaration
I, A-B, do solemnly and since state in this declaration are true conscientiously believing the same	erely declare that the foregoing particulars e and I make this solemn declaration to be true.
	Signature
than by naturalization that I am a hor agent of I youch for t	tate that I am an Indian citizen otherwise nouse-holder and that I am not the solicitor the correctness of the statements made by or
	Signature
Date	Name (in BLOCK LETTERS
	Full postal address

Oath of allegiance

I, A-B, do solemnly affirm (or swear) that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully observe the laws of India and fulfil my duties as a citizen of India.
Signature Designation
Affirmed/ Sworn and subscribed this day of 20 before me.
*Signature *Designation
* Signature and designation of the officer authorised under rule 38 of the Citizenship Rules, 2009, before whom the registration, declaration or oath of allegiance is made or taken.
Particulars
1. Full name 2. Address 3. Profession or occupation 4. Place and date of birth 5. Nationality 6. Single, married, etc. 7. Name of wife or husband 8. Name and nationalities of parents
FORM XXVI
[See rule 24(4)] The Citizenship Rules,2009
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
CERTIFICATE OF RESUMPTION OF INDIAN CITIZENSHIP
No
This is to certify that the person whose particulars are given below has

This is to certify that the person whose particulars are given below has with immediate effect, resumed being citizen of India, under the provisions of the proviso to section 8(2) of the Citizenship Act, 1955.

1. Name	•••••
2. Name of father	***************************************
3. Name of mother	

7. Occupation	

PHOTOGRAPH	
	,
Signature of registered person	Signature & Seal of issuing authority
Place of Issue	Digitalian to Domi of the light
Date of Issue	
Date of issue	

FORM XXVII

[See rule 24(5)] The Citizenship Rules, 2009

REGISTER OF DECLARATIONS OF RESUMPTION OF INDIAN CITIZENSHIP

SI. No.	Full name of decin rant and address	Profess ion or occupa tion	Place and date of birth	Nationality of declarant's parents	Full name of pare nts	Married, single, widower, widow or divorced	Pince where and date when declaration made	Reference to orders etc. from Ministry of Home Affairs	Attestation by Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary/Under Secretary, Ministry of Home Affairs	Reference to letter alongwith which declaration of resumption received	Remarks
1	2	3	4	5	6_	7	8	9	10	11	12

This form when completed should be forwarded in triplicate to the Chief Secretary to the Government of the State in which the applicant is resident.

FORM XXVIII

[See rule 29(1) and 30] The Citizenship Rules, 2009

Application for registration as an overseas citizen of India under section 7A of the Citizenship Act, 1955.

Note: Please see Instructions below before filling up the form

PA]	RT A (for each applica	ent of the fan	nily)	
Impr Mino	ession in case of r who can not sign			Affix your photoof size 35x35 mm
1 1 5	Applicant Details:	1		
[*	Surname			
2	Given Name			
3	Sex and Date of Birth (DD/MM/YYYY)			
4	Place of Birth with country			
5	Father/Guardian's Name			
6	Mother's Name			
7	Nationality			
8	Passport No. and Date of Issue			
9	Place of Issue			
10	Occupation			
11	Visible Distinguishing Mark			
12	Present Address		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
13	E-Mail ID and Phone No			
14	Whether PIO Card holder?	Yes/No	[If yes, give detail	s]
	PIO Card No & Date of Issue			
	Valid Upto			
	File No. & Place of Issue			

Spouse Applicant De	etails:	Affix your photo of size 35x35 mm
,		
Signature/Left thumb Impression in case of Minor who can not sign		

1	Surname	
2	Given Name	
3	Sex and Date of Birth (DD/MM/YYYY)	
4	Place of Birth with country	•
5	Father/Guardian's Name	
6	Mother's Name	
7	Nationality	
8	Passport No. and Date of Issue	
9	Place of Issue	
10	Occupation	
11	Visible Distinguishing Mark	
12	Present Address	
13	E-Mail ID and Phone	
14	No Whether PIO Card holder?	Yes/No [If yes, give details]
	PIO Card No & Date of Issue	
	Valid Upto	
,	File No. & Place of Issue	

Affix		your
photo	of	size
35x35	111111	

Signature/Left thumb
Impression in case of
Minor who can not sign

1	Surname	T		
_				
2	Given Name			**
3	Sex and Date of Birth			
	(DD/MM/YYYY)	<u> </u>		
4	Place of Birth with			
	country			
5	Father/Guardian's			
	Name			
6	Mother's Name			
7	Nationality			
8	Passport No. and Date			
	of Issue			
9	Place of Issue			
10	Occupation			
11	Visible Distinguishing			
	Mark			
12	Present Address			
•				
13	E-Mail ID and Phone			
	No			
14	Whether PIO Card	Yes/No	[If yes, give details]	
	holder?		, , ,	
	PIO Card No & Date of			
	Issue			
	Valid Upto			
	File No. & Place of		The state of the s	
	Issue			

Minor Child-2 Applicant Details:	
Signature/Left thumb Impression in case of Minor who can not sign	Affix your photo of size 35x35 mm

1	Surname	
2	Given Name	
3	Sex and Date of Birth (DD/MM/YYYY)	
4	Place of Birth with country	
5	Father/Guardian's Name	
6	Mother's Name	
7	Nationality	
8	Passport No. and Date of Issue	
9	Place of Issue	
10	Occupation	
11	Visible Distinguishing Mark	
12	Present Address	
13	E-Mail ID and Phone No	
14	Whether PIO Card holder?	
	PIO Card No & Date of Issue	
	Valid Upto	
	File No. & Place of Issue	

PART B

[other details of applicant(s)]

15. Have you / any member of your family applied for OCI registration earlier?

Yes/No

If yes, give details (Reference No., when and where applied and what was the outcome)

16. Whether the applicant (s) sought asylum before applying for present citizenship?

Yes/No

If yes, give specific details when and why.

17. Is (are) the applicant(s) or had ever been citizen of Pakistan or Bangladesh at any time?

Yes/No

If yes, give specific details.

- 18. Date and method of acquisition of present Nationality (By Birth/Descent/Registration/Naturalization/Any other, specify) of the applicant (s).
- 19. Previous Nationality of the applicant(s).

20. Address of Employe	r:	
First Applicant:		
Spouse Applicant:		

21. Details of family members, who are staying in India, if any.

S.No.	Name	Present address	Relationship	Age
1	2	. 3	4	5
			ļ	

22. Details of criminal proceedings against the applicant(s), if any, anywhere.

S. No.	Applicant(s) Name	Date of incidence	Place of incidence	Nature of incidence	Outcome of criminal proceedings, if any
1_	2	3	4	5	6

23.	that the foregoin	do solemnl ng particulars stated on this a solemn declaration consciention	application are true, and
	2	Signature	
		(first applicant)	(spouse applicant)
		*Application for Minor(s)	
foreg (chil	going particulars	t/guardian** ofrelate. I hereby apply on eir registration as an overseas	behalf of my/the child
Date		. Signature of firs	t applicant
	be filled only for a	minor applicant(s) enclose proof of guardianship	

FORM XXIX

[See rule 33 (1)] The Citizenship Rules,2009

CERTIFICATE OF REGISTRATION (Overseas Citizen of India)

NO.	 	_	_	_	_	_				

This is to certify that the person whose particulars are given in this certificate has been registered as an Overseas Citizen of India under the provisions of Section 7A of the Citizenship Act, 1955.

PHOTOGRAPH

1. Surname		
2. Given Name(s)		
3. Nationality	4.Sex	5.Date of Birth
6. Place of Birth		
7. Occupation		
8. Name of Father/Lega	ıl Guardian	
9. Name of Mother		
10. Address		
	Date of issue	Place of Issue
11. Passport No.12. Visible Distinguishin		
12. Visible Distinguishin		
12. Visible Distinguishin	g Mark of OCI Certif	
12. Visible Distinguishin	g Mark of OCI Certif	
12. Visible Distinguishin	g Mark of OCI Certif	
12.Visible Distinguishin 13.File No.	g Mark of OCI Certif	
12. Visible Distinguishin	g Mark of OCI Certif	
12.Visible Distinguishin 13.File No.	g Mark of OCI Certif	
12.Visible Distinguishin 13.File No.	g Mark of OCI Certif	

FORM XXX

Place of issue

Date of issue

[See rule 33 (3) and 35(3)] The Citizenship Rules, 2009

Signature and Seal of issuing authority

REGISTER OF PERSONS REGISTERED AS OVERSEAS CITIZEN OF INDIA UNDER SECTION 7A AND IS CANCELLED UNDER SECTION 7D OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955

S. No.	Full name and address of the applicant	Father's name	Place & date of birth	Nationality	Last permanent address outside India	Date from which resident in India	Date & place of registration	Date and place in case of renunciation	Date and place in case of cancellation and Uvisa No.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							-		<u> </u> -	
		<u> </u>	!		•			. ,		
			<u> </u>	7						
]						٠,		
							*. *			
						l . <u>.</u>	<u> </u>	<u> </u>		

Note.-Serial No. in this register should correspond with the number in the registration certificate.]

FORM XXXI

[See rule 34 (1)] The Citizenship Rules, 2009

DECLARATION OF RENUNCIATION OF OVERSEAS CITIZENSHIP OF INDIA UNDER SECTION 7C (1) OF THE CITIZENSHIP ACT, 1955 MADE BY AN OVERSEAS CITIZEN OF INDIA

1. I,declarant) am of fullon	age and	capacity	and	was	born	at
2. I am registered as an overs	•					
3. I hereby renounce my oy Certificate of registrati issued at	ion No		dated.		•••••	
4. I,declare that the foregoing parmake this solemn declaration	rticulars stat	ted in this do	eclaratio	on are u	rue, an	ia i
Date		Signatur	e	•••••		• • • •
Made and subscribed this	day	of	.20	befo	ore me	
	,	**Signatur				

PARTICULARS

 Full Name. Address. Occupation. Place and date of birth. Nationality. Name of wife or husband. Number and date of certificate of registration as an overseas citizen of India and U-visa. Name and full particulars of minor children who are registered as overseas citizens of India, If any.
*Please attach original certificate of registration with the declaration and produce the passport having U-visa for cancellation of the visa.
**Signature and designation of the officer authorised under rule 38 of the Citizenship Rules, 2009 before whom the declaration is made or oath of allegiance is taken.
FORM XXXII [See rule 34 (2)] The Citizenship Rules, 2009 ACKNOWLEDGMENT
Received declaration of renunciation of overseas citizenship of India under section 7C (1) of the Citizenship Act, 1955 from Miss/Ms./Mr
resident of alongwith Certificate of Registration No
Date Signature with seal of the Receiving Officer

FORM XXXIII

[See rule 37)]
The Citizenship Rules, 2009

Certified that whose particulars and							
photograph are furnished below, has satisfied the conditions laid down in							
the Constitution of India/Citizenship Act, 1955 and is accordingly							
recognized as a citizen of India.							
Particulars							
1. Age							
PHOTOGRAPH							
Signature of the grantee Signature of the issuing authority Place of Issue Date of Issue							

SCHEDULE II

[See rule 26] The Citizenship Rules, 2009

- 1. (1) When the Central Government refers the case of a citizen of India to a Committee of Inquiry under sub-section (3) of section 10 (which relates to deprivation of citizenship of India), the Committee of Inquiry (in this Schedule referred to as "the Committee") shall before holding the inquiry, cause notice to be given to the person to whom the inquiry relates, stating the time and the place where it will be held and the nature thereof and informing him that he will be entitled to be present and/or to be represented by counsel or solicitor, or if the Committee think fit, by some other person approved by them.
 - (2) A notice under this rule may be given, -
 - (a) in a case where the address of the person concerned is known, by causing the notice to be delivered to him personally or by sending it to him to the address by post;
 - (b) in a case where that person's address is not known, by sending it to his last known address and in such manner, if any, as the Chairman of the Committee shall consider fit.
 - (3) A notice as aforesaid shall be given such time (not being less that 30 days) before the holding of the inquiry, as the Chairman of the Committee shall consider reasonably necessary.
- 2. A notice under paragraph 1 may require the person concerned to answer it in writing and to furnish in writing to the Committee any information, which they consider material, to be verified in such manner, as they may be required.
- 3. The Committee shall, while inquiring into any matter under sub-section (6) of section 10 of the Act have all the powers of a Civil Court trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and, in particular, in respect of the following matters, namely:-
 - (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
 - (b) discovery and production of any document;
 - (c) receiving evidences on affidavit;
 - (d) issuing commission for the examination of witnesses or documents.

- 4. The Committee may act upon any information, which is available whether or not such information is given on oath or would be admissible as evidence in a court.
- 5. The Committee may invite any Government department or Ministry of the Government of India, which appears to them to be interested to appoint a person to represent the department or Ministry at the inquiry.
- 6. (1) The committee may act notwithstanding any vacancy in their number, and the quorum of the Committee shall be two.
- (2) The Committee may delegate one or more of their members to inquire into any particular matter relating to the inquiry, and the member or members so delegated shall, for this purpose, have all the powers of the Committee under sub-paragraph (1) of paragraph 3.
- 7. The committee may postpone or adjourn the inquiry from to time.
- 8. The Committee may allow or refuse to allow the public or any portion thereof to be present during the whole or any part of the inquiry.
- 9. Subject to the foregoing paragraphs, the procedure at the inquiry shall be such as the Committee may determine.

SCHEDULE III

[See rule 40(2)] The Citizenship Rules, 2009

- 1. Where it appears to the Central Government that a citizen of India has voluntarily acquired the citizenship of any other country, it may require him to prove within such period as may be fixed by it in this behalf, that he has not voluntarily acquired the citizenship of that country; and the burden of proving that he has not so acquired such citizenship shall be on him.
- 2. For the purpose of determining any question relating to the acquisition by an Indian citizen of the citizenship of any other country, the Central Government may make such reference as it thinks fit in respect of that question or of any matter relating thereto, to its Embassy in that country or to the Government of that country and act on any report or information received in pursuance of such reference.
- 3. The fact that a citizen of India has obtained on any date a passport from the Government of any other country shall be conclusive proof of his having voluntarily acquired the citizenship of that country before that date.

- 4. Where a person, who has become an Indian citizen by virtue of the Goa, Daman and Diu (Citizenship) Order, 1962, or the Dadra and Nagar Haveli (Citizenship) Order, 1962, issued under section 7 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955) holds a passport issued by the Government of any other country, the fact that he has not surrendered the said passport on or before the 19th January, 1963 shall be conclusive proof of his having voluntarily acquired the citizenship of that country before that date.
- 5. In determining whether a citizen of India has or has not voluntarily acquired the citizenship of any other country, the Central Government may take the following circumstances into consideration, namely: -
 - (a) whether the person has migrated to that country with the intention of making it his permanent home;
 - (b) whether he has in fact taken up permanent residence in that country; and
 - (c) any other circumstances relevant to the purpose.
- 6. Notwithstanding anything contained in paragraph 4, a citizen of India who leaves or has left India without a travel document issued by the Central Government and resides outside India for a period exceeding three years, shall be deemed to have voluntarily acquired the citizenship of the country of his residence.
- 7. Notwithstanding anything contained in paragraph 4, a citizen of India shall be deemed to have voluntarily acquired the citizenship of Pakistan
 - (a) if he has migrated to Pakistan with the intention of making it his permanent home; or
 - (b) if he has obtained any certificate of domicile in Pakistan or declared himself to be a citizen of Pakistan or of Pakistan domicile; or
 - (c) if he has applied for and obtained, a right, title or interest in evacuee property in Pakistan; or
 - (d) if he has obtained a temporary permit for entry into India from Pakistan.

Explanation.- For the purpose of clause (a) of this paragraph, a person shall not be deemed to have migrated to Pakistan with a view to making that country him permanent home —

- (i) if he has left for a place in West Pakistan with a "no objection certificate" and has returned to India under such permit for permanent return or resettlement as may have been issued by or under the authority of any law in force in India or of the Government of India, or
- (ii) if having left India at any time between the Ist February, 1950 and the 15th October, 1952, for a place in West Pakistan, he has returned to India with a repatriation certificate issued by or under the authority of any law in force in India or of the government of India.

SCHEDULE IV

[See rule 41]
The Citizenship Rules,2009

	Table of Fees		
Sl.	Matter in which fee is to be taken	Am In India (Rs.)	ount of fee Elsewhere (Rs.)
<u>(1)</u>	(2)	(3)	(4)
1.	Registration as a citizen of India under section of the Act.	on ⁻ 5	
2.	 (i) Under sections 5(1)(a) and 5(1)(b) (ii) Under section 5(1)(c) (iii) Under sections 5(1)(d) and 5(4) (iv) Under sections 5(1)(e),5(1)(f) and 5(1)(g) Naturalization as a citizen of India under 	5,000 10,000 3,000 5,000	15,000 4,000
	section 6(1) of the Act. (i) with application (ii) grant of certificate of naturalization	1,500 13,500	
3.	Grant of a certificate of naturalization in case of doubt.	5,000	
4.	Witnessing the signing of an application or declaration mentioned in rule 38 of these Rules, administering the oath of allegiance	500	1,000
5.	Registration of a declaration of intention to resume Indian citizenship or renunciation of citizenship	5,000 f	7,000

6.	Supplying a certified true copy of any notice, certificate, order, declaration or entry given, granted or made by or under the Act.				
7.	Supplying a certified copy of a certific of naturalization	eate 2,000			
8.	Registration as an overseas citizen of India under section 7A of the Act.*	US \$ 275 or an amount equivalent in local currency	US \$ 275 or an amount equivalent in local currency		
9.	Renunciation of overseas citizen of India.	US \$ 25 or an amount equivalent in local currency	US \$ 25 or an amount equivalent in local currency		
10.	Re-issuance of certificate to overseas citizen of India*	US \$ 25 or an amount equivalent in local currency	US \$ 25 or an amount equivalent in local currency		
11.	Issuance of duplicate certificate to overseas citizen of India*	US \$ 100 or an amount equivalent in local currency	US \$ 100 or an amount equivalent in local currency		
12.	Registration as an overseas citizen of India of an adult Person of Indian Origin Card holder*	US \$ 25 or an amount equivalent in local currency	US \$ 25 or an amount equivalent in local currency		
13.	Registration as an overseas citizen of India of minor Person of Indian Origin Card holder*	US \$ 145 or an amount equivalent in local currency	US \$ 145 or an amount equivalent in local currency		

*Note.- Out of the fee charged, a sum of US \$ 25 or an equivalent amount in local currency shall be non-refundable. The balance amount shall be refunded in case the application is not accepted.".

[F. No. 26011/7/2006-IC. I] ASHIM KHURANA, Jt. Secy.